सर्व शिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

(2002-2007)

जनपद - मुरादाबाद

अध्याय —1

स्थिति :-

जनपद की पृष्ठ भूमि मुरादाबाद जनपद लखनऊ दिल्ली राजमार्ग पर रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इसके उत्तर में सीमा उत्तरांचल प्रदेश को स्पर्श करती है, पूर्व में जनपद रामपुर, दक्षिण में जनपद बदायूँ व पश्चिम में मुरादाबाद से पृथक कर बना जनपद जे0 पी0 नगर है। मुरादाबाद में 13 विकास खण्ड 6 तहसील तथा 65 न्याय पंचायतें विद्यमान हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 38,28,555 है, जिसमें 2073369 पुरुष व 1755186 महिला हैं।

मुख्य रूप से जनपद की अर्थव्यवस्था कृषि व पीतल हस्तशिल्प उद्योग पर निर्भर है। इस उद्योग से निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

इतिहास :

मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में [illegible] एक भाग रहा। [illegible] तत्पश्चात [illegible] के दिल्ली शासन के अधीन रहा [illegible] के एक भाग के रूप में रहा [illegible] एक किले का निर्माण करवाया तथा [illegible] की स्थापना किया। प्रारम्भ में इसका नाम रुस्तम नगर रहा परन्तु बाद में [illegible] के नाम पर इसका नाम मुरादाबाद रखा गया। रुहेलों ने भी इस जनपद पर कुछ समय तक अपना वर्चस्व कायम किया। मराठों ने भी यहां कई बार आक्रमण किये जिन्हें राजा शुजाउद्दौला की सेना द्वारा खदेड़ दिया गया।

13 मई 1857 को प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम शुरू हुआ और इस क्षेत्र के निवासी भी इसमें पीछे नहीं रहे। 1930 में असहयोग आन्दोलन और 1942 के भारत छोडो आन्दोलन को भी इस क्षेत्र से पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। स्वतन्त्रता के लिये क्षेत्र के हिन्दुओं और मुसलमानो ने मिलकर प्रतिभाग किया।

3— साक्षरता —

2001 की जनसंख्या के आधार पर उ0 प्र0 की साक्षरता 57.36 प्रतिशत है जिसमें से पुरुष साक्षरता 70.23 प्रतिशत व महिला साक्षरता 42.98 प्रतिशत है जिसकी तुलना में जनपद मुरादाबाद की कुल साक्षरता 45.74 प्रतिशत व महिला साक्षरता 33.32 प्रतिशत है।

स्थलाकृति एवं जलवायु —

मुरादाबाद गागन और राम गंगा दो मुख्य नदियों के बीच स्थित है इसकी स्थिति के आधार पर इसे कई भागों में बांट सकते है। जनपद का पश्चिमी भाग "खादर" है। यहां जल भराव की समस्या रहती है। दक्षिणी भाग की भूमि 'कटेहर' कहलाती है यह भूमि उर्वरा की दृष्टि से उत्तम है। उत्तर पूर्व का भाग भूंड कहलाता है।

जनपद में औसत वार्षिक वर्षा 817 एम0 एम0 से 1,135 एम0 एम0 होती है। यहां की गर्मी में तापकम बहुत अधिक होता है जबकि शरद ऋतु में औसत ठंड पडती है। यहां मानसून जून के अंत में आ जाता है और अक्टूबर तक लगातार रहता है।

आर्थिक स्थिति :

1991 की जनगणना के आधार पर

वर्ग	प्रतिशत
कृषक	52.6
कृषि श्रमिक	14.8
गैर गृह उद्योग	8.4
व्यापार और वाणिज्य	7.0
गृह उद्योग	3.0
यातायात और संचार	3.0
निर्माण कार्य	1.4
पशुपालन,बागवानी,वृक्षारोपण	0.5
अन्य	8.9

स्रोत - जनगणना 1991

तालिका

जिले की प्रशासनिक इकाइयाँ

तहसील	05
विकास खण्ड	13
न्याय पंचायत	95
ग्राम सभायें	960
कुल ग्राम	[illegible]
बस्तियों (मंजरों) की सं.	1516
नगर निगम	[illegible]
नगर पालिका परिषद	05
टाउन एरिया	07
कुल आबाद ग्राम/बस्तियाँ	1516

जनपद मुरादाबाद में 52.6 प्रतिशत कृषक निवास करते है अर्थात इस जनपद की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है पीतल के बर्तनों के निर्माण में विख्यात होने के कारण ही मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। गन्ना आलू, गेहूं, मैन्था जनपद की मुख्य फसले है सम्भल में पशुओ के सींग से निर्मित खिलौने भी विख्यात हैं।

जनपद मे तीन चीनी मिल बिलारी, असमोली, मझावली में स्थित है। जनपद के वि0 खण्ड पंवासा, बहजोई, बिलारी, मूण्डापाण्डे भागौलिक दृष्टि से पिछडे विकास खण्ड है। बहजोई एवं पंवासा मे अधिक क्षेत्र भूड के नाम से जाना जाता है। आने जाने के साधन कम होने के कारण इन विकास खण्डो का विकास प्रभावित हुआ है। जनपद पांच तहसीलों, मुरादाबाद, बिलारी, ठाकुरद्वारा, चन्दौसी, सम्भल एवम् 13 विकास खण्डो मे विभाजित है। जनपद मुरादाबाद की जनसंख्या निम्नवत है।

जनसंख्या – 1.1

	पुरूष	महिला	योग
1991	1603625	1361660	2965293
2001	2073369	1755186	3828555

स्रोत – 1991 की जनगणना के आधार तथा 2001 की स0 वे0 शि0 अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओ के आधार पर वर्ष 1991 व 2001 तक जनसंख्या में लगभग 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जनसंख्या –

जनपद मुरादाबाद की 1991 की जनगणना के आधार पर कुल जनसंख्या 2965293 जिसमें पुरूष 1603625 तथा महिलायें 1361660 थी। इस प्रकार मुरादाबाद जनपद में पुरूष महिला अनुपात 54 : 46 था अनुमानित जनसंख्या/जनपद में कुल एस0 सी0 जाति की जनसंख्या 470951 जिसमें पुरूष 257160 तथा 213791 महिला थी इस प्रकार कुल 15.88 प्रतिशत अनु0 जाति जनसंख्या थी।

इस प्रकार इस दशक में वृद्धि भी लगभग 25 प्रतिशत हुई है।

वर्ष 1991 की जनसंख्या जनगणना 1991 के आधार पर एवम् वर्ष 2001 की अनुमानित जनसंख्या विकास खण्ड वार सारणी 1.2 में तथा नगर क्षेत्र वार 1.3 में प्रदर्शित की गयी है।

जनसंख्या विकास खण्डवार जनपद मुरादाबाद

सारणी 1.2

क्र0	नाम	कुल जनसंख्या 1991			एस0 सी0 जनसंख्या 1991			अनुमानित कुल जनसंख्या 2001			अनुमानित एस0 सी0 जनसंख्या 2001		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1—	मुरादाबाद	66277	56658	122935	13274	11024	24298	131410	12916	244326	16459	13669	30128
2—	मूंढापाण्डे	82342	68940	151282	944	7889	17333	102895	98174	201069	12856	1226	25082
3—	भगतपुर टाण्डा	74644	63549	138193	11147	9285	20433	108204	72930	181134	16526	11764	28290
4—	छजलैट	84957	72562	157519	16293	13805	30093	106657	95050	201707	21779	17820	39599
5—	ठाकुरद्वारा	75016	65112	140128	12127	10679	22808	95567	78192	173759	15037	13241	23278
6—	डिलारी	89877	76722	166599	10524	8905	19429	11741	94869	266010	11576	9617	21193
7—	बिलारी	87702	70549	158251	20151	16118	36269	107906	88288	196194	24987	19986	44973
8—	कुन्दरकी	11051	93277	203428	20937	17381	38318	138738	113513	252251	16395	10929	27324
9—	बनियाखेड़ा	101783	82533	184316	30996	24775	55771	125771	103680	229437	38435	30721	69156

क्र0	नाम	कुल जनसंख्या 1991			एस0 सी0 जनसंख्या 1991			अनुमानित कुल जनसंख्या 2001			अनुमानित एस0 सी0 जनसंख्या 2001		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1–	सम्भल	94351	79145	173496	21450	17922	39372	114773	100695	215468	27566	23022	50588
[illegible]	[illegible]	[illegible]	7646	[illegible]	17136	[illegible]	31094	[illegible]	99954	[illegible]	25245	20655	45900
13–	असमोली	83593	70243	153836	16524	13603	30127	45398	94416	209814	20479	16867	37346
	विकास खण्ड योग	[illegible]	927237	[illegible]	210356	173922	384278	145057	7216851	2673408	261585	209952	471537
14–	नगर	497436	434437	931867	46804	39869	86673	616812	338335	1155147	58041	49652	107693
	कुल योग	1603625	1361668	2965293	257100	213791	470951	12073369	1755186	382855	319626	359604	579230

नोट – 1991 जनगणना आँकड़ों एवं 2001 [illegible] प्रतिशत वृद्धि दर से अनुमानित प्रक्षेपित

नगर क्षेत्रवार जनसंख्या– मुरादाबाद

सारणी 1.3

क्र.	नगर	जनसंख्या 1991 पुरुष	महिला	योग	अनुसूचित जाति 1991 पुरुष	महिला	योग	कुल जनसंख्या 2001 अनुमानित पुरुष	महिला	योग	अनुसूचित जाति जनसंख्या 2001 पुरुष	महिला	योग
1–	चन्दौसी	44004	38744	82748	7447	6344	13791	54564	48042	102606	9234	7866	17100
2–	मुरादाबाद	277827	241645	519472	25700	21893	47593	344505	299639	644144	31868	27418	59238
3–	सम्भल	80023	70246	150369	4837	4147	9014	99972	87104	187076	6084	5127	11217
4–	ठाकुरद्वारा	13532	11747	25279	813	721	1534	16779	14481	31260	1008	894	1902
5–	बहजोई	11447	10276	21723	1394	1187	2581	14194	12742	26936	1729	1480	3209
6–	कांठ	10710	9587	20297	1197	1021	2218	13780	11792	25072	1484	1266	2750
7–	सिरसी	9541	8769	18310	392	326	718	11830	10785	22615	477	406	883
8–	कुन्दरकी	9966	8550	18516	1110	947	2057	13357	10516	22873	1376	1174	2550
[illegible]	[illegible]	9027	8374	[illegible]	275	244	519	11931	10383	22314	350	305	655
10–	नरौली	7258	6372	13630	1044	927	1971	8999	7901	16900	1295	1149	2444
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5316	11365	[illegible]	55	125	7500	6591	14091	82	65	147
12–	बिलारी	11379	10130	21509	1181	1007	2188	14109	12561	26670	1465	1248	2713
13–	रसूलपुर	5478	4675	10153	1282	1092	2374	6792	5797	12589	1589	1354	2943
		497436	434431	931867	46760	39813	86673	616812	538335	1155147	58041	49652	107693

नोट – 1991 जनगणना सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त   स्रोत – 2001 जनगणना 2.4 वृद्धि दर से अनुमानित

अध्याय–2

जनपद का शैक्षिक परिदृश्य

जनपद मुरादाबाद जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0 पी0 ई0 पी0 द्वितीय) द्वारा आच्छादित जनपद है। इस जनपद में यह कार्यक्रम वर्ष 1997–98 से संचालित है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य, शत प्रतिशत नामांकन शिक्षा की पहुंच का विस्तार, ठहराव, गुणवत्ता में वृद्धि प्रबन्ध क्षमता का विकास ड्राप आउट रेट में कमी लाना था। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनेक प्रयास इस कार्यक्रम द्वारा किये गये। यह समयबद्ध कार्यक्रम है तथा इसका वर्ष 2002 में समापन होगा यह कार्यक्रम प्राथमिक स्तर एक के विद्यालयों हेतु चलाया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय को इस कार्यक्रम में नहीं लिया गया था। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वारा उद्देश्यों की समग्र लक्ष्यों की प्राप्ति शत प्रतिशत नहीं हो सकी। शत प्रतिशत नामांकन, ड्राप आउट में कमी गुणवत्ता में वृद्धि तथा प्रबन्ध क्षमता में वृद्धि में तीव्र स्तर से गति लाने हेतु सर्व शिक्षा अभियान (एस0 एस0 ए0) इस जनपद में प्रारम्भ किया जा रहा है।

1991 की जनगणना के अनुसार जनपद मुरादाबाद की साक्षरता दर 30.90 जिसमें पुरुष साक्षरता 40.8 तथा महिला साक्षरता दर 19.00 है। जनपद की साक्षरता पर सम्बन्धी सारणी में तथा विकास खण्ड वार सारणी 2.2 एवम् नगर क्षेत्र वार सारणी 2.3 में अंकित है।

जनगणना 1991 के अनुसार

सारणी 2.1 (अ)

क्र0 सं0	विवरण	कुल साक्षरता दर		
		पुरुष	महिला	योग
1-	कुल साक्षरता	40.8	19.00	30.9
2-	ग्रामीण	33.8	8.8	22.5
3-	नगरीय	56.3	40.3	48.8

जनगणना 2001 के अनुसार

सारणी 2.1 (बी)

क्र0 सं0	विवरण	कुल साक्षरता दर		
		पुरुष	महिला	योग
1-	कुल साक्षरता	63.82	33.32	45.74
2-	ग्रामीण	70.76	20.99	31.46
3-	नगरीय	70.76	42.18	47.74

वर्ष 1991 एवम् 2001 की जनगणना में अंकित साक्षरता दर का तुलनात्मक अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि जनपद की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है कुल साक्षरता दर 15 प्रतिशत पुरुष साक्षरता दर में 23 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विकास खण्ड वार साक्षरता दर सारणी 2.2 एवम् नगर क्षेत्र वार साक्षरता दर सारणी 2.3 में प्रदर्शित की गयी है।

सारणी 2.2 वर्ष 1991

वर्ष / विकास खण्ड	साक्षर व्यक्ति			साक्षरता का प्रतिशत		
	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 1971	310356	105634	415990	23.5	17.1	17.1
वर्ष 1981	466833	157454	624287	27.4	10.9	19.8
वर्ष 1991	509713	199918	709631	40.8	19.0	30.9
विकास खण्डवार 1991						
ठाकुरद्वारा	31806	10139	41945	54.2	20.3	38.6
डिलारी	26781	7122	33903	38.7	12.3	26.7
असमोली	23429	4939	283368	35.6	9.1	23.6
सम्भल	24742	5131	299923	33.6	8.6	22.4
पवासा	17703	2672	20375	24.3	4.6	15.6
भगतपुर टाण्डा	17907	3512	21419	31.4	7.4	20.5
मुरादाबाद	15772	355	19327	31.2	8.4	20.8
मुण्डापाण्डे	16377	2540	18917	25.7	4.9	16.4
[illegible]	23283	3469	26752	27.3	4.9	17.1
बनियाखेड़ा	22979	3852	25830	28.6	6.0	18.6
बिलारी	22396	3575	25971	32.2	6.5	20.8
कुन्दरकी	16112	2663	18775	32.3	6.5	20.7
छजलैट	32696	8985	41681	49.0	16.0	33.9
योग ग्रामीण	291982	62204	354186	33.8	5.8	22.5
नगरीय	217731	137714	355445	56.5	40.3	48.8
योग जनपद	509713	199918	709631	40.8	19.0	30.9

स्रोत – 1991 की जनगणना

जनगणना 2001 के आकड़े ब्लाक वार उपलब्ध न होने के कारण वर्ष 1991 में खण्डवार साक्षर कमि0 एवम् साक्षरता का प्रतिशत अंकित किया गया।

सारणी सं0 2.3

नगर का नाम एवं वर्ग नगर निगम / नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत / कैण्टोमेंट बोर्ड / सेन्सस टाउन	सम्बन्धित तहसील	साक्षरता का प्रतिशत (1991)
1- चन्दौसी न0 पं0		62.27
2- ठाकुरद्वारा न0 प0		36.46
3- बहजोई न0 पं0		57.06
4- कांठ		54.63
5- सिरसी नो0 ए0		25.61
6- कुन्दरकी टा0 ए0		31.87
7- भोजपुर टा0 ए0		18.65
8- नरौली टा0 ए0		25.40
9- उमरी कलां		29.77
[illegible] बिलारी न0 पा0		[illegible]
[illegible] रुस्तमपुर नगर		30.63
12- मुरादाबाद न0		54.35
13- सम्भल न0 पा0		34.95
योग		43.79

स्रोत- जनगणना 1991 के अनुसार

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार –

विकास खण्ड वार साक्षरता दर का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि सबसे कम साक्षरता दर वाले विकास खण्ड पंवासा, एवम् मूण्डापाण्डे है जिनमें साक्षरता दर क्रमश 15.58 एवम् 16.57 है वि0 खण्ड पंवासा में महिला साक्षरता दर मात्र 4.6 थी सबसे अधिक साक्षरता दर वि0 खण्ड ठाकुरद्वारा की है जहां पर साक्षरता दर 38.56 प्रतिशत है। जनपद की महिला साक्षरता 1991 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण 8 प्रतिशत नगरीय 40.3 प्रतिशत तथा कुल 19 प्रतिशत थी ग्रामीण की महिला साक्षरता दर की स्थिति सोचनीय थी। महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता दर विकास खण्ड पंवासा, डींगरपुर, एवम मूण्डापाण्डे है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर 20–25 विकास खण्ड ठाकुरद्वारा की है।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मुरादाबाद की जनसंख्या 3828555 जिसमें 2073369 पुरुष एवम 1755186 महिला है जबकि 1991 में यह 2965293 कुल तथा पुरुष स्त्री जनसंख्या क्रमश 1603625, 1361660 थी इस प्रकार जनसंख्या में लगभग इस दशक में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2001 के अनुसार साक्षरता दर [illegible] 45.74 प्रतिशत पुरुष 63.82 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर [illegible]32 प्रतिशत है।

शैक्षिक संस्थाओं की उपलब्धता –

जनपद के अन्तर्गत शैक्षिक संस्थाओं का विवरण सारणी 2.7 में दिया गया

शैक्षिक संस्थाओ की उपलब्धता

जनपद मुरादाबाद में उपलब्ध शैक्षिक संस्थाओ का विवरण

सारणी 2.4

		परिषदीय/[illegible]			मान्यता प्राप्त			कुल विद्यालय			गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय		
		ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-	प्राथमिक विद्यालय	1559	153	1712	563	205	768	2122	358	2480	52	10	62
2-	प्रा. विद्यालय से सम्बद्ध प्रा. अनुभाग	02	02	04	04	05	09	06	07	13	-	-	--
3-	उच्च प्राथमिक विद्यालय	186 [illegible]	19 [illegible]	205 [illegible]	172	118	290	358	137	495	20	8	28
4-	केन्द्रिय विद्यालय												
5-	नवोदय विद्यालय	1		1				1		1			-
6-	हाईस्कूल	3		3	30	14	44	30	17	47			-
7-	इण्टरमीडिएट	04	02	06	63	52	115	67	54	121			
8	डिग्रीकालेज				06		06	06		06	-		-
9	स्नातकोत्तर महाविद्यालय				01	08	09	01	08	09			

10	विश्वविद्यालय												
11	तकनीकी संस्थान (आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक)		2	2		2		-	-	-	-	-	-
12	कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं	-	-		01	03	04	01	03	04	-	-	-
13	आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	415	100	515				415	100	515		-	-
14	मकतब/मदरसे	-	-	-	20	05	25	52	05	57	-	-	-
15	संस्कृत पाठशालाएं	-	-		01	06	07	01	06	07		-	-
16	विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु संस्थाएं	-			-	-	-	-	-	-		-	-
17	बाल श्रमिक विद्यालय					20	20		20	20		-	-

स्रोत विभागीय आंकड़े

सारणी 2.4 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि जनपद मुरादाबाद में कुल प्राथमिक स्तर में विद्यालय लगभग 2480 है जिनमें परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1712 है जबकि मुरादाबाद जनपद की 2001 की काल गणना के अनुसार जनसंख्या 3828555 है इस प्रकार 1543 जनसंख्या पर एक प्रा0 विद्यालय में औसत आती है। तथा कुल उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 567 है जिसमें 205 परिषदीय विद्यालय है इस प्रकार 6752 व्यक्तियों पर एक उ0 प्रा0 विद्यालय का औसत आता है। जनपद मुरादाबाद में कोई भी नवोदय एवम् केन्द्रीय विद्यालय नही है। तथा हाईस्कूल एवम् इण्टरमीडिएट विद्यालयों की संख्या भी जनसंख्या के अनुसार पर्याप्त नही है।

परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता :-

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक उपलब्धता से सारणी 2.5 में दर्शाया गया है तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक उपलब्धता को सारणी 2.6 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 2.5

परिषदीय / नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की स्थिति

[illegible]	स्वीकृत [illegible]				[illegible]			[illegible]		[illegible]
ग्रामीण क्षेत्र	1089	3077	4566	1295	1647	2922	214	1423	1844	1565
नगर क्षेत्र	148	749	897	112	367	479	36	388	402	–
[illegible]	1697	3826	[illegible]	387	1599	3391	250	1799	2246	1565

स्रोत— [illegible]

परिषदीय प्रा0 विद्यालयों में 1108 प्र0 अ0 2901 स0 अ0 तथा कुल 4009 अध्यापक कार्यरत हैं जबकि परिषदीय विद्यालयों की छात्र संख्या 298334 है इस प्रकार छात्र अनुपात 1 : 74 है। यदि इनमें शिक्षा मित्र को भी जोड़ दिया जाये तो कुल अध्यापक शिक्षा मित्र संख्या 4609 होगी तथा अध्यापक छात्र अनुपात 1: 64 आयेगा जबकि मानक 1 : 40 का है कुल 1712 विद्यालयों में मात्र 1108 में प्र0 अ0 कार्यरत है। इस प्रकार 604 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं है।

सारणी 2.6

परिषदीय/नगर क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की स्थिति

	स्वीकृत पद			कार्यरत अध्यापक			रिक्त पदों की सं0			शिक्षा
विवरण	प्र0 अ0	स0 अ0	योग	प्र0 अ0	स0 अ0	योग	प्र0 अ0	स0 अ0	योग	मित्र स्वीकृत
[illegible]	147	806	953	46	795	841	101	11	112	–
[illegible]	15	116	131	57	59	66	3	65	76	–
[illegible]	[illegible]	922	1084	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	79	[illegible]	-

स्रोत– विभागीय आकड़े

परिषदीय उ0 प्रा0 विद्यालयों में कुल 74[illegible] अध्यापक कार्यरत है। जबकि उ0 प्रा0 की छात्र संख्या 34972 है। कुल परिषदीय विद्यालय 205 है जिनमें मात्र 79 में प्रधानाध्यापक कार्यरत है। 126 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं है। 1 : 5 अध्यापक अनुपात से यहां पर 281 अध्यापक कम है।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

सारणी 2.7

	1 किमी0 से कम दूरी पर उपलब्ध	1 किमी0 से अधिक किन्तु 1.5 किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	1.5 किमी0 से अधिक दूरी पर विद्यालय दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	प्रस्तावित विद्यालय / ई0 जी0 एस0 / ए0 आई0 ई0
ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है	–	[illegible]	0	0
ऐसे ग्राम/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है।	38	176	75	75
योग	371	376	249	249

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

सारणी 2.8

	[illegible] किमी0 से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध	[illegible] किमी0 से अधिक दूरी पर [illegible] विद्यालय उपलब्ध	[illegible]	प्रस्तावित विद्यालय / ई0 जी0 एस0 / ए0 आई0 ई0
[illegible] बस्तियों [illegible] आबादी [illegible] से अधिक है	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] बस्तियों [illegible] आबादी [illegible] से कम है	255	160		160
योग	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

सारणी 2.8 द्वारा उच्च प्राथमिक की आवश्यकता प्रदर्शित की गयी है। जनपद में 422 ग्राम/बस्ती ऐसी है जिनमें तीन कि0मी0 की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है। इस प्रकार 442 बस्तियों में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है। सर्व शिक्षा अभियान मे दो प्राथमिक विद्यालयो पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना प्रस्तावित है। जिसका आकलन सारणी 2.9 मे किया गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयो की आवश्यकता 1 : 2 के अनुसार (आंकलन)

सारणी 2.9

क्र0		ग्रामीण	नगरीय	योग
1	वर्तमान परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	1661	153	1814
2	प्रस्तावित	174		[illegible]
3	1:2 के अनुपात में प्रस्तावित उच्च प्रा0 विद्यालय	866	19	885
4	वर्तमान में उपलब्ध उ0 प्रा0 विद्यालय	455	5	470
5	1 : 2 अनुपात से उ0 प्रा0 वि0 की आवश्यकता	880	-	880
6	11 में विद्य आयोग से स्वीकृत उ0 प्रा0 वि0	[illegible]		[illegible]
	[illegible]			

नोट - नगर क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु भूमि की अनुपलब्धता का ग्रामगत रखते हुये प्रा. वि. एवम् उच्च प्रा. विद्यालयों का प्रस्ताव नहीं किया गया है इस प्रकार 680 विद्यालयों की आवश्यकता है परन्तु वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए 300 प्रा. वि. विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

सारणी 2.7 में ग्रामों तथा बस्तियों में प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता प्रदर्शित की गयी है कुल 960 ग्राम सभा तथा 526 बस्तियां हैं जिनमें 39 ग्राम तथा 135 बस्तियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 300 से अधिक है तथा 1.5 कि.मी. की परिधि में विद्यालय उपलब्ध नहीं है। अर्थात ऐसे (174) <u>ग्राम/बस्तियों</u> में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रखा गया है।

District Moradabad

प्राथमिक विद्यालयों के संसाधनों का विवरण

सारणी 2.14

ब्लाक का नाम	भवन युक्त	कक्षों के आधार पर विद्यालय संख्या: 1 एक कक्षीय वि० सं०	2 दो कक्षीय वि० सं०	3 तीन कक्षीय वि० सं०	4 चार कक्षीय वि० सं०	5 पांच कक्षीय वि० सं०	5 से अधिक कक्षा कक्ष सं०	मरम्मत योग्य विद्यालय: कुल	लघु	वृहद	शौचालय: युक्त	विहीन	आव	हैण्डपम्प: युक्त	विहीन	आव	चहारदीवारी: युक्त	विहीन	आव	ग्राम	भवन हीन
जनपद मुरादाबाद	[illegible] 1658	137	1025	433	42	14	07				862	796	796	1799	15	15		1	1	156	

स्रोत ए० बी० एस० ए० द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा कक्षों की उपलब्धता

सारणी 2.15

क्रमांक	विवरण	कुल उपलब्ध कक्षा कक्ष
	शून्य कक्षीय विद्यालय (१५६)	156X0 = 0
1—	एक कक्षा कक्षीय विद्यालय 137	137 X1 = 137
2—	दो कक्षा कक्षीय विद्यालय 1025	1025 X 2 = 2050
3—	तीन कक्षा कक्षीय विद्यालय 433	433 X 3 = 1299
4—	चार कक्षा कक्षीय विद्यालय 42	42 X 4 = 168
5—	पांच कक्षा कक्षीय विद्यालय 14	14 X 5 = 70
6—	पांच से अधिक कक्षा कक्षीय विद्यालय 7	7 X 6 = 42
	योग	3766

कक्षा कक्षों की आवश्यकता

प्रा० वि० की संख्या = 1814

कक्षा कक्षों की आवश्यकता = 1814 x 3 = 5442

" " " उपलब्धता = 3766

अतिरिक्त आवश्यकता = 5442 - 376[illegible]

= 1676

District Moradabad

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संसाधनों का विवरण

सारणी 2.16

ब्लाक का नाम	भवन युक्त	कक्षा कक्षों के आधार पर विद्यालय संख्या						मरम्मत योग्य विद्यालय			शौचालय			हैण्डपम्प			चाहरदीवारी			जर्जर	भवन हीन
		1 एक कक्षीय वि0 स0	2 दो कक्षीय वि0 स0	3 तीन कक्षीय वि0 स0	4 चार कक्षीय वि0 स0	5 पाँच कक्षीय वि0 स0	5 से अधिक कक्ष वि0 स0	कुल	लघु	वृहद	युक्त	विहीन	आव	युक्त	वि0	आव	युक्त	विहीन	आव		
जनपद मुरादाबाद	452			235	185			—	—	—	430	40	40	459	11	11	55	150	150	18	—

स्रोत — सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त ब्लाक की सूचना के आधार पर

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा कक्षो की उपलब्धता

सारणी 2.17

क्रमांक	विवरण शून्य कक्षीय विद्यालय (शून्य)	कुल उपलब्ध कक्षा कक्ष 18×0 =0
1—	एक कक्षा कक्षीय विद्यालय 10	10 X 1 = 10
2—	दो कक्षा कक्षीय विद्यालय 9	9 X 2 = 18
3—	तीन कक्षा कक्षीय विद्यालय 235	235 X 3 = 705
4—	चार कक्षा कक्षीय विद्यालय 185	185 X 4 = 740
5—	पांच कक्षा कक्षीय विद्यालय 9	9 X 5 = 45
6—	पांच से अधिक कक्ष कक्षीय विद्यालय 4	4 X 6 = 24
	योग	1542

अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता:

उ०प्रा०वि० की संख्या = 470

विद्यालय अनुसार आवश्यकता 470×4 = 1880

उपलब्ध कक्षा कक्ष = 1542

अति० आवश्यकता = 1880-1542 = 338

नवनिर्मित अतिरिक्त कक्ष = 09

कुल अतिरिक्त आवश्यकता = 338-9 = 329

सारणी 2.18

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयो के भौतिक संसाधनों का विवरण

(नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र)

क्र0 सं0	विवरण	संख्या
1–	कुल प्राथमिक विद्यालय	1814
2–	भवन-हीन विद्यालय	21
3–	जर्जर भवन विद्यालय	156
4–	भवन युक्त विद्यालय	1658
5–	एक कक्षीय प्रा0 विद्यालय	137
6–	दो कक्षीय प्रा0 विद्यालय	1025
7–	तीन कक्षीय प्रा0 विद्यालय	433
8–	चार कक्षीय प्रा0 विद्यालय	42
9–	पांच कक्षीय प्रा0 विद्यालय	14
10–	पांच से अधिक कक्षीय विद्यालय	07
11–	मरम्मत योग्य विद्यालयों की संख्या	–
12–	लघु मरम्मत योग्य विद्यालयों की संख्या	
13–	वृहद मरम्मत योग्य विद्यालयों की संख्या	

(नोट) दोनो सूचनाओं में नगर एवम ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित है

सारणी 2.19

संसाधन	युक्त	विहीन	आवश्यकता
शौचालय	962	796	796
पेयजल	1799	15	15
चहार दीवारी			

सारणी 2. 20

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भौतिक संसाधनों का विवरण

क्र0 सं0	विवरण	संख्या
1–	कुल उच्च विद्यालय	470
2–	भवन हीन विद्यालय	
3–	जर्जर	10
4–	भवन युक्त	452
5–	एक कक्षीय उच्च प्रा0 विद्यालय	10
6–	दो कक्षीय उच्च प्रा0 विद्यालय	9
7	तीन कक्षीय उच्च प्रा0 विद्यालय	235
8–	चार कक्षीय उच्च प्रा0 विद्यालय	185
9–	पांच कक्षीय उच्च प्रा0 विद्यालय	09
10–	पांच से अधिक कक्षीय उच्च प्रा0 विद्यालय	04
11–	मरम्मत योग्य विद्यालयों की संख्या	
12–	लघु मरम्मत योग्य विद्यालयों की संख्या	
	वृहद मरम्मत योग्य विद्यालयों की संख्या	

स्रोत–विभागीय आंकड़े

सारणी 2.21

संसाधन	युक्त	विहीन	आवश्यकता
शौचालय	430	40	40
उपस्कर	459	11	11
चहारदीवारी		-	

स्रोत–विभागीय आंकड़े

शौचालय विहीन विद्यालयों की सूची

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	शौचालय विहीन प्राथमिक विद्यालय	शौचालय विहीन जू0हा0 स्कूल
1	छजलैट	87	--
2	असमोली	55	10
3	मुरादाबाद	18	1
4	बहजोई	44	5
5	बनियाखेड़ा	27	--
6	सम्भल	54	5
7	पंवासा	66	1
8	बिलारी	76	6
9	मूढ़ापाण्डे	40	--
10	भगतपुर टाण्डा	65	3
11	डिलारी	61	--
12	ठाकुरद्वारा	60	6
13	कुन्दरकी	56	--
	योग	709	37

जनपद मुरादाबाद में सर्व शिक्षा वर्ष 03--04 में 76 प्राथमिक विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत तथा 09 प्राथमिक विद्यालय सघन क्षेत्र योजना से स्वीकृत किये गये है। जब कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वर्ष 2000-01 में ग्यारवें वित्त आयोग से 27, वर्ष 01--02 में सघन क्षेत्रीय विकास योजना से 36, वर्ष 01--02 में ग्यारहवा वित्त आयोग से 15, वर्ष 02--03 में ग्यारहवे वित्त आयोग से 15, वर्ष 02--03 में सर्व शिक्षा से 46 विद्यालय स्वीकृत किये गये जिसमें 23 विद्यालयों के लिए धन आवंटन किया गया शेष्ज्ञ धन सिपिल ओवर है। वर्ष 03--04 में ग्यारवें वित्त आयोग से 07, वर्ष 03--04 से सघन क्षेत्रीय विकास योजना से 25 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति

		ग्रामीण		नगर		योग
1--	वर्तमान परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	1661	—	153	—	1814
2--	उच्च प्राथमिक विद्यालय	455	—	15	—	470

शौचालय विहीन विद्यालयों की सूची

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	शौचालय विहीन प्राथमिक विद्यालय	शौचालय विहीन जू0हा0 स्कूल
1	छजलैट	87	--
2	असमोली	55	10
3	मुरादाबाद	13	1
4	बहजोई	44	5
5	बनियाखेड़ा	27	---
6	सम्भल	54	5
7	पंवासा	66	1
8	बिलारी	76	6
9	मूंढापाण्डे	40	---
10	भगतपुर टाण्डा	65	3
11	डिलारी	61	---
12	ठाकुरद्वारा	60	6
13	कुन्दरकी	56	---
	योग	709	37

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आकडे एवंम् महत्वपूर्ण एण्डीकेटर्स

जनपद मुरादाबाद

जनपद मुरादाबाद जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय से आच्छादित जनपद है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्प्यूटर युक्त ई० एम० आई० एस० ईकाई सक्रिय रूप से संचालित है। वर्ष 1997–98 में नीपा द्वारा विकसित डाटा साफ्ट वेयर संचालित किया गया था जिसके द्वारा वार्षिक सांख्यिकी नियमित रूप से निरन्तर प्रतिवर्ष तैयार की जा रही है शैक्षिक सांख्यिकी का अनुप्रयोग वार्षिक कार्य योजना के निर्माण में जिला प्राथमिक शि कार्यक्रम सम्बन्धित निर्णयों में किया गया है।

विगत वर्षो में ई० एम० आई-एस-से प्राप्त आकड़ो के अनुसार विगत वर्षों में स्थिति निम्न है।

Enrolment Profile

District Moradabad

Table 2.27

Year	All Students			Scheduled Caste			Scheduled Tribes			% Girls Enrol-ment	% Scheduled Caste to total Enrolment	% Scheduled Tribes To total Enrolment	% Sc Girls to total Sc Enrolment	% ST Girls to total ST Enrolment
1997--98	478737	298804	179933	116778	71829	44949	104	53	51	37.58	24.39	0.02	38.49	49.04
1998--99	536320	320958	209362	130142	77879	52263	96	43	53	39.04	24.27	0.02	40.16	55.21
1999--00	592876	354633	233243	146480	86275	60205	118	62	56	40.18	24.71	0.02	41.10	47.48
2000--01	582008	333204	243304	156252	88639	67613	48	33	15	42.75	26.85	0.01	43.27	31.25
केवल मुरादाबाद	412126	229354	182772	-										
2001--02	448134	251809	196325											

स्रोत – 1997–98 से 2000–01 आकडे ई0 एम0 आई0 एस0 से प्राप्त तथा 2001–02 के आकडे सहायक वेसिक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर है। वर्ष 1997–98 से 2000–01 के आकडों में जनपद मुरादाबाद व जे0 पी0 नगर के दोनो के आकडे सम्मिलित है वर्ष 1997–98 से नामांकन संख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है वर्ष 2001–02 के आकडे केवल जनपद मुरादाबाद के अंकित है इस कारण संख्या कम है यह कमी-जनपद जे0 पी0 नगर के आकडे सम्मिलित न होने के कारण दिखाई दे रही है वास्तव में 2001–02 में भी छात्र नामांकन में वृद्धि हुई है इस प्रकार कहा जा सकता है कि छात्र नामांकन में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है। वर्ष 2000–01 में कुल केवल जनपद मुरादाबाद के कुल बच्चे 456964 जिसमें 248880 बालक एवम 208084 बालिकायें थी इनमें से कुल 412126 बच्चे लाभावित हुए इनमें 229354 बालक कृपक 182772 बालिकाये लाभावित थी जो 2001–02 में 448134 बच्चे नामांकित हुए है इस प्रकार 7.8 प्रतिशत की नामांकन मे वृद्धि हुई है।

GROSS ENROLMENT RATIO (Primary Class)

District Moradabad

Table 2.28

Year	All students			Scheduled Caste			Scheduled Tribes		
	Total	Boys	Girls	All SC	Boys	Girls	All ST	Boys	Girls
1997-98	72.03	84.57	57.80	114.12	132.41	93.48	315.15	294.44	340.00
1998-99	78,94	90.47	65.83	124-69	140-28	106.98	290.91	238.89	353.33
1999-2000	94.11	101.73	85.52	164.45	176.16	115.27	97.00	117.86	68.18
2000-01	98.10	105.00	90.25	168.30	182.20	120.25	99.00	119.90	69.00
2001-02	101.20	108.00	95.00	169.20	183.00	122.25	99.28	120.00	69.05
2002-03	106.00	110.00	96.00	171.35	184.02	124.25	99.52	120.20	70.15
2003-04	107.00	112.00	97.00	174.20	185.85	125.00	99.00	121.35	70.25

Net Enrolment Ratio

District Moradabad

Table 2.29

	All students			Scheduled Caste			Scheduled Tribes		
	Total	Boys	Girls	All SC	Boys	Girls	All ST	Boys	Girls
1997-98	54.68	64.80	43.20	88.71	104.33	71.09	66.67	38.89	200.00
1998-99	62.02	71.59	51.15	99.58	112.86	84.48	18.18	11.11	126.67
1999-2000	81.19	87.94	73.59	144.16	154.70	132.29	96.00	17.86	88.18
2001-02	91.18	92.16	89.95	-	-	-	-	-	

स्रोत – ई० एम० आई० एस०

जनपद के एन० ई० आर० में भी निरन्तर वृद्धि हुई है 1997–98 से 2000–01 तक लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा अनुसूचित जाति के एन० ई० आर० सम्मान जनक वृद्धि 56 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

Condition of Classrooms

District Moradabad

Table 2.30

Year	Total Classrooms	Good	Require Minor Repairs	Require Major Repairs	No Response
1996-97	95	75	9	2	9
1997-98	7567	4444	1106	768	1249
1998-99	8669	1031	2332	1511	3795
1999-2000	10122	6612	1907	920	683
2000-01	10367	7593	1869	789	116

स्रोत – ई० एम० आई० एस०

वर्ष 96–97 में 4444 कक्षा कक्ष अच्छी दशा में थे वर्ष 2000–01 में 7593 कक्षा कक्ष अच्छी दशा में है तथा कुल संख्या में भी वृद्धि हुई है 97–98 में कुल 7567 कक्षा कक्ष जिसकी संख्या 2000–01 में बढ़कर 10367 हो गयी है।

Numbers of Students Getting Free Text Books

District Moradabad

Table 2.31

Year	Class I	Class II	Class III	Class IV	Class V	Total (I-V)	% Girls					
							Class I	Class II	Class III	Class IV	Class IV	Total (I-V)
1996-97	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1997-98	298	169	62	38	90	657	24.50	73.96	48.39	44.74	24.44	40.64
1998-99	43731	40306	29377	18918	13051	145383	65.30	64.79	61.95	59.01	59.61	63.15
1999-00	53141	44828	37415	25986	17548	178918	70.02	66.55	66.66	63.84	60.47	66.61
2000-01	52982	42694	32516	24591	17993	170776	71.05	70.24	66.81	64.31	61.44	68.06
2001-02	54132	44482	32742	25478	17410	174244-						
2002-03	67795	41898	31895	22070	17002	180660						
2003-04	75956	54150	37090	27011	19666-	213873						

प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्यपुस्तक सुविधा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है 98–99 में यह संख्या 145383 थी जो वर्ष 2003-04 में बढ़कर 213873 तक पहुंच गयी है।

Teachers Profile

District Moradabad

Table 2.32

Year	Total Teachers	Female Teachers	Scheduled Caste	Scheduled Tribes	Other Backward Class Teachers	% Female Teachers	% SC Teachers	% ST Teachers	% Trained Teachers
1996–97	125	64	5	0	31	51.20	4.00	0.00	67.20
1997–98	9135	2963	956	23	1962	32.44	10.47	0.25	78.94
1998–99	9975	3263	953	2	2176	32.71	9.55	0.02	74.68
1999–00	10909	3740	959	25	2691	34.28	8.79	0.23	72.26
2000–01	10322	3646	884	11	2741	35.32	8.56	0.11	77.69

स्रोत – ई0 एम0 आई0 एस0

अध्यापकों के सेवा निवृत्त होने तथा नियुक्ति न होने के कारण अध्यापक संख्या में कमी आयी है। वर्ष 99–2000 में शिक्षक संख्या 10909 है जो 2000–01 में घटकर 10322 हो गयी इस प्रकार निरन्तर अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि हो रही है वर्ष 2001–02 में परिषदीय विद्यालयों में मात्र 4000 अध्यापक तथा 629 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं।

Selected Indicatiors (All Schools)

District Moradabad

Table 2.33

Year	Gross Enolment Ratio	Net Enolment Ratio	Pupil Teacher Ratio	Repitition Rate	% School Not Inspected	% Single Teacher Schools
1996–97	0	0	37.39	0	0	8.33
1997–98	71.39	54.68	52.19	8.01	1.77	9.97
1998–99	78.82	62.02	53.75	4.05	9.96	12.48
1999–2000	99.95	78.18	54.39	2.40	1.22	14.49
2000–01	94.07	81.19	56.45	0.92	4.60	14.12
2001-02	95.50	82.00	70:1	.80	–	10.00
2002-03	97.00	83.25	75:1	.72	–	10.00
2003-04	98.25	84.00	70:1	.70	–	10.00

स्रोत – ई० एम० आई० एस०

वर्ष 97--98 से 1999--2000 तक लगभग 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2000--01 मे जी० ई० आर०

Selected Indicators (Schools Covered Under DPEP)

District Moradabad

Table 2.34

Year	Pupil Teacher Ratio	Repition Rate	% School not Inspected	% Single Teacher Schools
1996-97	46.82	0	0	13.33
1997-98	57.59	16.89	1.07	11.72
1998-99	62.02	19.95	7.05	15.42
1999-2000	66.81	11.71	0.87	18.48
2000-2001	67.0[illegible]	3.89	3.23	17.84

वर्षवार अध्यापक छात्र अनुपात में वृद्धि हो रही है अध्यापकों की संख्या घटती जा रही है

पुनः प्रवेश की दर भी वर्षवार घट रही है।

Distribution of Schools by Enrolment

District Moradabad

Table 2.35

Year	% of Schools having enrolment in the range of								
	1-20	21-60	61-100	101-140	141-200	201-300	300	No. Response	Total
1996–97	0.00	4.17	8.33	12.50	41.67	12.50	16.67	0.00	96.00
1997–98	0.08	2.21	11.50	20.18	34.94	17.81	11.90	0.56	99.00
1998–99	0.15	3.17	10.84	19.19	36.48	16.64	13.24	0.04	100.00
1999–2000	0.14	2.97	11.79	17.63	34.45	17.66	14.99	0.34	100.00
2000–01	0.23	3.80	12.19	18.92	33.64	17.69	13.40	0.00	100.00

स्रोत – डी० पी० आई० पी०

Distribution of Schools by Number of Working Days

District Moradabad

Table 2.36

Year	Number of Working Days							
	125	125-150	151-175	176-200	201-225	226-250	250	Total
1996–97	0.00	0.00	0.00	0.00	79.17	20.83	0.00	100.00
1997–98	4.46	0.12	0.44	0.64	72.98	20.71	0.64	100.00
1998–99	1.42	0.11	0.18	5.98	59.47	31.85	0.99	100.00
1999–2000	4.73	0.14	0.24	10.50	63.39	17.97	3.04	100.00
2000--01	1.33	0.10	0.17	1.17	77.78	19.09	0.37	100.00

स्रोत – डी० एस० आई० एस०

Classwise Enrolment (All Students)

District Moradabad

Table 2.37

Year	Class I	Class II	Class III	Class IV	Class V	Total (I-V)	% Girls Class I	% Girls Class II	% Girls Class III	% Girls Class IV	% Girls Class V	% Girls Class (I-V)	% Class of Total Enrolment
1996-97	1892	1053	713	605	644	4907	47.23	44.16	44.18	48.26	42.55	45.63	38.56
1997-98	182915	112925	77806	56165	48926	478737	39.24	38.19	36.45	35.5	34.14	37.58	38.21
1998-99	176370	133307	99146	70344	57153	536320	40.03	39.38	38.66	37.42	36.54	39.04	32.89
1999-00	191445	136123	11410	85096	66202	592876	41.25	40.71	40.26	39.08	37.31	40.18	32.29
2000-01	179602	140510	109825	84743	67328	582008	43.73	43.71	42.46	41.08	39.78	42.75	30.86

स्रोत - ई० एम० आई० एस०

Classwise Enrolment (Scheduled Caste Students)

District Moradabad

Table 2.38

Year	Class I	Class II	Class III	Class IV	Class V	Total (I-V)	% Girls Class I	% Girls Class II	% Girls Class III	% Girls Class IV	% Girls Class V	% Girls Class (I-V)	% Class of Total Enrolment
1996-97	133	76	93	84	101	487	46.12	38.16	41.94	42.86	37.62	42.30	27.31
1997-98	42307	29237	21001	13658	10575	116778	41.84	39.95	37.27	33.80	29.51	38.49	36.23
1998-99	41092	33322	25693	17884	12151	130142	42.49	41.35	39.63	37.41	33.36	40.16	31.57
1999-00	45396	33550	29103	22287	16144	146480	42.65	42.10	41.33	39.80	36.07	41.10	30.99
2000-01	48287	37555	29117	23274	18019	156252	44.47	44.51	42.97	41.56	40.19	43.27	30.90

स्रोत – ई0 एम0 आई0 एस0

Classwise Enrolment (Scheduled Tribes Students)

District Moradabad

Table 2.39

Year	Class I	Class II	Class III	Class IV	Class V	Total (I-V)	% Girls Class I	% Girls Class II	% Girls Class III	% Girls Class IV	% Girls Class V	% Girls Class (I-V)	% Class of Total Enrolment
1996-97	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1997-98	48	16	13	12	15	104	41.67	62.50	46.15	58.33	53.33	49.04	46.15
1998-99	57	12	12	5	10	96	59.65	66.67	33.33	80.00	30.00	5.21	59.38
1999-00	13	42	19	24	20	118	46.15	42.86	52.63	50.00	50.00	47.46	11.02
2000-01	14	16	11	3	4	48	50.00	25.00	18.18	33.33	25.00	31.25	29.17

स्रोत - डी० पी० आई० एस०

उच्च प्राथमिक स्तर पर विशिष्ट सूचांक- जनपद मुरादाबाद

परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन एवं वृद्धि

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1998-1999	18280	17280	15740	51300	
1999-2000	18700	17420	17380	53500	4%
2000-2001	20050	19150	18250	55450	3.6%

स्रोत विभागीय आँकडे

उक्त सारणी में उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षावार नामांकन दर्शाया गया है जिसके विश्लेषण उपरान्त ज्ञात हुआ है कि 1999- 2000 एवं 2000-2001 में क्रमशः 4.00 प्रतिशत एवं 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

1997 से 2000 तक परिषदीय उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन

वर्ष	नामांकन			प्रतिशत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1997-98	51800	31300	83100	62.3	37.7	100
1998-99	52600	32400	85000	61.9	38.1	100
1999-2000	53400	33745	87145	61.3	38.7	100
2000-01	55000	35500	90500.	60.8	39.2	100

स्रोत विभागीय आंकडे

जनपद मुरादाबाद वर्ष 1997 से डी.पी.ई.पी. परियोजना से आच्छादित रहा है। परियोजना से प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि के साथ-साथ उच्च प्राथमिक स्तर पर भी नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है उच्च प्राथमिक स्तर बालिकाओं के नामांकन में 1997 से 2001 के बीच 2.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

परिषदीय विद्यालयों का ट्रांजिसन दर कक्षा 5 से कक्षा 6

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्रांजिसन दर
1998-1999	34125	18280	53.6
1999-2000	35132	18700	53.2
2000-2001	37324	20050	53.7

स्रोत विभागीय आँकडे

किसी भी प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम में यह अतिआवश्यक है कि कितने बच्चे एक स्तर की शिक्षा प्राप्त कर दूसरे स्तर की शिक्षा में नामांकित होते है। अतः जनपद मुरादाबाद का परिषदीय विद्यालयों का ट्रांजिसन दर (अर्थात कक्षा 5से कक्षा 6 में नामांकित होने वाले) उक्त सारणी में ज्ञात किया गया है ।सारणी से स्पष्ट है कि 1998से 2001 के बीच ट्रांजिसन दर बढ़ा है । सारणी से यह भी स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर के लगभग 54 प्रतिशत बच्चे उक्त प्राथमिक स्तर पर नामांकित हो पाते है।

सारणी 2.30

प्राथमिक स्तर का आंकलन

(मध्यमान प्रतिशत)

क्र0 सं0	कक्षा–1	भाषा				गणित			
		प्रारम्भिक मूल्यांकन		मध्य स्तरीय मूल्यांकन		प्रारम्भिक मूल्यांकन		मध्यस्तरीय मूल्यांकन	
	सत्र	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
–	2001–02	54.1	52.7	74.4	72.42	40.79	38.36	85.9	88.13
[illegible]	2001–02	55.0	52.9	75.0	74.00	41.00	39.00	86.0	89.00
[illegible]	2002–03	56.0	53.4	76.0	75.00	41.00	39.00	86.0	90.00
–	2003–04	57.0	54.0	76.0	77.00	42.00	40.00	87.0	90.00
5–	2004–05	58.0	54.0	78.0	78.00	42.00	40.00	88.0	91.00
6–	2005–06	59.0	55.0	79.0	79.00	43.00	41.00	89.0	91.00
–	2006–07	60.0	56.0	79.0	79.00	43.00	41.00	90.0	92.00
8–	2007–08	60.0	56.0	80.0	80.00	43.00	42.00	91.0	92.00
[illegible]	2008–09	60.0	57.0	81.0	81.00	44.00	43.00	92.0	93.00
10–	2009–10	61.0	57.0	82.0	82.00	44.00	43.00	93.0	93.00

क्र0 सं0	कक्षा–1	भाषा				गणित			
		प्रारम्भिक मूल्यांकन		मध्य स्तरीय मूल्यांकन		प्रारम्भिक मूल्यांकन		मध्यस्तरीय मूल्यांकन	
	सत्र	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1–	2001–02	42.45	42.88	61.07	68.53	33.9	34.1	51.48	53.16
2–	2001–02	43.00	43.00	62.00	69.00	34.00	35.0	52.00	53.00
3–	2002–03	43.00	43.00	64.00	70.00	34.00	36.0	54.00	55.00
4–	2003–04	44.00	44.00	66.00	71.00	35.00	37.0	56.00	57.00
5–	2004–05	45.00	44.00	68.00	72.00	36.00	38.0	58.00	59.00
6–	2005–06	46.00	45.00	70.00	73.00	37.00	39.0	60.00	61.00
7–	2006–07	47.00	46.00	72.00	74.00	38.00	40.0	63.00	64.00
8–	2007–08	48.00	47.00	74.00	76.00	39.00	41.0	66.00	67.00
9–	2008–09	49.00	48.00	76.00	77.00	40.00	42.0	70.00	70.00
10–	2009–10	50.00	49.00	78.00	78.00	41.00	43.0	74.00	74.00

अध्याय 3

नियोजन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश सरकार का दृढ़ संकल्प "सभी के लिये शिक्षा" के अन्तर्गत इस वर्ष नये सत्रारम्भ में "स्कूल चलो अभियान" ऐसे शैक्षिक वातावरण को नये आयामों की दिशा में ले जाने का बहुमुखी प्रयास है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सन् 2010 तक 6–14 वय वर्ग बच्चों का उपयोग तथा कोटिपरक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा को ऐसे स्थानों तक पहुंचाना है जहां पर आज तक अनेक प्रयासों के फलस्वरूप शैक्षिक वातावरण स्थापित नहीं हो सका है। इस अभियान में समस्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वैच्छिक संगठनों के साथ–साथ ग्राम पंचायत स्तर से उच्चतम स्तर पर तक समस्त नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गयी। इस अभियान के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य रूप से ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में [illegible] बदलाव की ओर इंगित करता है। प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर में जो गिरावट लगभग दो दशक से हमारे सम्मुख दिखायी पड़ रही है। उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए समाज के सभी घटकों से अपेक्षा करते हुए इस अभियान को प्रारम्भ किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लिंग–भेद को समाप्त कर सामाजिक एवं शैक्षिक समानता की कल्पना की गयी है। सर्व शिक्षा अभियान एक अभियान नहीं अपितु क्रान्तिकारी आन्दोलन है जो समाज के सभी वर्गों को जागृत करने के लिये प्रारम्भ किया गया है। इस अभियान के द्वारा उस अछूते वर्ग को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है जो वर्ग लम्बे समय से शिक्षा से वंचित है।

इस अभियान के समाज को शैक्षिक वातावरण से जोड़ने में एकरूपता का संकल्प लेकर निम्न स्तर से उच्च स्तर तक सभी शिक्षकों एवं अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी साथ ही इस अभियान में सभी गैर सरकारी संगठन, स्वयं सेवक, विभिन्न क्षेत्रो में दक्षता प्राप्त कलाकार, महिला संगठन अपना सहयोग प्रदान करके अशिक्षित बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

सूक्ष्म नियोजन एवं ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत इस बात पर अधिक महत्व दिया गया है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों नगरीय बस्तियों एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे सभी परिवारों के ऐसे बालक बालिकाएं जो 6 से 11 वर्ष की आयु के अन्तर्गत आते हों उनके शैक्षिक स्तर का आकलन किया जाये। इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा का सूक्ष्म नियोजन किया गया जिसमे ग्राम शिक्षा समिति का गठन, शिक्षक अभिभावक संघ तथा माता शिक्षक संघ आदि को सक्रिय किया गया। इन संगठनों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण एवं प्रेरणा के माध्यम से शैक्षिक वातावरण से जोड़ा गया इसके अन्तर्गत शिक्षकों के लिए भी विशेष प्रकार प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। इस जनपद मुरादाबाद में 1993 से 2000 तक ग्रामीणों के सहयोग से तथा अन्य स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से शिक्षा से वंचित बस्तियों एवं बच्चों की सूचनाओं का संकलन किया गया। उन क्षेत्रों एवं बच्चों की समस्याओं का आकलन किया गया। सूक्ष्म नियोजन से लाभ यह हुआ है कि विभागीय कार्यवाही कर समस्याओं का निदान करने के लिए सार्थक प्रयास किये गये। जो सूचनाएं संकलित की गयी उनको निम्नलिखित शीर्षकों में उल्लेख किया जा रहा है –

1– बाल गणना (6 से 11 एवं 11–14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या)

2– सभी प्रकार के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अर्थात कुल नामांकित बच्चो की संख्या।

3– सभी प्रकार के विद्यालय में न जाने वाले बच्चों की संख्या।

4– शिक्षा प्राप्त न करने के कारण।

5– विद्यालय विहीन बस्तियों या ग्रामों में नये विद्यालय खोले जाने के लिए मानकों का आकलन।

6– ग्राम में स्थित प्रा० विद्यालय के भवन एवं भौतिक संसाधनों की स्थिति।

7– शैक्षिक वातावरण निर्माण हेतु ग्राम वासियों का सहयोग, समस्याए एवं निदान

8– विद्यालय में छात्रों के अनुपात में शिक्षक संख्या

9– शिक्षकों द्वारा अपनायी जाने वाली शिक्षण पद्धति एवं विद्यालय के प्रति लगाव।

10– विद्यालय की शैक्षिक स्थिति तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में लाने के लिए ग्रामीणों एवं स्वैच्छिक संगठनों के विचार।

उपर्युक्त सूचनाओं को संकलित करने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा के उन्नयन हेतु अनेक कार्य शिक्षको, स्वयं सेवको एवं ग्राम निवासियों की सहायता से किये गये जो निम्न प्रकार है –

1– सूचनाओं का विश्लेषण

2– ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

3– परिवार सर्वेक्षण

4– स्कूल का शैक्षिक मानचित्र

5– प्रेरक दल का निर्माण

ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी –

शिक्षा के क्षेत्र में यदि वास्तविक आकलन किया जाये तो शिक्षा व [illegible] दोनों में शैक्षिक वातावरण की तैयारी में सबसे बड़ा घटक बच्चों के अभिभावक हैं। ग्रामीण अभिभावकों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें विद्यालय के शिक्षक, ग्राम प्रधान, बच्चों के अभिभावकों को नामित कर समय-समय पर गांव की शैक्षणिक समस्याओं पर चर्चा की गयी तथा समस्याओं के निदान हेतु सुझाव आमन्त्रित किये गये। विभाग द्वारा प्रदत्त सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांवों का सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण के उपरान्त जो तथ्य उभरकर आये उन्हीं को आधार मानकर गांव के बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए ग्राम शिक्षा योजना का क्रियान्वयन किया गया। जो सर्वेक्षण किया गया उसका विवरण निम्नवत् है –

1– गांव/मजरा/बस्ती की जनसंख्या

2– विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या पृथक-पृथक

3– स्त्री पुरुष की जनसंख्या

4– स्त्री पुरुष साक्षर/निरक्षर जनसंख्या

5– स्कूल जाने वाले तथा न जाने वाले बच्चों की संख्या

6– गांव में बाल श्रमिकों की संख्या

7– विकलांग बच्चों की संख्या

8– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या।

9– जाति/वर्गवार स्कूल जाने वाले/न जाने वाले बच्चों की संख्या एवम् कारण।

10- शाला त्यागी बच्चे एवम् भागने के कारण

11- विद्यालय में या गांव में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति।

उपर्युक्त सर्वेक्षण के उपरान्त जो तथ्य सामने आये उन तथ्यों को लेकर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों एवं शैक्षिक जगत से जुड़े अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करके ग्राम शिक्षा योजना के उद्देश्यों को पूरा करने का संकल्प लिया गया। इस योजना को सार्थक रूप प्रदान करने के लिए वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 की प्रक्रिया के विपरीत इस वर्ष समस्त सूचनाओं का माइक्रोप्लानिंग रिकार्ड विद्यालय स्तर पर रखा गया ताकि सूचनाओं के आधार पर अपने अपने क्षेत्र की शैक्षिक समस्याओं का निराकरण सरलता से किया जा सके। ग्राम पंचायत स्तर की माइक्रोप्लानिंग को ब्लाक स्तर पर संकलित किया गया तथा ब्लाक स्तर की सारांश सूचनाओं को जनपद स्तर पर संकलित करके समन्वित ग्राम शिक्षा विकास योजना तैयार की गयी तथा उसे मूर्त रूप देने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये गये।

उपर्युक्त माइक्रोप्लानिंग को सर्व शिक्षा अभियान का आधार मानकर समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के लिए विभिन्न बैठकें आयोजित की तथा विचार विमर्श किये गये। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6 से 8 वर्ष तथा 9 से 14 वर्ष पृथक-पृथक समूहों में संकलित की गयी। जिसमें बालक तथा बालिकाओं की संख्या की भी आयु वार अलग-अलग गणना की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी ज्ञात की गयी जो कामकाजी या अपने माता-पिता के व्यवसाय में सहभागिता करते हैं।

सर्वेक्षण के आधार पर ऐसे ग्राम/मजरों/बस्तियों की सूची बनाई गयी जहाँ मानक अनुसार नवीन विद्यालय खोले सकते है तथा प्रस्तावित किये गये हैं। सारांश मे यह कहा जा सकता है कि आवश्यकता के आधार पर या मानकों के आधार पर नये विद्यालय, शिक्षा घर, बालशाला, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र, शिक्षा गारण्टी केन्द्र स्थापित किये गये हैं जो ग्राम शिक्षा समितियों एवं समस्त समुदायों की सहभागिता से सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना 2001—2002 मे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है इस अवधि मे प्राप्त सूचनाओं का सारणीकरण किया जायेगा तथा परिणामों का आंकलन किया जायेगा ताकि आने वाले समय मे शिक्षा के उन्नयन हेतु वार्षिक कार्य योजना तथा बजट तैयार किया जा सके।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के खोलने का लक्ष्य था तथा यह कार्यक्रम केवल प्राथमिक स्तर तक के लिये था परन्तु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों का खोले जाने का प्राविधान रखा गया था तथा इस अभियान के अन्तर्गत नगर क्षेत्र को भी सम्मलित किया गया है। इस दृष्टि से सर्वे करते समय इसका भी ध्यान रखा गया तथा नगर क्षेत्र से सम्बन्धित आकड़ो को सारणी करण किया गया। नगर क्षेत्र से सम्बन्धित आकड़ो का उपयोग विशेषतया 2002–03 की कार्य योजना मे किया जायेगा।

स्कूल चलो अभियान—

हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी एवं बेसिक शिक्षा मंत्री, मा0 बालेश्वर त्यागी ने दिनांक 2/7/2001 को लखनऊ में स्कूल चलो अभियान की शुरूआत की और उसके बाद हमारे जनपद मुरादाबाद के सभी शिक्षा

अधिकारी, शिक्षाविद्, कलाकार, शैक्षिक संगठन एवं स्वैच्छिक संगठन इस महायज्ञ रूपी शिक्षा अभियान में अपनी–अपनी सकारात्मक आहुति देने के लिए उठ खड़े हुए तथा इस क्रान्तिकारी शिक्षा आन्दोलन को विपुल बना दिया। इस अभियान का लक्ष्य था विद्यालयों में शतप्रतिशत नामांकन तथा ड्राप आउट प्रवृत्ति की समाप्ति।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। मुरादाबाद जिले में बच्चों के नामांकन वृद्धि हेतु एवं ड्राप आउट प्रवृत्ति समाप्त करने हेतु प्रशासन एवं शिक्षा विभाग ने संकल्प लिया। लक्ष्य प्राप्ति हेतु 1/7/2001 से 9/7/2001 तक प्रथम चरण तथा 10/7/2001 से 15/7/2001 तक द्वितीय चरण चलाया गया। दिनांक 28/6/2001 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिले के समस्त सहा0 बेसिक शिक्षा अधिकारियों/उप विद्यालय निरीक्षकों, परियोजना अधिकारियों, ब्लाक समन्वयकों एवं शिक्षा मित्रों की बैठक आहूत कर सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा तैयार की गयी।

दिनांक 2/7/2001 को जिलाधिकारी मुरादाबाद की अध्यक्षता में अभियान की समीक्षा की गयी तथा कोर ग्रुप का गठन किया गया तथा स्कूल चलो अभियान की सफलता के लिए निम्नलिखित निर्णय लिये गये–

1– जनपद के समस्त 13 विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों को स्कूल चलो अभियान का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

2– जनपद की समस्त 95 न्याय पंचायतो के एन0 पी0 आर0 सी0 सी0 को न्याय पंचायत स्तर के स्कूल चलो अभियान हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

3- जनपद की 960 ग्राम पंचायतों पर स्कूल चलो अभियान के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर वरिष्ठ अध्यापक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय ने यह भी निर्देश दिये कि शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य सम्बद्ध विभागों के प्रशासनिक अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र का भ्रमण करते रहेंगे तथा स्कूल चलो अभियान में अपनी सहभागिता से सफलता अर्जित करेंगे। इस अभियान की सफलता के लिए जिला विकास अधिकारी, प्राचार्य डायट कांठ, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, विकलांग कल्याण अधिकारी, सचिव साक्षरता समिति, जिला सूचना अधिकारी, उपजिलाधिकारी तथा तहसीलदार आदि प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस अभियान का सहायक बनाया गया।

दिनांक 9 /2001 को मुरादाबाद महानगर में विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें महानगर के सभी स्कूली बच्चों, अध्यापक, समाजसेवी, शैक्षिक संगठन, पत्रकार, तथा नगर शिक्षा अधिकारी सम्मिलित हुए। इस रैली का प्रारम्भ जिला पंचायत अध्यक्ष मुरादाबाद माननीय फिरासतुल्ला चौधरी ने किया गया। रैली के समापन पर मा0 जिलाधिकारी ने निःशुल्क पुस्तक वितरण भी किया।

सभी ब्लाक मुख्यालयों व नगर क्षेत्रों के साथ-साथ सभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल चलो अभियान रैलियां निकाली गयीं जिसमें भिन्न-भिन्न स्थानों पर प्रशासनिक अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों, समाज सेवियों, अध्यापकों तथा बच्चों ने भाग लिया। इन रैलियों में नुक्कड़ नाटक, भाषण एवं प्रेरक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये। जिसके फलस्वरूप विद्यालयों बच्चों के नामांकन में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि

हुई। स्कूल चलो अभियान जनपद मुरादाबाद में सभी के सहयोग से स्कूल चलो आशानुरूप सफलता के साथ दिनांक 31/7/2001 को सम्पन्न हो गया।

कितना सफल रहा 'स्कूल चलो अभियान'

उपलब्धियां –

जनपद मुरादाबाद में स्कूल चलो अभियान 1/7/2001 से 15/7/2001 तथा 16/7/2001 से 31/7/2001 तक दो चरणों में चलाया गया। इस अभियान में प्रशासनिक अधिकारियों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, अध्यापकों, स्कूली बच्चों, कलाकारों, स्वयं सेवी संगठनों तथा स्थानीय नागरिकों का पूर्ण सहयोग मिला। इस अभियान के फलस्वरूप सुखद परिणाम देखने को मिले। विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के नामांकन में आशानुरूप वृद्धि हुई। सामाजिक संगठनों के सहयोग से बालिकाओं के नामांकन में भी अपेक्षा से अधिक वृद्धि हुई। विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण के निर्माण की दशा में आशाजनक परिवर्तन होने लगे। स्कूल चलो अभियान की सफलता का विवरण दी गयी सारणी से स्पष्ट है –

स्कूल चलो अभियान से पूर्व की स्थिति

सारणी संख्या 3.1

	6 11			11 14		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
कुल बच्चे	273224	218221	491465	95572	77070	172642
पढने वाले	229354	182772	412126	61350	51580	112930
न पढने वाले	43870	35449	79319	34222	254490	59712

स्रोत – विभागीय आंकडे

स्कूल चलो अभियान (2001-02)

31 सितम्बर 2001 की स्थिति

सारणी संख्या 3.2

	6 11			11 14		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
कुल बच्चे	273224	218221	491465	95572	77070	172642
पढने वाले	251809	196325	448134	71887	53584	125471
न पढने वाले	21415	21916	43331	23685	23486	47171

स्रोत – सहायक बे० शि० अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत आकडों के आधार पर अभियान के पूर्व एवं पश्चात।

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट हो रहा है कि स्कूल चलो अभियान से पूर्व सर्वेक्षण किया गया उसमें स्कूल न जाने वाले बच्चों को चिन्हित किया गया उन्होंने अपना नामांकन विद्यालयों में कराया। कुछ प्रतिशत बच्चे ही स्कूल जाने वंचित है। सारांश में कहा जा सकता है कि इस वर्ष प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई तथा इस अभियान की सफलता में उपलब्धियां सन्तोष जनक रही। सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए बस्ती स्तर पर शैक्षिक योजनाओं को बनाने की दिशा में कार्यवाही की जिसमें शिक्षा को शैक्षिक दृष्टि से मरूस्थलीय वातावरण में ले जाकर ज्ञान की हरियाली पैदा की जा सके।

स्कूल चलो अभियान के पश्चात 31/7/2001 की स्थिति

सारणी 3.3

आयु वर्ग	स्कूल चलो अभियान में चिन्हित बच्चे			स्कूल चलो अभियान से पूर्व नामांकित बच्चों की स्थिति			31 जुलाई 2001 तक नामांकित बच्चों की स्थिति			नामांकन में वृद्धि			नामांकन वृद्धि प्रतिशत		
	ना0	व0	योग	ना0	व0	योग	ना0	व0	योग	ना0	व0	योग	ना0	व0	योग
6–11	43870	35449	79319	209354	160772	370126	241816	185435	427251	32462	24663	571125	15.34	15.43	15.4
11–14	34222	25490	59712	64881	47589	112470	71887	53584	125471	7006	5995	13001	10.79	11.25	11.0
योग	78092	60934	139031	274235	204235	208361	482596	[illegible]	552722	39468	30658	70126	14.39	14.71	14.53

स्रोत – विभागीय आंकड़े

जनपद मुरादाबाद में स्कूलो चलो अभियान की सफलता के पूर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य, उद्देश्यो एवम् स्वरूप को दृष्टि में रखते हुये विकेन्द्रित नियोजन की प्रणाली को पुनः अपना कर बस्ती एवम् ग्राम स्तर पर योजनाये बनाने हेतु ग्राम स्तर एवं बस्ती स्तर पर गोष्ठिओ का आयोजन किया गया। तथा बस्ती स्तर पर सुविधाओ तथा समानो को एकत्रित किया गया सामूहिक चर्चा की गयी तथा बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजनाये बनाने की दशा में कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

1— नियोजन टीम का गठन —

अभियान के सार्थक उद्देश्यो की पूर्ति हेतु छः सदस्यीय नियोजन टीम का गठन किया गया।

बस्ती/ग्राम/मझरा स्तर के ग्रामवासियों एवं कार्यकर्ताओ के बैठके की गयी। जिसमें समुदाय की शिक्षा के प्रति सोच, शिक्षा से समुदाय की अपेक्षाएं तथा समुदाय का सहयोग आदि बिन्दुओ पर चर्चा की गयी। क्षेत्रवार सन्दर्भ व्यक्तियों की पहिचान, स्वयं सेवी संस्थाओ की पहचान, पंचायती राज संस्था के पदाधिकारियों की सोच उनके सहयोग आदि की जानकारी के लिए एफ0 जी0 डी0 का सहारा लिया गया। यह कार्य एक उत्तम कोटि की उद्देश्य परक प्रोरापैटिव प्लान बनाने में सहायक सिद्ध हुए।

परियोजना पूर्व की गतिविधियों के अन्तर्गत जिले मे एफ0 जी0 टीम संगठित की गयी इस टीम में उन अधिकारियों को सम्मलित किया गया जिन्होंने सीमेट इलाहाबाद में आयोजित कार्यशालाओ में प्रतिभाग किया था। इसके अतिरिक्त डी0 पी0 ई0 पी0 के जिला समन्वयक, परियोजना अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा

अधिकारी, प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 जूनियर व प्राइमरी विद्यालयों के अध्यापकों, समस्त सचिवों तथा अनेक प्रशासनिक अधिकारियों, जन प्रतिनिधियों, शिक्षा विदों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

एफ0 जी0 डी0 के निष्कर्षों से प्लान की आवश्यकता आधारित स्वरूप बनाने में सहायता मिली।

प्रीप्रोजेक्ट गतिविधियों मे समुदाय की भागीदारी एवं सहभागिता महत्वपूर्ण घटक है इसको दृष्टिगत रखकर ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, जन प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों तथा ग्राम समितियों तथा सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापको को बी0 आर0 सी0 एवं एन0 पी0 आर0 सी0 के माध्यम से संदेश पहुंचाया गया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से समुदाय की भागीदारी पर निर्भर करता है। इसकी योजना एफ0 जी0 डी0 के माध्यम से आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर सूक्ष्म नियोजन [illegible] के आधार पर निर्मित की जायेगी। योजना के निर्माण के पश्चात इसका क्रियान्वयन भी समाज के प्रत्येक वर्ग के सहयोग से होगा। विशेषकर ग्राम पंचायतों को इसमें नियोजन/प्रबन्धन सम्बन्धी पर्याप्त प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होंगे अनुश्रवण एवम् मूल्यांकन में भी उनका पूर्ण सहयोग होगा स्वयं सेवी संस्थानो का भी पूर्ण सहयोग लिया जायेगा जिससे यह अभियान पूर्णतया जनता की भावनाओं के अनुकूल बन सकें।

शैक्षिक नियोजन के विभिन्न स्तरों में से मुरादाबाद की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर ग्राम स्तर प्लानिंग के बाद जनपद स्तर पर नियोजन का स्वरूप निर्धारण किया गया है।

जनपद स्तर का नियोजन –

मुरादाबाद जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1997–98 से संचालित है डी० पी० ई० पी० की उपलब्धता को देखते हुए तथा बच्चों की अधिकाधिक वृद्धि के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जायेगा। डी० पी० ई० पी० को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों से भी सहयोग मिला है उन विभागों के अधिकारियों के साथ भी बैठकें आयोजित की गयी।

इस कार्यक्रम की नियोजित टीम में जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सांसदों, विधायकों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों तथा समिति के सदस्यों के साथ विभिन्न तिथियों में अनेक बार विचार विमर्श किये गये। ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक संघ, शैक्षिक संगठन, स्वयं सेवी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि से भी विचार विमर्श किये गये। क्षेत्रवार बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक की गणना करके उनके प्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श किये गये।

जिला कोर कमेटी –

1–	जिलाधिकारी मुरादाबाद	–	अध्यक्ष
2–	मुख्य विकास अधिकारी	–	उपाध्यक्ष
3–	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य / सचिव
4–	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रथम, द्वि०, तृतीय	–	सदस्य
5–	प्राचार्य डाइट कांठ	–	सदस्य

6— नगर शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद — सदस्य

7— श्री डी0 के0 गुप्ता सहा0 ने0 [illegible] अ0 पंचायत — सदस्य

8— श्री राशिद अनवर सिद्दीकी जिला समन्वयक — सदस्य
डी0 पी0 ई0 पी0

9— डा0 [illegible] गुप्ता प्रवक्ता महाराजा हरिश्चन्द्र — सदस्य
कालिज मुरादाबाद

10— डा जयपाल सिंह व्यस्त प्रवक्ता हिन्दू कालिज — सदस्य
मुरादाबाद

11— श्री नासिर मंसूरी सचिव [illegible] कल्याण — सदस्य
समिति, मुरादाबाद

12— श्री प्रदीप गुप्ता न्याय पंचायत समन्वयक — सदस्य
निवौटा

13— श्री अतीक अहमद न्याय पंचायत समन्वयक — सदस्य
रुकनूद्दीन सराय

नियोजन प्रक्रिया में अन्य विभागो की सहभागिता [illegible] एवं कार्यवाही का विवरण —

शिक्षा विभाग के अतिरिक्त कुछ विभाग ऐसे [illegible] जो शिक्षा विभाग से पारस्परिक रूप से सम्बन्धित हैं। कुछ विभाग मानव संसाधन [illegible] से सम्बन्धित हैं शिक्षा विभाग से रहते हुए इन विभागों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रारम्भिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागो से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है।

आई0 सी0 डी0 एस0 के साथ समन्वय –

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, ए0 डी0 ओ0 आदि को शामिल करके जिला सन्दर्भ समूह का गठन करके निम्नवत आई0 सी0 डी0 एस0 के साथ समन्वय किया जाता है –

क– आंगनवाडी केन्द्रो का समय स्कूल के समयानुसार किया गया।

ख– आंगनवाडी केन्द्रो की स्थापना स्कूलो के पास या प्रांगण मे की गयी।

ग– आंगनवाडी केन्द्रो को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।

घ– केन्द्रो के सुदृढीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।

ङ– केन्द्रो के सचालन के अतिरिक्त समस्त नगु आनुपातिक ढग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

2– स्वास्थ्य विभाग से समन्वय –

परिषदीय विद्यालय मे अध्ययन रत छात्र छात्राओ का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है जिससे चिन्हित रोगी छात्र/छात्राओ के उपचार हेतु उनके अभिभावको को अवगत कराया जाता है। स्वास्थ्य कार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सको के द्वारा कराया जाता है।

3– समाज कल्याण विभाग से समन्वय –

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के अनु0 जाति के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 400 रू0 तथा 300 रू0 प्रति छात्रा की दर से प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

4– ग्राम पंचायतो से सम्बन्ध –

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतो के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि भूलेख प्रबन्ध समितियों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है इस भूमि पर विद्यालय का निर्माण कराकर विद्यालय का संचालन किया जाता है।

5– खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय –

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सहयोग से प्रत्येक विद्यालय 80 प्रतिशत मासिक उपस्थित रहने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरित किया जाता है।

6– विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय –

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र/छात्राओं को उपकरण उपलब्ध कराने हेतु सहायता ली जाती है। बच्चो के चिन्हीकरण में सहयोग

लिया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये है कि विकलांगो की सहायतार्थ उपकरणो/यन्त्रों के वितरण में छात्र/छात्राओ को प्राथमिकता दी जाये।

7- उ0 प्र0 जल निगम/यू0 पी0 एग्रो से समन्वय --

इन दोनो विभागों के सहयोग से उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय में शुद्ध पेय जल व्यवस्था के लिए हैण्ड पम्पो की स्थापना की जाती है।

8- युवा कल्याण विभाग से समन्वय -

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की खेल प्रतियोगिता आयोजित करायी जाती है जिसमें खेल भावना स्थापित की जा सके। नेहरू युवा केन्द्रो तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओ के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते है। शिक्षा के क्षेत्र मे ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

9- पिछडा कल्याण एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग से समन्वय --

इन दोनो विभागो से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्प संख्यक बच्चो को 300/- प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि (छात्रवृत्ति) वितरित की जाती है। जिससे इन छात्रो को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

10– जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन एवं शैक्षिक [illegible] विकास अभिकरण (डी॰ आर॰ डी॰ ए॰) से [illegible] निर्माण हेतु 60 प्रतिशत धनराशि प्राप्त [illegible] विभाग वहन करता है इसके सर्वेक्षण [illegible] लक्ष्य रखा गया है।

आवश्यक यह है कि उपर्युक्त सभी विभाग [illegible] शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आर्थिक शक्तियों के विकास [illegible] है। ये विभाग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए [illegible] निरन्तर प्रदान कर सके। इन्हीं के [illegible] भौतिक संसाधनों की अधिकता परिलक्षित है।

ग्राम स्तर –3	[illegible]	(सम्भल)	बहुउद्देशीय कर्मी [illegible] ए0 [illegible] पी0 1 शिक्षक प्रशिक्षक 2 अभिभावक 10 अध्यापक 8 कुल 27	3– विकलांग बच्चों को शिक्षण [illegible] 4– [illegible] पटी [illegible] विभागों [illegible] कमी
ग्राम स्तर – 4	7/10/2001	शेखनपुर [illegible] ([illegible])	अधिकारी 1 प्रधान 1 अध्यापक 2 अभिभावक 5 कुल 9	1– सामाजिक पिछड़ापन 2– सामाजिक सहभागिता का अभाव 3 शिक्षण सामग्री का अभाव 4– [illegible] के अनुसार शिक्षकों की क[illegible] 5– [illegible] 6 [illegible] साधनों का अभाव 7– [illegible] की कमी
न्याय पंचायत स्तर–1	6/10/2001	[illegible] सम्भल	अधिकारी 2 एन0 पी0 आर0 सी0 1 प्रधान 1 उप प्रधान 1 अध्यापक 17 बहुउद्देशीय कर्मी [illegible] [illegible] 1 अभिभावक 10 कुल 37	1– बाल श्रमिक की अधिकता 2– सामाजिक अरुचि 3– बच्चों में जागरूकता की कमी 4 भौतिक संसाधनों की कमी
[illegible]	[illegible]/2001	[illegible]	अधिकारी 6 [illegible] विधायक 1 [illegible] [illegible] पी0 आर0 सी0 [illegible]	1– [illegible] पिछड़ापन 2– सामाजिक सामंजस्य की [illegible] [illegible] संसाधनों की [illegible] [illegible]

सर्व शिक्षा अभियान की नियोजन प्रक्रिया हेतु विभिन्न स्तरों पर सहभागिता हेतु कार्यवाही का विवरण

क्र० सं०	जनपद स्तर/ब्लाक/ग्राम स्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागियों का विवरण एवं संख्या	बैठक/विचार विमर्श में जो बिन्दु निकले उनका संक्षिप्त विवरण
1–	ग्राम स्तर –1	8/10/[illegible]	[illegible]	अधिकारी 2 प्रधान 1 बहुउद्देशीय कर्मी 1 अध्यापक 4 अभिभावक 1[illegible] कुल 2[illegible]	1– समस्त अध्यापिकाएं उर्दू भाषी 2– महिला शिक्षक का अभाव 3– अल्पसंख्यक वर्ग का शिक्षक के प्रति [illegible] 4– भौतिक साधनों की कमी 5– चारदीवारी की आवश्यकता
2	ग्राम स्तर – 2	20/10/[illegible]	[illegible]	अधिकारी [illegible] प्रधान 1 उप प्रधान 1 सदस्य ग्राम पंचायत 3 अध्यापक 6 अभिभावक [illegible] कुल [illegible]	1– अध्यापकों की कमी, मुख्य शिक्षक नहीं 2– सतत् मूल्यांकन का अभाव निरीक्षण/पर्यवेक्षण और अधिक होना चाहिए 3– सामाजिक सहभागिता का अभाव

3–	ग्राम स्तर –3	29/10/2001	शहजादी सराय (सम्भल)	अधिकारी 4 प्रधान 1 बहुउद्देशीय कर्मी 1 एम0 पी0 आर0 सी0 1 शिक्षक प्रशिक्षक 2 अभिभावक 10 अध्यापक 8 कुल 27	1– शिक्षण सामग्री का अभाव 2– शिक्षक व समाज में सामंजस्य का अभाव 3– विकलांग बच्चों की शिक्षण व्यवस्था 4– अध्यापकों के पास अन्य विभागों का काम
4–	ग्राम स्तर – 4	7/10/2001	भीकनपुर [illegible] ([illegible])	अधिकारी [illegible] प्रधान 1 अध्यापक –2 अभिभावक [illegible] कुल 9	1– सामाजिक पिछड़ापन 2– सामाजिक सहभागिता का अभाव 3– शिक्षण सामग्री का अभाव 4– मानक के अनुसार शिक्षकों की कमी 5– भवन [illegible] 6– कक्षाकक्ष के सामानों का अभाव 7– बाहर दीवारी की कमी
5–	न्याय पंचायत स्तर–1	6/10/2001	रूकनुद्दीन सराय सम्भल	अधिकारी 2 एम0 पी0 आर0 सी0 1 प्रधान 1 [illegible] 1 अध्यापक 17 बहुउद्देशीय कर्मी 4 [illegible] 1 अभिभावक 10 कुल 37	1– बाल श्रमिकों की अधिकता 2– सामाजिक [illegible] 3– बच्चों में जागरूकता की कमी 4– [illegible]
6–	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 6 [illegible] 1 [illegible] आर0 सी0 [illegible] [illegible]	1– [illegible] 2– सामाजिक सामंजस्य का अभाव 3– [illegible] की [illegible] में कमी

				[illegible] [illegible] 30 चिकित्सक 1 अभिभावक 30 [illegible] 1 [illegible] 2 ग्राम प्रधान 2 कुल 197	[illegible] की कमी [illegible] [illegible]
7–	ब्लाक स्तर – 2	16/10/[illegible]	बी0 आर0 सी0 [illegible] [illegible]	अधिकारी 2 बी0 आर0 सी0 1 एन0 पी0 आर0 सी0 [illegible] अध्यापक 25 बी0 ई0 सी0 सदस्य 4 अभिभावक 20 ग्राम प्रधान 4 कुल 62	1– शिक्षकों की कमी 2– शैक्षिक वातावरण का निर्माण 3– शैक्षिक संसाधनों का अभाव 4– शिक्षकों की कार्यकुशलता में कमी 5– भवनों का अभाव 6– जर्जर भवन 7– शौचालयों की कमी 8– हैण्ड पम्प नलों का खराब होना 9– चाहर दीवारी का अभाव 10– महिला शिक्षकों की कमी
8–	ब्लाक स्तर–3	12/10/2001	बी0 आर0 सी0 सम्भल	अधिकारी 5 बी0 आर0 सी0 1 ए0 बी0 आर0 सी0 1 एन0 पी0 आर0 सी0 3 अध्यापक 35 ग्राम प्रधान 2 मेम्बर वी0 ई0 सी0 5 अभिभावक 25	1– बाल श्रमिकों की अधिकता 2– आर्थिक पिछड़ापन 3– छात्र अनुपात में शिक्षकों की कमी 4– शैक्षिक वातावरण कमजोर 5– अन्य विभागों के कार्य का अध्यापकों पर भार
9–	जनपद स्तर	13/10/2001	मुरादाबाद	अध्यक्ष 1 मुख्य विकास अधिकारी 1	1– छात्र अनुपात में शिक्षकों की कमी 2– निरीक्षण/पर्यवेक्षण में कमी

				जि0बे0शिक्षा अधिकारी 1 उप बे0 शिक्षा अधि0 3 सहा0 बे0 शिक्षा अधि011 अभिभावक 15 अध्यापक 20 अन्य अधिकारी 7 जिला समन्वयक 4 लेखाधिकारी 1 सहायक लेखाकार 1	3– सक्रिय सामाजिक सहभागिता का अभाव 4– शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव 5– विकलांग बच्चो की शिक्षण व्यवस्था 6– सतत मूल्यांकन का अभाव
10–	ग्राम स्तर –5	9/10/2001	शयय नगला (कुन्दरकी)	अधिकारी 1 ग्राम प्रधान 1 बहुउद्देशीय कर्मी 1 अध्यापक 3 अभिभावक 10 ग्राम पंचायत सदस्य 4	1– भौतिक संसाधनो का अभाव 2– विद्यालय की चाहरी दीवारी न होना 3– भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में 4– बाल श्रमिको की अधिकता 5– ग्राम का आर्थिक पिछड़ापन
11–	ग्राम स्तर – 6	10/10/2001	ग्वारऊ	अधिकारी 1 ग्राम प्रधान 1 बहुउद्देशीय कर्मी 1 अध्यापक 4 अभिभावक 10 सदस्य 2 कुल 29	1– सतत मूल्यांकन का अभाव 2– अन्य विभागो का अध्यापकों पर भार 3– गांव का आर्थिक पिछड़ापन 4– विद्यालय का वातावरण आकर्षक न होना। 5– शिक्षण सामग्री का न होना 6– चाहर दीवारी का अभाव
12–	न्याय पचायत स्तर–2	10/10/2001	[illegible]	अधिकारी 2 एन0 पी0 आर0 सी0 1 ग्राम प्रधान 3 वी0 डी0 सी0 3 अध्यापक 3 अभिभावक [illegible]	1– आर्थिक पिछड़ापन 2– यातायात व्यवस्था असन्तोष जनक 3– अध्यापकों की कमी 4– सामाजिक जागरूकता का अभाव 5– [illegible] सुविधाओं का अभाव

				वहुउद्देशीय कर्मी 1 कुल 49	
13—	न्याय पंचायत स्तर–3	8/10/2001	मनकुआ मकसूदपुर (डिलारी वि0 क्षे0)	अधिकारी 1 एन0 पी0 आर0 सी0 1 ग्राम प्रधान 2 वी0 डी0 सी0 5 अध्यापक 10 अभिभावक 15 वहुउद्देशीय कर्मी 2 कुल 36	1—सतत मूल्यांकन का अभाव 2— अध्यापकों की कमी 3— शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूकता की कमी 4— भौतिक संसाधनों की कमी 5— अध्यापक से अन्य विभागों का कार्य करवाना।
14—	ब्लाक स्तर – 4	15/10/2001	बी0 आर0 सी0 कांठ	अधिकारी 3 वी0 डी0 सी0 1 अध्यापक 25 चिकित्सक 1 वी0 डी0 सी0 3 लेखपाल 1 वहुउद्देशीय कर्मी 2 अभिभावक 20 स्वयं सेवक 5 कुल 64	1— निरन्तर निरीक्षण पर्यवेक्षण का अभाव 2— अध्यापकों की कमी 3— शैक्षिक वातावरण के निर्माण का अभाव 4— सामाजिक सामजंस्य की अभाव 5— शैक्षिक संसाधनों की कमी
15—	ब्लाक स्तर –5	13/10/2001	बनियाखेड़ा, स्थान मीला [illegible]	अधिकारी 4 वी0 डी0 सी0 1 चिकित्सक 2 वी0 डी0 सी0 3 अध्यापक 45 अभिभावक 40 स्वयं सेवक 10 लेखपाल 1	1— अध्यापकों का ठहराव 2— विद्यालयों का अक्सर बन्द रहना। 3— छात्र अनुपात में अध्यापक का न होना। 4— विद्यालयों का वातावरण आकर्षक होना। 5— शैक्षिक संसाधनों का अभाव

				बहुउद्देशीय कर्मी 3 कुल 114	
16–	ग्राम स्तर –7	12/10/2001	चितोरी वि0 क्षे. बनिया खेडा	अधिकारी 1 ग्राम प्रधान (महिला) 1 उप प्रधान 1 बहुउद्देशीय कर्मी 1 अध्यापक 2 अभिभावक 10 कुल 16	1– विकलांग शिक्षा का अभाव 2– अध्यापकों की कमी 3– अन्य विभागों का कार्य होने के कारण विद्यालय बन्द रहना। 4– सतत मूल्यांकन का अभाव
17–	ग्राम स्तर – 8	10/10/2001	मथाना (छजलेट)	अधिकारी 1 ग्राम प्रधान 1 बी0 डी0 सी0 2 बहुउद्देशीय कर्मी 1 अध्यापक 4 अभिभावक 8 कुल 17	1– अध्यापकों की शिक्षण में अरुचि 2– बाहर दीवारी का अभाव 3– भवन की कमी 4– [illegible] 5– स्थान की कमी
18–	न्याय पंचायत स्तर –4	12/10/2001	मटपुरा वि0 क्षे0 असमोली	अधिकारी [illegible] एन0 सी0 आर0 सी0 1 अध्यापक [illegible] अभिभावक [illegible] कार्य [illegible] ग्राम प्रधान [illegible] बी0 डी0 सी0 0 कुल 47	1– शिक्षकों की व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व में कमी 2– [illegible] शैक्षिक साधनों का प्रयोग 3– [illegible] सामाजिक सहभागिता का प्रयोग 4– [illegible] श्रमिकों की अधिकता
19–	न्याय पंचायत स्तर –5	14/10/2001	[illegible] वि0 क्षे0 असमोली	अधिकारी [illegible] एन0 [illegible] ग्राम [illegible] उप प्र[illegible]	1– शिक्षकों की कमी 2– [illegible] असन्तोष [illegible] 3– प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव 4– [illegible] सामग्री के सही प्रयोग का

				बी0 डी0 सी0 4 अध्यापक 10 अभिभावक 10 चिकित्सक 1 लेखपाल 1 कुल 31	अभाव 5– भौतिक संसाधनो की कमी 6– निरन्तर पर्यवेक्षण का अभाव
20–	ब्लाक स्तर –6	15/10/2001	महजाई बी0 के0 महजाई	अधिकारी 4 बी0 आर0 सी0 1 ए0 बी0 आर0 सी0 1 एन0 पी0 आर0 सी0 6 अध्यापक 40 चिकित्सक 2 लेखपाल 1 अभिभावक 30 ग्राम प्रधान 3 बी0 डी0 सी0 4 कुल 92	1– शिक्षण पद्धति के आधुनिक संसाधनो का अभाव 2– आर्थिक पिछापन 3– पाठ पुस्तको का सही समय पर वितरण नही। 4– कमजोर बच्चो पर विशेष ध्यान नही दिया जाता। 5– शिक्षको की कमी 6– अभिभावको मे जागरूकता का अभाव
21–	ग्राम स्तर – 9	14/10/2001	[illegible]	अधिकारी 1 ग्राम प्रधान 1 अध्यापक 3 अभिभावक 10 स्वयं सेवक 2 सदस्य 3 कुल 19	1– भवन की कमी 2– अध्यापको की कमी 3– [illegible] की अधिकता 4– अभिभावको की शिक्षा मे रूचि का अभाव 5– सतत मूल्यांकन का अभाव
22–	ग्राम स्तर–10	[illegible]	[illegible]	[illegible] ग्राम प्रधान [illegible] [illegible] 2 अध्यापक [illegible]	1– अध्यापको की संख्या मानक अनुसार नही है। 2– शिक्षण सामग्री का अभाव 3– [illegible] के समाज मे सामंजस्य नही

				अभिभावक 5 स्वयं सेवी 2 कुल 15	है। 4– भौतिक संसाधनों की कमी।
23–	ग्राम स्तर – 11	6/10/2001	[illegible]	अधिकारी 2 ग्राम प्रधान [illegible] मेम्बर 3 अध्यापक 1 अभिभावक 4 चिकित्सक 1 [illegible] कुल 13	1– अध्यापकों की कमी 2– [illegible] 'सेन्सस' का कार्य अधिक होने के कारण विद्यालय का अधिकतर बन्द रहना। 3– ग्राम वासियों का असहयोग 4– बच्चों में शिक्षा के प्रति अरुचि।
24	न्याय पंचायत स्तर–6	6/10/2001	[illegible] बिलारी	अधिकारी 1 एन0 पी0 आर0 सी0 1 अध्यापक 9 अभिभावक 11 ग्राम प्रधान 2 उप प्रधान 1 बहुउद्देशीय कर्मी 1 लेखपाल 1 कुल 27	1– पाठ्य पुस्तकों का वितरण समय से नहीं 2– शिक्षण पद्धति का आधुनिक न होना। 3– अध्यापकों में कार्य कुशलता की कमी। 4– भौतिक संसाधनों का अभाव, 5– अध्यापकों का ठहराव विद्यालय में न होना।
25–	न्याय पंचायत स्तर –7	11/10/2001	[illegible] वि0 क्षे0 विलारी	अधिकारी 2 एन0 पी0 आर0 सी0 1 ग्राम प्रधान 1 मेम्बर 7 अध्यापक 13 अभिभावक 12 चिकित्सक 1 ग्राम विकास अधि0 1	1– अध्यापकों की संख्या छात्रों के अनुपात में नहीं। 2– शैक्षिक वातावरण निर्माण में सामाजिक सहभागिता का अभाव 3– शैक्षणिक परामर्श का अभाव 4– शिक्षकों पर अन्य विभागों का अतिरिक्त भार होना। 5– आर्थिक पिछड़ापन

			कुल 38	
ब्लाक स्तर –7	12/10/2001	वि0 क्षे0 ठाकुरद्वारा	अधिकारी 3 बी0 आर0 सी0 1 एन पी0 आर0 सी0 1 एन0 पी0 आर0 सी0 3 अध्यापक 20 अभिभावक 25 चिकित्सक 3 स्वयं सेवी 8 ग्राम प्रधान 1 मेम्बर 2 लेखपाल 1	1– मानक के अनुरूप अध्यापकों का अभाव 2– [illegible] अध्यापकों की कमी। 3– अन्य विभागों का अतिरिक्त भार होना 4– शिक्षण पद्धति को आधुनिक तरीकों से अपनाने की अज्ञानता 5– भौतिक संसाधनों की कमी
ग्राम स्तर – 12	9/10/2001	राजा का सहसपुर वि0 क्षे0 बिलारी	अधिकारी 1 ग्राम प्रधान 1 मेम्बर 2 अध्यापक 3 अभिभावक 5 अन्य 2 कुल 14	1– ग्राम में शैक्षिक वातावरण का अभाव 2– अध्यापकों की कमी 3– भवन की दशा सन्तोष जनक नहीं है। 4– सतत मूल्यांकन का अभाव 5– सामाजिक अरूचि
ग्राम स्तर – 13	9/10/2001	भगवानपुर वि0 क्षे0 मुरादाबाद	ग्राम प्रधान 1 उप प्रधान 1 बहुउद्देशीय कर्मी 1 लेखपाल 1 मैनेजर बैंक 1 अध्यापक 3 अभिभावक 8 कुल 16	1– छात्र संख्या अधिक 2– स्थान उपलब्ध नहीं 3– शिक्षण सामग्री का अभाव 4– सामाजिक सहभागिता का अभाव

[illegible] 14	10/10/2001	सेरूपा वि0 क्षे0 मुरादाबाद	अधिकारी 1 प्रधान (महिला) 1 बहुउद्देशीय कर्मी 1 मेम्बर 3 अध्यापक 2 अभिभावक 6 अन्य 2 कुल 16	1– छात्र अनुपात में अध्यापक है। 2– बच्चो की संख्या अधिक है। स्थान पर्याप्त नही है। 3– अन्य विभागों के कार्यों मे व्यस्त रहने के कारण विद्यालय अधिक बन्द रहते है।
ग्राम स्तर – 15	11/20/2001	सिरनी मु0 पुर (पंचायत)	अधिकारी 1 बी0 आर0 सी0 1 एन0 पी0 आर0 सी0 1 ग्राम प्रधान 1 मेम्बर 4 बहुउद्देशीय कर्मी 1 लेखपाल 1 अध्यापक 4 अभिभावक 10 कुल 23	1– विद्यालय में चाहर दीवारी का अभाव 2– छात्र संख्या के अनुपात में कक्षों की संख्या कम। 3– शिक्षको पर अन्य विभागों के कार्य का अतिरिक्त बोझ 4– सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन 5– पाठय पुस्तको का सत्र के प्रारम्भ में उपलब्ध न होना।

आज दिनांक 11/10/2001 को न्याय पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय ग्राम के सामुदायिक सहभागिता की गोष्ठी ग्राम मनकुआ मकसूदपुर वि0 क्षेत्र डिलारी के प्रा0 विद्यालय में की गई जिसमें निम्न प्रतिभागियों ने भाग लिया -

- ग्राम के प्रधानों की संख्या	6
- महिला शिक्षा संघ की संख्या	15
- स्वयं सेवी संस्था के सदस्यों की संख्या	6
- शिक्षक सेवा युवक की संख्या	3
कुल प्रतिभागियों की संख्या	30

गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई तथा सुझाव आए -

- बालिका शिक्षा -

ग्राम प्रधान सिकन्दरपुर नजरपुर के प्रधान ने प्रस्ताव रखा कि बालिकाओं के लिए विद्यालय में शौचालयों का होना परमावश्यक है ग्राम प्रधान श्री हाजी नब्बू ने बताया कि हमने देखा है व अध्यापकों से भी हमें ज्ञात हुआ है कि जिस विद्यालयों में शौचालय नहीं है उस विद्यालय में छात्राओं की संख्या कम होती है और जिन विद्यालयों में शौचालय नहीं है वहां छात्राओं को समस्याएं आती है इसलिए सात आठ साल के बाद वे स्कूल में नियमित पढ़ने नहीं जाती।

2— महिला शिक्षा तथा प्रा0 वि0 की महिला श्रीमती छट्टो बेगम ने यह प्रस्ताव रखा कि सरकार को चाहिए कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक

महिलाओं का होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सी छात्राएं ऐसी है जो कि पुरुष अध्यापकों से पढ़ना नहीं चाहती बहुतायत रूप से देखा गया है कि जहां पर अध्यापिकाएं कार्यरत है छात्राओं की बहुतायत है यह प्रस्ताव श्रीमती छुट्टो बेगम ने रखा।

3– महिला शिक्षा संघ की सदस्या छुट्टो बेगम ने ही यह प्रस्ताव रखा कि महिला शिक्षा संघ की सदस्याओं को न्याय पंचायत या विकास क्षेत्र स्तर पर प्रशिक्षण देना परमावश्यक है। जिसकी व्यवस्था की जाये।

4– गोष्ठी में बे0 प्रा0 पा0 अहमदपुर आनन्दपुर के प्रधान अध्यापक श्री शाहिद हुसैन ने यह प्रस्ताव रखा कि कही भी विद्यालय भवन सही दशा में नही है इसकी पुष्टि उपस्थित सभी व्यक्तियों ने की क्योंकि कही पर विद्यालय का फर्श टूटा है कहीं नल नही है, कही शौचालय नही है, कही किवाड खराब है बहुत से विद्यालय खुले रहते है। अतः विद्यालय भवन की दशा सुधारी जाये। विद्यालयो की मरम्मत तथा चार दीवारी की व्यवस्था की जाये।

5– श्री मौ0 उमर ग्राम प्रधान ने यह प्रस्ताव रखा कि छात्र संख्या के अनुपात में अध्यापको की नियुक्ति तथा बच्चो के बैठने की व्यवस्था हेतु अतिरिक्त कक्ष एवं कक्षाओं का निर्माण कराया जाये।

तत्पश्चात न्याय पंचायत पर क्षेत्र ग्राम की सामुदायिक सहभागिता की गोष्ठी का समापन किया गया।

गोष्ठी

आज दिनांक 12/10/2001 को न्याय पंचायत जहांगीरपुर में न्याय पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय ग्राम के सामुदायिक सहभागिता की गोष्ठी ग्राम जहांगीरपुर प्रा0 वि0 पर की गई जिसमें निम्न प्रतिभागियों ने उपस्थित होकर सहभागिता की।

1—	ग्राम प्रधान	—	5
2—	महिला शिक्षक संघ	—	7
3—	अभिभावक शिक्षा संघ	—	8
4—	स्वयं सेवी संस्था के सदस्य	—	5
5—	शिक्षक सेवा मुक्त	—	2
	कुल		27

गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा सुझाव आये।

1— बालिका शिक्षा —

प्राथमिक विद्यालयों मे शौचालय बनवाने की व्यवस्था की जाये। यह सुझाव ग्राम प्रधान श्री नवीन कुमार ने दिया।

2— प्राथमिक विद्यालयो में कम से कम दो अध्यापको की नियुक्ति की जाये यह सुझाव ग्राम प्रधान जलालपुर श्री राम सिंह ने दिया।

3— महिला शिक्षक संघ की सदस्य श्रीमती केला देवी उप प्रधान सिढावली ने प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापिका का सुझाव दिया।

4-- महिलों शिक्षक संघ व अभिभावक संघ को प्रशिक्षण दिलाया जाये सुझाव श्रीमती रेवती देवी सदस्य महिला संघ ने दिया।

5-- प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त भवनों को बनवाया जाये जिससे बच्चों की बैठक व्यवस्था ठीक हो सके। यह सुझाव चन्द्रवीर सिंह सदस्य जहांगीरपुर ने दिया।

6-- विद्यालय भवनों पुनः का निर्माण करवाया जाये। यह सुझाव शिक्षा मित्र जहांगीरपुर ने दिया।

7-- विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति कराई जाये जिससे शिक्षण कार्य ठीक प्रकार से चल सके। यह सुझाव यासीन खां प्रधान ने दिया।

8-- अध्यापकों को अतिरिक्त कार्यों में न लगाया जाये यह सुझाव ग्राम प्रधान श्री नवीन कुमार व श्री पदम सिंह जी ने दिया।

9-- विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था ठीक कराई जाये खराब नलों की मरम्मत कराये जाने का सुझाव गायत्री देवी सदस्य ग्राम सभा सिढावली ने दिया।

10-- जर्जर विद्यालयों को बनवाया जाये व मरम्मत योग्य भवनों की मरम्मत शीघ्र करायी जाये यह सुझाव सेवा मुक्त अध्यापक श्री राजेन्द्र पाल सिंह व श्री रूप सिंह जी जहांगीरपुर ने दिया।

आज दिनांक 13/10/2001 को न्याय पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय ग्राम के सामुदायिक सहभागिता की गोष्ठी ग्राम सुल्तानपुर दोस्त में हुई जिसमें निम्न प्रतिभागियों ने उपस्थित होकर सहभागिता की।

1--	ग्राम प्रधान	--	12
2--	महिला शिक्षक संघ	—	10
3--	स्वयं सेवी संस्था के सदस्य	—	2
4--	शिक्षक सेवा मुक्त	—	4
	कुल		28

गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा निम्नलिखित सुझाव आये।

1-- बालिका शिक्षा –

प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय में शौचालय होना चाहिए यह सुझाव श्रीमती रेखा रानी ग्राम प्रधान सुल्तानपुर दोस्त ने दिया।

2-- प्राथमिक विद्यालयों में –

प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका तथा शिक्षा मित्र अध्यापिका होनी चाहिए यह सुझाव श्रीमती तारावती ग्राम प्रधान सुन्दर नगर ने दिया।

3– अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जायें।

4– प्रत्येक विद्यालय में दो कमरे एक बरामदा अवश्य होना चाहिये यह सुझाव श्री इन्द्रजीत सिंह भूतपूर्व ग्राम प्रधान उस्मानपुर ने दिया।

5– विद्यालय की चार दीवारी करा दी जाये जिससे विद्यालय में रुकावट की जा सके श्री मगन सिंह स्वयं सेवी उस्मानपुर ने सुझाव दिया।

6– प्रत्येक विद्यालय में पानी पीने के लिए हैण्ड पम्प होना चाहिये यह स्वंय सेवी ओम प्रकाश सरकड़ा ख्वास ने सुझाव दिया।

7– सभी पुराने भवनो की तुरन्त मरम्मत की जाये यह सुझाव श्री मनोज कुमार ग्राम प्रधान आलमपुर ने दिया।

आज दिनांक 12/10/2001 को न्याय पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय ग्राम के सामुदायिक सहभागिता की गोष्ठी ग्राम कल्यानपुर में की गयी। जिसमें निम्न प्रतिभागियों ने उपस्थित होकर सहभागिता की।

1–	ग्राम प्रधान	–	8
2–	महिला शिक्षक संघ	–	13
3–	स्वयं सेवी संस्था के सदस्य	–	5
4–	प्रधान अध्यापक	–	4
	कुल		30

गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा निम्नलिखित सुझाव आये।

1– बालिका शिक्षा–

प्राथमिक विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय में शौचालय होना चाहिए यह सुझाव श्रीमती गंगादेई ग्राम प्रधान बीरूवाला ने दिया।

2– प्राथमिक विद्यालयों में 1 अध्यापिका तथा 1 शिक्षा मित्र अध्यापिका होनी चाहिए और विद्यालय में एक सहायिका होनी चाहिए यह सुझाव श्रीमती प्रवेश कुंवर ने दिया।

3– अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाये।

4— प्रत्येक विद्यालय में दो कमरे एक बरामदा अवश्य होना चाहिएं। यह सुझाव श्री प्रकाश सिंह सलारपुर ने दिया।

5— विद्यालय की चाहर दीवारी करा दी जाये जिससे विद्यालय में सजावट की जा सके। यह विचार श्री शकिर हुसैन जी स्वयं सेवक के थे।

6— जर्जर विद्यालय भवनो को तुरन्त बनवाया जाये तथा अतिरिक्त कक्ष बनवाये जाये यह सुझाव श्री रमेश सिंह प्र0 अ0 सहसपुरी ने दिया।

गोष्ठी

आज दिनांक 13/10/2001 को न्याय पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय ग्राम के सामुदायिक सहभागिता की गोष्ठी ग्राम सरकडा खास द्वितीय मे हुई जिसमे निम्न प्रतिभागियों ने उपस्थित होकर सहभागिता की।

1--	ग्राम प्रधान	--	6
2--	महिला शिक्षक संघ	--	6
3--	अभिभावक शिक्षा संघ	--	5
4--	स्वयं सेवी संस्था के सदस्य	--	6
5--	शिक्षक सेवा मुक्त	--	2
	कुल		25

गोष्ठी मे निम्न बिन्दुओ पर चर्चा की गयी तथा निम्नलिखित सुझाव आये।

-- बालिका शिक्षा प्राथमिक विद्यालयो में शौचालय बनवाने की व्यवस्था की जाये। सुझाव ग्राम प्रधान श्री विमल कुमार शर्मा।

-- प्राथमिक विद्यालयो मे कम से कम दो अध्यापिकाओ की नियुक्ति की जाये।

-- महिला शिक्षक संघ व अभिभावक संघ को प्रशिक्षण दिया जाये।

- विद्यालयो की मरम्मत कराई जाये। यह सुझाव अध्यापको ने दिया।

5— नवीन भवनों का निर्माण करवाया जाये।

6 अध्यापकों के अनुपात के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाये।

7— सामान्य बच्चों की तरह अक्षम बच्चों पर ध्यान दिया जाये उनका स्वास्थ्य परीक्षण सर्टिफिकेट तथा उचित यन्त्र दिलाये जाये।

8— अध्यापकों से अन्य कार्यों में न लगाया जाये।

9— खराब नलों की मरम्मत कराई जाये सुझाव ग्राम प्रधान यादराम जाटव।

10— उपरोक्त सुझाव दो ग्राम प्रधान व अन्य सदस्यों के सुझाव आये।

आज दिनांक 14/10/2001 को न्याय पचायत स्तर पर क्षेत्रीय ग्राम के सामुदायिक सहभागिता की गोष्ठी ग्राम वहेडी ब्रहमनान की गई जिसमे निम्न प्रतिभागियों ने उपस्थित होकर सहभागिता की।

1— ग्राम प्रधान —

2— महिला शिक्षक संघ —

3 स्वयं सेवी संस्था के सदस्य —

4 — शिक्षक सेवा मुक्त —

कुल प्रतिभागी

गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा निम्नलिखित सुझाव आये।

1 — बालिका शिक्षा के लिए निम्न सुझाव आये ग्राम प्रधान श्रीमती सलोचना पुष्कर वहेडी ब्रहमनान ने सुझाव दिया कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापिका का होना आवश्यक जिसकी व्यवस्था विभाग द्वारा की जाये।

2— श्रीमती सावित्री देवी महिला शिक्षक संघ ने सुझाव दिया कि विद्यालयो में शौचालय का होना बालिकाओ के महिला, अध्यापिकाओं के लिये होना चाहिए जिसकी व्यवस्था की जाये।

3— श्री आशाराम शर्मा प्र० अ० मिर्जापुर ने पेयजल व्यवस्था पर सुझाव दिया कि हैण्ड पम्प लगाये परन्तु उनकी मरम्मत नही हो रही है विभाग हेण्ड पम्पो को सही कराने का प्रयास करें।

4— माता महिला शिक्षक संघ व अभिभावक शिक्षक संघ को प्रशिक्षण दिलाया जाये।

5— जर्जर विद्यालयो का नवीनीकरण कराया जाये तथा विद्यालयों की मरम्मत करायी जाये।

6— छात्रो के अनुपात के आधार पर शिक्षको की नियुक्ति की जाये।

7— जिन ग्राम सभा व मझरो में विद्यालय 1.5 कि॰मी॰ से दूर है उनमे विद्यालय खुलवाये जाये।

आज दिनाक 15-10-2001 को न्याय पंचायत स्तर पर [illegible] ग्राम के सामुदायिक सहभागिता की गोष्ठी ग्राम डिलारी में हुई जिसमें निम्न प्रतिभागियों ने उपस्थित होकर सहभागिता की।

1–	ग्राम प्रधान	–	6
2–	महिला शिक्षक संघ	–	4
3–	स्वयं सेवी संस्था के सदस्य	–	5
4–	शिक्षक सेवा मुक्त	–	4
5–	वी0 डी0 सी0 सदस्य	–	7
	कुल		26

गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गयी तथा निम्नलिखित सुझाव आये।

1– जीर्ण–शीर्ण विद्यालयो का भवन पुनः बनना चाहिए।

2– जिन विद्यालयो में टूट फूट है उनकी मरम्मत शीघ्र होनी चाहिए ताकि कही कोई घटना न घट जाये।

3– बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय में कम से कम एक अध्यापिका की नियुक्ति विभाग द्वारा की जाये।

4– विद्यालयो के शौचालय अधिकतर बन्द है जिससे बालिकाओ को परेशानी होती है बनवाये जाये व मरम्मत करायी जाये।

5– विद्यालयो में छात्रो की संख्या बहुत बढी है अतः उनमें अध्यापक संख्या भी बढायी जाये। ताकि शिक्षण कार्य अच्छी प्रकार किया जा सके।

6– अभिभावक संघ व माता महिला संघ के सदस्यों को भी ऐसा प्रशिक्षण दिया जाये कि वह भी विभागीय आदेशो की जानकारी प्राप्त कर सके तथा शिक्षा के [illegible] अभिभावको को समझा सके।

[illegible] विद्यालय के नलो को शीघ्र ठीक कराया जाये।

ब्लाक ठिलारी ग्राम पंचायत करनपुर जनपद—मुरादाबाद

गोष्ठी स्थल	प्रतिभाग	
ग्राम सभा	ग्राम प्रधान	01
करनपुर सेमली	उप प्रधान	01
	शिक्षा समिति सदस्य	05
	अल्पसंख्यक महिला	10
	वी0 डी0 सी0 सदस्य	2
	महिला शिक्षा समिति सदस्या	5
	कुल प्रतिभाग	24

शिक्षा के लिए विचार बिन्दुओं पर निम्न सुझाव -

1 बालिकाओं की शिक्षा।

श्री मोहम्मद हनीफ ग्राम प्रधान का कहना था कि विद्यालयों में बालिका शिक्षा के लिए शिक्षिकाओं की व्यवस्था की जाये क्योंकि बहुत सी बात बालिका अध्यापक से नहीं करती।

2– बालिका शिक्षा के लिए विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था होनी जरूरी है कक्षा 5 तक की बालिका के लिए प्रत्येक विद्यालय में शौचालय बनवाया जाये।

3– महिला शिक्षा समिति सदस्या श्रीमती सन्तोश कुमारी, कु0 पूर्णिमा व खातून और जहरी बेगम का कहना था कि चयनित ग्राम की महिलाओं को समझाया जाये

बताया जाये — कार्यशाला करके कि महिला के सहयोग की किस तरह का सहयोग बालिका शिक्षा के लिए आवश्यक है। उनको प्रोत्साहन भी दिया जाये।

4— श्री रतन लाल शर्मा मा0 रामराम सिंह—फूल चन्द्र, [illegible] दास का कहना था कि हम बालिका शिक्षा के लिए अभिभावक से सम्पर्क तथा जनजागरण प्रक्रिया के माध्यम से बालिका को विद्यालयो मे प्रवेश करा सकते हैं परन्तु उनकी शिक्षा लिए बैठने की व्यवस्था के लिए स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यालय भवनो की दशा सुधारी जाये छात्र संख्या के [illegible] को देखते हुए ठहराव के लिए विद्यालय भवनो में अतिरिक्त कक्षा कक्षो का निर्माण कराया जाये।

5— बालिका शिक्षा के लिए ग्राम सर्वेक्षण आधार मे जनसम्पर्क अभिभावक सम्पर्क की व्यवस्था की जाये।

6— विद्यालयो को उपयुक्त स्थान तथा पेय जल व्यवस्था से सुसज्जित किया जाये। श्री पूरन सिंह का कहना था।

7— श्रीमती ओमवती राजकुमारी, दयादेवी का कहना था कि बालिका शिक्षा के लिये ग्राम के चयनित संगठनो को ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये जो बालक तथा बालिका के भेदभाव को दूर करें।

ब्लाक डिलारी   न्याय पंचायत सुल्तानपुर दोस्त   जनपद—जलालपुर खालसा

गोष्ठ में प्रतिभाग संख्या

प्रधान	03
भूतपूर्व प्रधान	02
भूतपूर्व शिक्षक	05
ग्राम शिक्षा समिति	
महिला सदस्य	10

कुल प्रतिभाग	20

विचार बिन्दु —

प्राथमिक विद्यालय — .

1   ग्राम प्रधान श्री इन्द्रजीत सिंह का कहना था कि सरकार चाहती है कि सब बच्चों को शिक्षा की धारा से जोड़ा जाये इसलिए शिक्षकों का जनसम्पर्क किया जा रहा है परन्तु विद्यालय भवन की दशा की ओर ध्यान दिया जाये। ग्राम वासी भूमि उपलब्ध करा सकते है परन्तु विद्यालय भवनो का एक रूप निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण सरकार की ओर से व्यवस्था की जाये।

2—   श्री राम कुंवर सिंह , इरफान सिंह का कहना था कि ब्लाक व न्याय पंचायतो में विद्यालयो की दशा जीर्ण—क्षीर्ण है उन्हे पुनः निर्माण की व्यवस्था की जाये।

3– विद्यालयों मे चाहरदीवारी का अभाव विद्यालयों के सौंदर्यकरण में एक बाधा है जिसकी व्यवस्था की जाये यह सुझाव भी दिग्विजय सिंह का था।

4– न्याय पंचायत समन्वयक श्री दिग्पाल सिंह का कहना था कि अधिकांश विद्यालय भवन एक कक्षा कक्ष व बरामदा निर्मित है बच्चों के प्रवेश को देखते हुए उनके ठहराव के लिए बैठने के भवनों में विस्तार करना जरूरी है एक या दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनवाये जाये।

5– ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों का कहना था कि विद्यालय भवन के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकारी तौर पर ग्राम समितियों को विद्यालय अनुदान की व्यवस्था की जाये।

6– सर्व प्रति भागियों का कहना था कि समय–समय पर ग्रामों के सहयोग की समीक्षा की जाये तथा अच्छे कार्य किये जाने पर ग्राम शिक्षा समितियों को प्रोत्साहित किया जाये।

ब्लाक वार स्कूल न जाने वाले बच्चो की संख्या जनपद - मुरादाबाद

		6-11			11-14		
	ब्लाक का नाम	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	संभल	4229	5084	9313	2482	2983	5465
2	कुन्दरकी	2877	3459	6336	3631	4364	7995
3	भजोही	3262	4067	7329	2647	3299	5946
4	बिल्लारी	3562	4440	8002	2014	2510	4524
5	बनियाखेरा	3142	4090	7232	1755	2286	4041
6	पवनशाह	2676	3518	6194	1659	2178	3836
7	मुण्डापाण्डे	2737	3291	6028	1460	1756	3216
8	दिलारी	2032	2443	4475	994	1196	2190
9	असमोली	1471	1833	3304	832	1038	1870
10	मुरादाबाद	1237	1542	2779	1000	1246	2246
11	टाकुरद्वारा	1527	1988	3515	583	759	1342
12	भगतपुरटांडा	725	952	1677	448	588	1036
13	छजलैट	117	168	285	177	254	431
14	नगर क्षेत्र	787	1132	1919	1244	1789	3033
	योग	30380	38008	68388	20923	26248	47171

स्रोत - माइक्रोप्लानिंग ऑकड़े

अध्याय–4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

वर्तमान भौतिक वादी युग मे समाज का प्रत्येक वर्ग एवं अशिक्षित समाज प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण कर सके तथा विद्यालयो में शैक्षिक वातावरण स्थापित करने हेतु शिक्षको के साथ समुदाय की भी भागीदारी सुनिश्चित हो इसके लिये भारत सरकार द्वारा कक्षा एक से आठ तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान संचालित करने का निर्णय लिया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुर्न निर्धारित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवी पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसवी योजनाओ 75 : 25 तथा उससे आगे की योजना में 50 : 50 रहेगा इसको निम्नवत स्पष्ट कर सकते है।

योजना	वर्ष	केन्द्र राज्य अंशदान
नवी पंचवर्षीय योजना	1997–2002	85:15
10 वीं पंचवर्षीय योजना	2002–2007	75:25
ग्यारवी पंचवर्षीय योजना	2007–2012	50:50

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा एक से आठ तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप निम्नलिखित लक्ष्य/उददेश्य निर्धारित किये गये है –

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य –

6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक (आउटर लिमिट) उपयोगी एवं प्रसांगि प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना। सामजिक, क्षेत्रीय तथा जेण्डर सम्बन्धी विषमताओं को दूर करना।

ई0 सी0 सी0 ई0 के महत्व को देखते हुये वय वर्ग का विस्तार 0–14 करना। आई0 सी0 डी0 एस0 के प्रयास को समर्थन देना एवं जहां आई0 सी0 डी0 एस0 ए0 का क्षेत्र नहीं है वहां विशेष रूप से पूर्व विद्यालीय सेवा उपलब्ध कराना।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य –

– 2003 तक सभी बच्चों को औपचारिक विद्यालय, शिक्षा गारन्टी केन्द्रों, वैकल्पिक विद्यालय, वापस विद्यालय वाले कैम्पों आदि में नामांकन।

– 2007 तक कक्षा 5 तक की शिक्षा सभी पूरी करें।

– 2010 तक कक्षा 8 तक की शिक्षा सभी पूरी करें।

– सन्तोष जनक गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।

– जेण्डर तथा सामाजिक विषमताओं को प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक 2010 तक समाप्त करना।

शत प्रतिशत धारण 2010 तक।

उपरोक्त अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिये विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये है, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

भारत की जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या की नई स्थिति जनपद वार प्राप्त की गयी है, 1991 की जनगणना के जनसंख्या के आंकडों को आधार मानते हुये विगत दस वर्षों में जनपद मुरादाबाद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर कम्पाउंड रेट आफ ग्रोथ मेथड से मुरादाबाद जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गई। इस जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.4 प्रतिशत है। इस दर से वर्ष 2002 से 2010 तक की अनुमानित जनसंख्या का आकलन किया गया है। जनगणना 2001 की जनसंख्या में आयु वर्ग वार आंकडे अभी उपलब्ध नहीं है इसलिये 1991 की जनगणना के आधार पर आयु वर्ग वार जनसंख्या के प्रतिशत को माना गया है। -

वर्ष 2001 की जनणगाना के विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या ग्रामीण/नगरीय, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिये विशिष्ट आंकडे उपलब्ध होने पर इन आंकडो का पर्यावलोकन आगामी वार्षिक योजना में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी0 ई0 आर0 को आधार मानकर इन्रोलमेन्ट रेशियो मेथड से 2002–2010 तक का जी0 ई0 आर0 प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी0 ई0 आर0 तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिये नामांकन प्रक्षेपित किया गया है।

प्राथमिक स्तर (6–11) के लिये वर्ष 2007 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11–14) के लिये वर्ष 2010 तक शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूंकि कुल नामांकन में कुछ अधिक आयु तथा कम आयु के ऐसे बच्चे भी होंगे अतः जी0 ई0 आर0 का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी0 ई0 आर0 में वृद्धि कम होगी क्योंकि जितने बच्चे 6–11 वर्ष व 11–14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेंगे।

वर्ष 2001–2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6–11 वर्ष के बच्चो की संख्या व नामांकन का लक्ष्य निम्नवत है

सारणी 4.1 (प्राथमिक स्तर पर नामांकन का लक्ष्य)

6–11 वर्ग के बच्चों की संख्या			नामांकन			जी0 ई0 आर		
बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग			
273224	218241	491465	251809	196325	448134	92.16	89.85	91.18
279781	223478	503259	271387	206709	478096	97	95.49	95
286496	228842	515338	291649	228842	520491	101	100	101
300412	239958	540370	330456	258547	589003	110	107.74	109
307622	245717	553390	347612	272184	619796	113	110.77	112
315005	251614	566619	356555	289390	645945	115	115.01	115
322880	257653	580533	374540	298878	673418	116	116	116
330630	263837	594467	390143	311328	701471	118	118	118
338565	270169	608734	409630	320610	730240	121	118.67	120

स्रोत – विभागीय आंकडे

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्ष वार जनपद की 6–11 वर्ष के बच्चों की संख्या एवम् परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन का लक्ष्य

सारणी 4.2

क्रमांक	वर्ष	6–11 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता, गैर मान्यता प्राप्त नामांकित की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं (वर्षवार)	एन0 ई0 आर0	बालिका अनु0 जाति बालक का प्रतिशत (परिषदीय)
1–	2001–02	491465	448134	149800	298334	43331	91	[illegible]
2–	2002–03	501294	471217	152796	318421	30078	94	[illegible]
3–	2003–04	511320	501094	155852	345242	10226	98	231312
4–	2004–05	521547	521547	158869	362578	0	100	242927
5–	2005–06	531978	531978	162148	369829	0	100	247786
6–	2006–07	542617	542617	165391	377226	0	100	252741
7–	2007–08	553469	553469	168699	384770	0	100	257796
8–	2008–09	564539	564539	172073	392466	0	100	262952
9–	2009–10	576350	575830	175515	400315	0	100	268211

वर्ष 2001 से 2010 तक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का लक्ष्य इस आधार पर रखा गया है कि वर्ष 2004–05 में एन0 ई0 आर0 100 तक पहुंच गया तथा उसके बाद भी एन0 ई0 आर0 100 बना रहे।

वर्ष 2001–2002 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 11–14 वर्ष के बच्चों की संख्या व नामांकन का लक्ष्य निम्नवत है

सारणी 4.1 (उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन का लक्ष्य)

सारणी 4.3

वर्ष	11–14 वर्ग के बच्चा की संख्या			नामांकन			जी0 ई0 आर		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग			
2001–02	95572	77070	172642	71887	53584	1254671	75.2	69.52	72.67
2001–03	97353	79431	176784	75239	59116	134355	77.28	74.42	76
2003–04	99690	81337	181027	82113	64518	146631	82.36	79.32	81
2004–06	104532	85288	189820	96792	75944	172736	92.59	89.04	91
2005–07	107041	87335	194376	106101	78556	184657	99.12	89.94	95
2006–08	109610	89431	199041	109500	87550	197050	99.89	97.89	99
2007–09	112241	91577	203818	114341	97619	211970	101.87	106.60	104
2008–10	114934	93775	208709	118358	104960	223318	102.97	111.92	107
2009–10	117693	96026	213719	124598	110492	235090	105.86	115.06	110

वर्ष 2001 से 2010 तक लक्ष्य इस आधार पर निर्धारित किया गया जिसमें वर्ष 2010 तक जी0 आइ0 आर0 लगभग 110 करने का लक्ष्य रखा गया है

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्ष वार जनपद की 11–14 वर्ष के बच्चों की संख्या एवम् परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन का लक्ष्य

सारणी 4.4

क्रमांक	वर्ष	6–11 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	मान्यता/गैर मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की संख्या	परिषदीय नामांकित बच्चों की संख्या	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय में नहीं जा रहे हैं (वर्षवार)	एन0 ई0 आर0	बालिका, अनु0 जाति बालक का प्रतिशत (परिषदीय)
1–	2001–02	172642	125471	90499	34972	47171	73	23431
2–	2002–03	176095	149681	92309	57372	26414	85	38439
3–	2003–04	179617	167044	941155	72888	12573	93	48835
4–	2004–05	183209	183209	96038	87171	0	100	58404
5–	2005–06	186873	186873	97959	88914	0	100	59573
6–	2006–07	190611	190611	99918	90693	0	100	60764
7–	2007–08	194423	194423	101917	92506	0	100	61979
8–	2008–09	198311	198311	103955	94356	0	100	63219
9–	2009–10	202278	202278	106034	96244	0	100	64483

वर्ष 2001 से 2010 तक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का लक्ष्य इस आधार पर रखा गया है कि वर्ष 2004–05 में एन0 ई0 आर0 100 तक पहुंच गया तथा उसके बाद भी एन0 ई0 आर0 100 बना रहे।

ठहराव के लक्ष्य -

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला मुरादाबाद की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तद्नुसार प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये है, जो वर्षवार निम्नवत है –

सारणी 4.5

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर ड्राप की दर	उ0 प्रा0 स्तर पर ड्राप आउट की दर
2000–2001	59	32
2001–2002	52	28
2002–2003	45	24
2003–2004	35	20
2004–2005	25	16
2005–2006	15	12
2006–2007	5	8
2007–2008	0	4
2009–2010	0	0

वर्ष 200 -- 200 में ड्राप आउट रेट 59 प्रतिशत को 2006–07 में 05 प्रतिशत तथा 2007–08 में 0 प्रतिशत तक लाया जायेगा।

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में ड्राप आउट के सम्बन्ध में हुई प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर को तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट ज्ञात करने हेतु पृथक–पृथक कोहोट स्टडी करायी जायेगी।

ड्राप आउट रेट के आधार पर धारण का लक्ष्य निम्नवत अपेक्षित है।

सारणी 4.6

क्र०सं०	वर्ष	प्राथमिक विद्यालय में धारण की दर	उच्च प्राथमिक विद्यालय में धारण की दर
1–	2001–02	41	68
2–	2002–03	48	72
3–	2003–04	55	76
4–	2004–05	65	80
5–	2005–06	75	84
6–	2006–07	85	88
7–	2007–08	95	92
8–	2008–09	100	96
9–	2009–10	100,	100

धारण. ड्राप आउट को कम होने पर धारण के उसी प्रतिशत में वृद्धि होगी धारण 2007–08 में 100 प्रतिशत किया जायेगा।

सारणी 4.7

सम्प्राप्ति स्तर का लक्ष्य

(मध्यमान प्रतिशत)

क0 स0	कक्षा—1	भाषा				गणित			
		प्रारम्भिक मूल्यांकन		मध्य स्तरीय मूल्यांकन		प्रारम्भिक मूल्यांकन		मध्यस्तरीय मूल्यांकन	
	सत्र	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका	बालक	बालिका
1—	2001—02	54.1	52.7	74.4	72.42	40.79	38.36	85.9	88.13
2—	2001—02	55.0	52.9	75.0	74.00	41.00	39.00	86.0	89.00
3—	2002—03	56.0	53.4	76.0	75.00	41.00	39.00	86.0	90.00
4—	2003—04	57.0	54.0	78.0	77.00	42.00	40.00	87.0	[illegible].00
5—	2004—05	58.0	54.0	78.0	78.00	42.00	40.00	88.0	91.00
6—	2005—06	59.0	55.0	79.0	79.00	43.00	41.00	89.0	91.00
7—	2006—07	60.0	56.0	79.0	79.00	43.00	41.00	90.0	92.00
8—	2007—08	60.0	56.0	80.0	80.00	43.00	42.00	91.0	92.00
9—	2008—09	60.0	57.0	81.0	81.00	44.00	43.00	92.0	93.00
10—	2009—10	61.0	57.0	82.0	82.00	44.00	43.00	93.0	93.00

क्र0 स0	कक्षा–1	भाषा				गणित			
		प्रारम्भिक मूल्यांकन		मध्य स्तरीय मूल्यांकन		प्रारम्भिक मूल्यांकन		मध्यस्तरीय मूल्यांकन	
	सत्र	वालक	वालिका	वालक	वालिका	वालक	वालिका	वालक	वालिका
–	2001–02	42.45	42.88	61.07	68.53	33.9	34.1	51.48	53.16
2–	2001–02	43.00	43.00	62.00	69.00	34.00	35.0	52.00	53.00
3–	2002–03	43.00	43.00	64.00	70.00	34.00	36.0	54.00	55.00
4–	2003–04	44.00	44.00	66.00	71.00	35.00	37.0	56.00	57.00
5–	2004–05	45.00	44.00	68.00	72.00	36.00	38.0	58.00	59.00
6–	2005–06	46.00	45.00	70.00	73.00	37.00	39.0	60.00	61.00
7–	2006–07	47.00	46.00	72.00	74.00	38.00	40.0	63.00	64.00
8–	2007–08	48.00	47.00	74.00	76.00	39.00	41.0	66.00	67.00
9–	2008–09	49.00	48.00	76.00	77.00	40.00	42.0	70.00	70.00
10–	2009–10	50.00	49.00	78.00	78.00	41.00	43.0	74.00	74.00

वर्षवार सम्प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया उपरोक्त सारणी में कक्षा 1 व कक्षा 4 में भाषा व गणित का लक्ष्य प्रक्षेपित किया गया है वर्ष 2001–02 के कक्षा 1 में वालक 54.1 तथा वालिकाओं ने 52.7 प्रारम्भिक मूल्यांकन के अध्ययन में पायी गया यह स्तर मध्यस्तरीय मूल्यांकन में क्रमश 74.4 व 72.42 प्रतिशत पाया गया इसी को आधार मानकर अग्रिम वर्षों में वर्षवार यह लक्ष्य प्रक्षेपित किया गया है।

इस प्रकार अन्य विषयों एवं अन्य कक्षाओं में प्रारम्भिक तथा मध्यस्तरीय मूल्यांकन कराया जायेगा तथा प्रारम्भिक मूल्यांकन को आधार मानकर लक्ष्यों में संशोधन किया जायेगा इसी प्रकार उ0 प्रा0 वि0 में सम्प्राप्ति का लक्ष्य समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा।

सामाजिक एवं जेन्डर गेप –

सारणी 4.7 में प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं जेन्डर गेप प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 2001–02 में 43.80 महिला नामांकित है तथा कुल बच्चो में 27.95 प्रतिशत अनुसूचित जाति के बच्चे नामांकित है अनु0 जाति की बालिकाओं का प्रतिशत भी लगभग 43 प्रतिशत है इस प्रकार जेन्डर गेप 7 प्रतिशत से कम करके 0 प्रतिशत तक 2005 तक लाया जायेगा तथा सामाजिक गेप को भी 0 तक लाया जायेगा इसी प्रकार उ0 प्राथमिक विद्यालयों की भी स्थिति है वर्ष 2001–02 में 44 प्रतिशत बालिका नामांकित इस प्रकार जेन्डर गेप 6 प्रतिशत का है तथा 15.28 प्रतिशत एस0 सी0 छात्र/छात्रा नामांकित है एस0 सी0 छात्राओं का नामांकन का प्रतिशत 33.76 प्रतिशत है एस0 सी0 जाति में जेन्डर गेप लगभग 16 प्रतिशत है इसको भी कम करके शून्य प्रतिशत तक 2006–2007 तक लाया जायेगा।

जेण्डर एवं सामाजिक गैप (प्रारम्भिक स्तर)

वर्ष 2001–02

सारणी संख्या 4.8

क्र0	ब्लाक का नाम	कुल नामांकन संख्या 6–11 आयु वर्ग			कुल नामांकन एस0 सी0 6–11 आयु वर्ग			प्रतिशत बालिका नामांकन	प्रतिशत एस0 सी0	प्रतिशत बालिकाओं
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग			
1–	मुरादाबाद	16856	12711	29567	5807	5693	11500	42.99	38[illegible]	49.50
2–	मूढ़ापाण्डे	16743	11648	28391	2910	1958	4968	41.02	17.[illegible]9	39.41
3–	भगतपुर टाण्डा	18815	15618	34433	4208	3255	7463	45.35	21.67	43.67
4–	छजलैट	18695	14789	33484	4851	4420	9271	44.16	13.20	47.67
5–	ठाकुरद्वारा	16253	14142	30395	3911	3731	7642	46.52	25.14	48.82
6–	डिलारी	16931	10343	27274	3410	2748	6158	37.92	22.57	44.62
7–	बिलारी	15402	11508	26910	4986	3025	8011	42.76	29.37	37.76
8–	कुन्दरकी	14592	12717	27309	3680	3045	6725	46.56	24.62	45.27
9–	बनियाखेड़ा	16880	12502	29382	7491	5305	12796	42.54	43.55	41.45
10–	बहजोई	11305	8152	19457	2829	2095	4924	41.89	16.75	42.54

[illegible]	16550	13644	30194	6109	4732	10841	45.19	35.90	43.64
[illegible]	18580	9528	28108	6239	4017	10256	33.59	36.43	39.16
[illegible]	14823	10628	25451	4549	3514	8063	41.75	31.63	43.58
[illegible]	212425	157930	370355	61070	47538	108608	42.64	29.32	43.77
मुरादाबाद	23461	24628	48089	6153	4424	10577	51.21	21.99	41.82
[illegible]	10923	8757	19678	1417	1210	2627	44.50	13.34	46.06
[illegible]	5000	5010	10010	1970	1513	3483	50.00	34.79	43.43
[illegible]	39384	38395	77779	9540	7147	16687	49.36	21.45	42.82
कुल योग	251809	196825	448134	70610	54685	125295	43.80	27.95	43.64

स्रोत – विभागीय आंकड़े

जेण्डर एवं सामाजिक गैप (उच्च प्राथमिक स्तर)

वर्ष 2001--02

सारणी संख्या 4.9

ब्लाक का नाम	कुल नामांकन संख्या 6-11 आयु वर्ग			कुल नामांकन एस0सी0 6-11 आयु वर्ग			प्रतिशत बालिका योग	प्रतिशत एस0सी0	प्रतिशत बालिकायें
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग			
1— मुरादाबाद	6286	5013	11299	1206	600	1806	44.36	15.95	33.2
2— मूंढापाण्डे	6529	4956	11485	396	134	530	43.85	4	25.2
3— भगतपुर टाण्डा	6703	5629	12332	1094	548	1642	45.66	13.31	33.3
4— छजलैट	6895	5473	12368	1204	471	1675	44.25	13.54	28.1
5— ठाकुरद्वारा	7077	5046	12123	2173	867	3040	41.62	25.05	28.5
6— डिलारी	575	4149	9904	1080	511	1591	41.85	16.03	32.1
7— बिलारी	4541	3992	8553	955	250	1205	46.67	14.08	20.7
8— कुन्दरकी	6921	5385	12306	1136	556	1692	45.95	13.21	32.8
9— बनियाखेडा	7011	4661	11672	866	434	1300	39.93	11.13	33.38
10— देहजाई	4352	3884	8236	1326	600	1926	47.15	23.33	31.1

11– [illegible]	9023	7422	16445	1285	1019	2304	45.61	14.01	44.22
12– [illegible]	6035	4037	10072	980	710	1690	40	16.77	42
13– अजमगढ़ [illegible]	5399	3902	9301	951	611	1562	41.95	16.79	39.1
[illegible] जि० का	82527	64049	146576	14652	7311	21963	43.69	14.93	33.28
14– [illegible]	6062	8054	14110	2195	1219	3414	57	24.13	35.7
15– [illegible]	4223	2997	7220	102	53	155	41.5	2	34.1
[illegible]	2760	1970	4730	530	328	858	41.64	18.13	38.2
[illegible]	13045	13021	26066	2827	1600	4427	49.95	16.93	36.1
[illegible]	95572	77070	172642	17479	8911	26390	44.64	15.28	33.76

स्रोत – विभागीय आंकड़े

अध्याय –5

समस्याएं एवं रणनीति

मुरादाबाद जनपद में सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन की प्रक्रिया विकेन्द्रीकृत रूप में तथा समुदाय की सहभागिता प्राप्त करते हुये अपनायी गयी है जिसमें ग्राम स्तर, बस्ती स्तर, न्याय पंचायत स्तर, जनपद स्तर पर शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गों, शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों, अभिभावक शिक्षक संघ, माता शिक्षक संघ, स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि से समूह चर्चा की गयी। समूह चर्चा में प्राप्त विचारों का विश्लेषण करने के पश्चात उपलब्ध सुविधाओं एवं संसाधनों के सापेक्ष व्यावहारिक एवं सन्तुलित रणनीति तैयार की गयी है। इस रणनीति के अन्तर्गत छात्र नामांकन के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति, नवीन भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण, जीर्ण भवन का पुनः निर्माण, शौचालयों का निर्माण, पेय जल व्यवस्था हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना, आवश्यकतानुसार विद्यालयों की चाहर दीवारी का निर्माण, विद्यालयों का सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, आकर्षक शैक्षिक वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त स्कूल के बाहर के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनके ठहराव एवं ड्राप आउट दर कम करने पर विशेष बल दिया जायेगा।

समय–समय पर तथा विभिन्न स्तरों पर सम्पन्न फोकस ग्रुप डिस्कशन के उपरान्त संज्ञान में आयी समस्याओं के निवारण एवं समाधान हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपनायी गयी रणनीति निम्नवत है –

1– शिक्षा के प्रति अभिभावकों में जागरूकता का अभाव –

आज का अभिभावक शिक्षा को रोजगार से जोडना चाहता है। जबकि शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है न कि केवल रोजगार उपलब्ध कराना। इस स्थिति से निबटने के लिए अभिभावकों की इस सोच को बदलने के लिए ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक माता शिक्षक संघ तथा जागरूक व्यक्तियों के सहयोग से गोष्ठियों का आयोजन करके विचारों के आदान-प्रदान द्वारा अपेक्षित लक्ष्य की पूर्ति की जायेगी।

2– शिक्षा जीविकोपार्जन का साधन नहीं –

समाज की सेवा में बदलाव हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालयों को व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ने का प्रावधान किया जा रहा है। इन विद्यालयों में से ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के छात्र/छात्राओं को उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, फल संरक्षण, मेंहदी आर्ट, फाइन आर्ट, ब्यूटी पार्लर, चटाई निर्माण, फर्श का सामान, जूट का सामान, कपडे के बैग, चाक निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, गत्ते के डिब्बे का निर्माण स्थानीय क्राफ्ट सिखाने के लिए क्रियात्मक कोर्स प्रारम्भ करने का प्रावधान है। इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था, मरम्मत एवं कच्चे सामान के लिए विद्यालय अनुदान द्वारा व्यवस्था करने का प्रावधान है।

3– <u>अध्यापक पर अन्य विभागों के कार्यो का अतिरिक्त बोझ</u> –

इस समस्या के समाधान के लिए यह प्रयास किया जायेगा कि अध्यापकों से विशेष परिस्थितियों में केवल राष्ट्रीय महत्व के कार्य ही कराये जायें। अध्यापकों

को शिक्षण कार्य के लिए पूरी तरह जवाब देह एवं पूर्ण उत्तरदायी बनाया जायेगा। बच्चों के विकास में शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। अध्यापक द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को संचालित न करने में उसकी सेवा पंजिका में वार्षिक प्रतिकूल प्रविष्टि करने का प्राविधान किया जायेगा।

4-- विद्यालय में भौतिक संसाधनों का अभाव --

इस समस्या के समाधान हेतु छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण, पेय जल व्यवस्था, शौचालय निर्माण, बाहर दीवारी निर्माण, फर्नीचर बिजली आदि की व्यवस्था प्रस्तावित की जायेगी। इसके साथ-साथ उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा प्राथमिक विद्यालयों में बच्चो के बैठने के लिए फर्श एवं लकड़ी के फर्नीचर की व्यवस्था किये जाने की योजना है।

5-- बच्चों की व्यक्तिगत रूचि में कमी --

बच्चों के ठहराव एवं ड्राप आउट दर रोकने के लिए तथा शिक्षा में रूचि उत्पन्न करने के लिए आकर्षक पुस्तकों का मुद्रण, रूचि पूर्ण पाठ्यक्रम, खेल-खेल में शिक्षा, शैक्षिक भ्रमण, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था, संगीत कला तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन की व्यवस्था की जा रही है।

6-- छात्रों की निर्धारित वेशभूषा --

छात्र/छात्राएं विद्यालय में अध्ययन हेतु निर्धारित गणवेश में उपस्थित हो सके इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संघ, माता-शिक्षक संघ तथा [illegible]

स्थानीय नागरिकों की सहभागिता से एक समान गणवेश में विद्यालय में आने के लिए प्रयास किये जाने की योजना है।

7- शिक्षण सामग्री का अभाव -

विद्यालय में शिक्षण सामग्री की व्यवस्था के लिए तथा वातावरण को आकर्षक बनाने के लिए शिक्षकों को अपनी आवश्यकतानुसार अपनी शिक्षण सामग्री क्रय करने हेतु प्रतिशिक्षक, प्रतिवर्ष 500 रू0 शिक्षक अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया जायेगा एवं शिक्षक विषय वस्तु के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण छात्रों की सहायता से करवायेंगें।

8- गरीबी के कारण छात्रों पर पाठ्य पुस्तकों का अभाव -

इस समस्या के निवारण हेतु, बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत व्यवस्था की जायेगी।

9- अध्यापकों की उपस्थित सुनिश्चित करना -

शिक्षक पर अन्य विभागों का कार्य अधिक होने के कारण तथा शैक्षिक सूचनाओं में संकलित करने में समय लगने के कारण विद्यालय में कम रहते हैं। इसलिए शैक्षिक सूचनाओं को तथा विभागीय सूचनाओं को विकास खण्ड स्तर पर कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा जिससे एक ही काम के लिए शिक्षक का समय बार-बार बरबाद न हो। अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी

निरीक्षण का प्राविधान किया जायेगा इस कार्य में ग्राम शिक्षा समिति को भी क्रियाशील किये जाने की योजना है।

10– सतत् मूल्यांकन का अभाव –

शैक्षिक गुणवत्ता की संप्राप्ति हेतु सतत् एवं प्रभावी मूल्यांकन की योजना का प्राविधान है मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन किया जायेगा। मूल्यांकन के उपरान्त प्राप्त परिणामों के आधार पर निम्न एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क किया जायेगा। साथ–साथ विद्यालय में भी अतिरिक्त समय देकर उनके शिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। विद्यालय में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले अथवा कक्षा में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को गणमान्य नागरिकों/शिक्षा–अधिकारियों के द्वारा पुरस्कृत करवाया जायेगा।

11– शैक्षिक निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में कमी –

विद्यालयों की शैक्षिक शिथिलता दूर करने हेतु प्राचार्य, वरिष्ठ प्रवक्तागण डायट, बी० एल० ए०, ए० बी० एस० ए०, एस० डी० आई०, बी० आर० सी० सी०, ए० बी० आर० सी० सी०, एन० पी० आर० सी० सी० द्वारा समय–समय पर पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की व्यवस्था का प्राविधान है। निरीक्षण कर्ता/पर्यवेक्षक शैक्षिक वातावरण स्थापित कराने में अपना निरन्तर सहयोग भी प्रदान करते रहे इसके लिए मासिक बैठकों का आयोजन अधिकारिक स्तर पर किया जायेगा जिसमें समस्याओं के निदान में अधिकारियों की सार्थक भूमिका निर्धारित की जा सके।

12– विशेष आवश्यकता वाले अथवा विकलांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था –

विभाग द्वारा विकलांग बच्चों का सर्वे कराकर सूचना प्राप्त की गयी है जिन बच्चों को किसी उपकरण की आवश्यकता है उनके बारे में ए0 डी0 पी0 आई0 को सूचित किया जायेगा। श्रवण हीनता, अस्थि विकलांगता, मन्द बुद्धिता आदि प्रकार के बच्चों का प्रतिवर्ष सर्वे कराकर विभिन्न माध्यमों से तथा जन सहयोग से उनको उपकरण उपलब्ध कराये जाने की योजना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति मृदु व्यवहार, सरल एवं सहज भाव से शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने का प्रावधान है।

13– बाल श्रमिकों हेतु शिक्षा की व्यवस्था –

बाल श्रमिकों की समस्या के समाधान हेतु 6–14 वय आयु वर्ग वाले बच्चे जो श्रमिक है उनके अभिभावकों से सम्पर्क कर शिक्षा के प्रति जागरूक बनाया जायेगा। श्रम विभाग के माध्यम से शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाया जायेगा तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों पर रात्रिकालीन कक्षाओं की व्यवस्था करायी जायेगी। ऐसे बाल श्रमिक छात्रों को पढ़ाने के लिए अलग से शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने की योजना है। प्रतिवर्ष बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण कराया जायेगा तथा उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनकी रूचि एवं आवश्यकतानुसार वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों/नवाचार शिक्षा केन्द्रों पर उनके शिक्षण की योजना प्रस्तावित है। इसके साथ-साथ यह प्रयास किया जायेगा कि बाल श्रमिक प्रत्येक स्थिति में शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े इसके लिए ब्रिज कोर्स, समर कैम्प आदि का भी प्रावधान किया गया है।

अवकाशों की अधिकता -

यद्यपि विभाग द्वारा अवकाशों पर अंकुश लगाने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है। अवकाशों को कम करने के लिए समय विभाग चक्र एवं राष्ट्रीय पर्वो पर पूर्ण समय तक विद्यालय में शिक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। इस कार्य में निरीक्षक एवं पर्यवेक्षक एवं ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग लिया जायेगा साथ ही यह अनिवार्य किया जायेगा कि प्रत्येक अध्यापक को निर्धारित समय से पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण करना है इसके साथ-साथ फर्जी अवकाशों पर अंकुश लगाने की योजना है।

15- नामांकन सम्बन्धी समस्या -

शत प्रतिशत नामांकन प्रा0 वि0 में सन् 2001 तक तथा उ0 प्राथमिक विद्यालय में 2010 तक का लक्ष्य रखा गया है। शत प्रतिशत नामांकन हेतु ग्राम शिक्षा समिति, अभिभावक शिक्षक संघ, माता शिक्षक संघ तथा जन प्रतिनिधियों के सहयोग के साथ-साथ नुक्कड़ नाटक/गोष्ठियों/कलाजत्थों/दृश्य-श्रव्य सामग्री आदि का प्रदर्शन किया जायेगा।

16- ग्रामीण क्षेत्र में परिषदीय एवं मान्टेसरी स्कूलों की तुलना -

अधिकाधिक बच्चे, परिषदीय विद्यालयों में अपना नामांकन करायें इसके लिए परिषदीय विद्यालयों को आकर्षक बनाने के लिए निर्धारित शिक्षण सामग्री, फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, आकर्षक खेल सामग्री आदि के लिए धनराशि की व्यवस्था करना प्रस्तावित है तथा शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने की योजना है ताकि [illegible]

ग्रामवासी परिषदीय विद्यालयों के वातावरण एवं मान्टेसरी स्कूल में कोई अन्तर न माने।

17— सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ापन —

वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है उपजाऊ भूमि परिवार की सदस्य संख्या के अनुपात में कम है इस लिये ग्रामीण समाज पिछड़े पन का शिकार है। इस समस्या को दूर करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति बाल विकास परियोजना महिला मण्डल दल ए0 एन0 एम0 एवम् अन्य जागरूक स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति की जायेगी। तथा समाज की सोच में बदलाव लाने के लिये जन चेतना के सभी प्रयास किये जायेंगे।

18— छात्र संख्या के सापेक्ष अध्यापकों की कमी —

इस समस्या के समाधान के लिये ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से शिक्षण व्यवस्था ठीक की जायेगी 40 : 1 पर अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी। उ0 प्रा0 विद्यालयों में विषय अध्यापक नियुक्त किये जायेंगे। अधिक जन संख्या वाले गांवों में उ0 प्रा0 व प्रा0 विद्यालय एक ही भवन/स्थान पर खोले जाने का प्राविधान है। इस व्यवस्था में उ0 प्रा0 विद्यालय का प्र0 अध्यापक कक्षा एक से आठ तक सम्पूर्ण व्यवस्था का एक ही समय विभाजन चक्र से विद्यालय संचालन करेगा।

19— असेवित/मलिन बस्तियों में विद्यालयों का न होना —

जन—जन तक शिक्षा पहुंचाने के लिये 1.5 कि0 मी0 तथा 300 की आबादी वाले ग्रामों/बस्तियों में प्रा0 विद्यालय/शिक्षा घरों/बाल शालाओं की व्यवस्था की

जायेगी। 6–8 आयु वर्ग के 30 बच्चों में एक कि0 मी0 विद्यालय से दूरी के मानक पर ई0 जी0 एस0 केन्द्र खोले जायेंगे तथा 9–14 वर्ग के बच्चों के लिए ए0 टी0 ई0 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। नगर क्षेत्र में विद्यालय दो पालियों में चलाये जायेंगे। कम बच्चों वाले विद्यालयों को असेवित/मलिन बस्तियों में स्थानान्तरित किया जायेगा तथा प्रथम वर्ष में 3 कि0 मी0 और 800 की आबादी मानक मात्रा में उ0 प्रा0 विद्यालयों की स्थापना की जायेगी तदोपरान्त यह प्रयास किया जायेगा कि दो प्राथमिक विद्यालयों के मध्य एक उ0 प्रा0 विद्यालय की स्थापना की जाये।

शिक्षा को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने के लिये नदी, नाले, जंगल आदि व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिये मानक के अनुसार शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा केन्द्र खोलकर शिक्षा से वंचित बच्चों को शैक्षिक सुविधा प्रदान की जायेगी और बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा।

21– शिक्षक की योग्यता व्यवहार कुशलता एवं व्यक्तित्व –

परम्परागत पाठ्यक्रम को बदलकर नया पाठ्यक्रम कुछ जटिल है इसकी शिक्षण पद्धति भी आधुनिक है इस समस्या के समाधान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षणों के माध्यम से यह प्रेरित किया जायेगा कि वह छात्रों के प्रति व्यवहार में कोमलता मधुरता लाये तथा विषय वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण हो। शिक्षक को सामुदायिक सहभागिता हेतु व्यवहार कुशल बनना ही होगा। इस प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

22– अध्यापको की शिक्षण में अरुचि –

इस समस्या के निदान हेतु विषय वस्तु आधारित प्रतियोगितायें आयोजित की जायेगी तथा शिक्षको में पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न होगी वह अपना स्वाध्याय करेगा। प्रशिक्षणोपरान्त वस्तु निष्ठ परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसमें 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने का प्राविधान है।

23– शैक्षिक गुणवत्ता का कम प्रतिशत –

शैक्षिक गुणवत्ता की सम्प्राप्ति हेतु मानक के अनुसार विद्यालय में शिक्षको की नियुक्ति उ0 प्रा0 विद्यालय में विषय अध्यापको की नियुक्ति प्रस्तावित है ताकि शिक्षा विभाग में उपलब्धि के नाम पर अधिक से अधिक गुणवत्ता की सम्प्राप्ति हो।

24– शिक्षक अभिभावक बालको में सामंजस्य का न होना –

अभिभावकों का निरन्तर अध्यापक से सम्पर्क बना रहे इसलिये त्रैमासिक अभिभावक सम्मेलन कराया जायेगा, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ माता/अभिभावक संघ आदि के सदस्य सक्रिय भूमिका अपनाते हुए तीनो घटको में सामंजस्य स्थापित करने के सार्थक उपाय करेंगे इन सम्मेलनो में समस्याये भी पूछी जायेगी तथा निदान के उपायो पर सुझाव आमन्त्रित किये जायेंगे।

25 - सक्रिय सामाजिक सहभागिता का अभाव –

ग्राम शिक्षा समिति अथवा ग्राम पंचायतें ग्राम में परिषदीय विद्यालयों के प्रति समाज की सकारात्मक सोच उत्पन्न करने के लिये निरन्तर अभिभावकों के सम्पर्क रखेगी तथा विद्यालयों का सतत् मूल्यांकन भी किया जायेगा। सामाजिक सहभागिता के लिये ग्रामो के बुद्धि जीवी लोगो की सहभागिता ली जायेगी ताकि विद्यालय के परिवेश को घरेलू परिवेश की संज्ञा दी जा सके। ग्रामवासियों के सहयोग से स्कूली बच्चों में सुधार हेतु, गणवेश स्वच्छता अनुशासन, विद्यालय परिसर का रख रखाव की साज सज्जा की जायेगी। अध्यापकों के अभाव में गांव के शिक्षित लोगों की मदद ली जायेगी। विद्यालय की गुणवत्ता का आंकलन करने के लिए समय-समय पर गांव के सम्भ्रान्त नागरिकों को आमन्त्रित किया जायेगा तथा विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा।

26 - खेलकूद के लिये पर्याप्त सामग्री का अभाव –

खेलकूद की उचित व्यवस्था हेतु विद्यालयों में खेल सामग्री व्यवस्था प्रस्तावित है तथा ग्राम सभा, पंचायत के माध्यम से मैदान विहीन विद्यालयों में सार्वजनिक स्थान पर खेलकूद की व्यवस्था का प्राविधान किया जायेगा। बी० पी० एड०/सी० पी० एड० प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से खेलकूद के लिये अलग समय देने की योजना बनायी जा रही है।

27 - विद्यालयों का वातावरण आकर्षक न होना –

परम्परागत शिक्षण पद्धति को न अपना कर अध्यापकों को आधुनिक शिक्षण पद्धति के अनुरूप शिक्षण करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। बच्चों की समूह

में बैठाना, चर्चा करवाना, शिक्षण सामग्री तैयार करवाना, वृक्षारोपण, कृषि बागवानी सामुदायिक कार्य आदि सम्पन्न कराके जायेंगे।

23— पाठ्यक्रम जटिल है अध्यापकों में अनाभिज्ञता है —

निरन्तर बदलते परिवेश में नये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पाठ्य पुस्तकों में बदलाव आ रहा है। कुछ पाठ/अभ्यास/विषय वस्तु आदि ऐसी है जिन को हाई स्कूल/इण्टर योग्यता धारी अध्यापक या अप्रशिक्षित अध्यापक नहीं पढ़ सकते इस लिये उच्च योग्यता शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है इसके अतिरिक्त डायट/बी० आर० सी० सी० के माध्यम से अध्यापकों के लिये पूर्ण सेवात्मक प्रशिक्षण की व्यवस्था का प्राविधान है।

———

उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त समय-समय पर आयोजित विचार गोष्ठियों/सामूहिक विचार विमर्श के बाद शासन में आयी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर निवारण हेतु प्रयास किये जायेंगे।

अध्याय–6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार – (नवीन औपचारिक विद्यालय)

जनपद मुरादाबाद जि0 प्रा0 शि0 कार्यक्रम (डी0 पी0 ई0 पी0 द्वितीय) से आच्छादित जनपद है यह योजना इस जनपद में वर्ष 97–98 से संचालित है। इस योजना के द्वारा जनपद के प्रा0 विद्यालयों में वर्षवार निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध कराई गयी –

सारणी 6.1

क्र0 सं0	सुविधायें	1997–98	98–99	99–2000	2000–01	2001–02
1	नवीन विद्यालय		68	--	--	165
2	पुनर्निर्माण		36	--	--	--
3	शौचालय		481	--	--	--
4	अतिरिक्त कक्षा कक्ष		103	--	--	--
5	[illegible]		95	--	--	--
6	[illegible]		[illegible]			
7	[illegible]		198			

स्रोत – डी0 पी0 ई0 पी0 कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर

उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यापक प्रशिक्षण, ग्राम शिक्षा समिति प्रशिक्षण, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण तथा 98–99 में 50 एवं 99–2000 में 110 शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया गया जिसमें वृद्धि हुई वर्ष 97–98 में जी0 ई0 आर0 72.03

तथा एन0 ई0 आर0 54.88 था। एन0 आई0 एस0 से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह बढ़कर क्रमशः 94.11 तथा 81.19 हो गया।

नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना –

मुरादाबाद जनपद मे जि0 प्रा0 शि0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 233 चिन्हित असेवित बस्तियों में प्रा0 विद्यालय खोले जा चुके है परन्तु इस संकल्पना मे संसाधन उपलब्ध न होने के कारण अभी भी ऐसी 174 असेवित बस्तियां है जिनमे मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है। फोकस ग्रुप डिस्कशन एवं वर्तमान स्थिति के आधार पर विकास खण्ड वार बस्तियों की संख्या निम्नवत है। जिनकी आबादी 300 से अधिक है। तथा 1.5 कि0मी0 परिधि मे कोई प्रा0 विद्यालय उपलब्ध नही है। खण्डवार नवीन प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता निम्नवत है -

सारणी 6.2

क्र0 सं0	ब्लाक का नाम	300 से अधिक आबादी एवं (1.5 किमी0 दूर विद्यालय) बस्तियों की संख्या
1-	मुरादाबाद	07
2-	मूढापाण्डे	18
3-	भगतपुर टांडा	16
4-	छजलैट	09
5-	ठाकुरद्वारा	17
6-	डिलारी	10

7–	बिलारी	10
8–	कुन्दरकी	10
9–	बनियाखेड़ा	18
10–	बहजोई	15
11–	सम्भल	14
12–	पवांसा	24
13–	असमोली	06
14–	सम्भल शहर	–
15–	चन्दौसी शहर	
16–	मुरादाबाद शहर	
	योग	174

[illegible] 76 [illegible]

उपर्युक्त सारणी के आधार पर समस्त विकास खण्डों पर 174 असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय नहीं है इसलिये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 174 खोले जाने का [illegible] 2002–2003, 2003–04 में क्रमशः 38 एवम् 38 प्राथमिक विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित है।

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना –

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के खोलने सर्वे के आधार 319 ऐसी बस्तियां [illegible] जिनकी आबादी [illegible] से अधिक है तथा 3 कि०मी० की परिधि में उ० प्रा० विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है जिनका विकास खण्डवार विवरण सारणी 6.4 में अंकित है। सर्व शिक्षा अभियान में प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना नीति की जाये तो आकलन के अनुसार 602 की आवश्यकता होगी परन्तु सारणी [illegible] के आधार पर 319 ऐसी असेवित बस्तियां चिन्हित की गयी है जहां उ० प्रा० वि० की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः 300 उ० प्रा० वि० खोले जाना प्रस्तावित है।

सारणी 6.3

क्र0	विवरण	ग्रामीण	नगर	योग
1–	वर्तमान परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	1559	153	1712
2–	प्रस्तावित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय	174	–	174
3–	1:2 वर्तमान अनुपात में प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय	866	19	885
4–	वर्तमान में उपलब्ध उच्च प्राथमिक विद्यालय	186	19	205
5–	1:2 अनुपात से उच्च प्राथमिक विद्यालय आवश्यकता	680	–	680
6–	11 वें वित्त आयोग से स्वीकृत उ0 प्रा0 वि0 कुल आवश्यकता	602		602

[illegible] उ0 प्रा0 वि0 को खोला जाना प्रस्तावित है। साल वार 2001–02, 2002–03, 2003–04 एवं 2004–05 में क्रमशः 20, 80, 100 एवं 100 उ0 प्रा0 वि0 खोले जाना प्रस्तावित है।

विकास खण्डवार असेवित बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है तथा 3 किमी0 की परिधि में उ0 प्रा0 विद्यालय उपलब्ध नहीं है।

सारणी 6.4

क्र0 सं0	ब्लाक का नाम	उच्च प्राथमिक वि0 खोलने हेतु असेवित बस्तियों की सं0 जिनकी आबादी 300 से अधिक तथा 3.0 किमी0 की परिधि मे विद्यालय नही है।
1	मुरादाबाद	11
2	मूढ़ापाण्डे	30
3 -	भगतपुर टांडा	30
4 -	छजलैट	17
5 -	ठाकुरद्वारा	26
6 -	डिलारी	14
7 -	बिलारी	15
8 -	कुन्दरकी	20
9	बनियाखेड़ा	25
10 -	बहजोई	21
11 -	सम्भल	32
12	पंवासा	31
13 -	असमौली	30
14 -	सम्भल शहर	30
15 -	चन्दौसी शहर	–
16 -	मुरादाबाद शहर	
	योग	302

स्रोत— जि0 बे0 शिक्षा अधिकारियों के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर।

[illegible] विद्यालय [illegible]

[illegible] की पूर्ति हेतु [illegible]

[illegible] जायेगी। इस उपलब्ध [illegible]

करवाया जायेगा। इस धनराशि से निम्नलिखित [illegible] कुछ [illegible]

[illegible], कुर्सी, चार्ट, [illegible]

[illegible] इक्यूपमेंट [illegible]

[illegible], [illegible] युक्त [illegible] की [illegible] कक्षा [illegible]

[illegible], शैक्षिक चार्ट, [illegible]

[illegible] आदि)। उक्त सामग्री [illegible]

[illegible] जायेगी, किन्तु [illegible]

[illegible] इसलिये इनका [illegible]

[illegible] जायेगी।

[illegible] 1000 [illegible]

[illegible]

[illegible] जायेगी [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] कम टीचिंग मैटेरियल, [illegible]

[illegible], शैक्षिक चार्ट, [illegible] इस [illegible] आदि [illegible]

[illegible] सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करवायी जायेगी। [illegible]

विद्यालय भवन, शौचालय, पेयजल एवं चाहर दीवारी की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नवीन प्राथमिक विद्यालय में दो कक्षा का निर्माण प्रस्तावित है। तथा छात्र संख्या वृद्धि होने पर अतिरिक्त कक्षा कक्ष प्रस्तावित है। प्रत्येक विद्यालय में छात्र एवम् छात्राओं के लिये पृथक्-पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन में चार कक्ष तथा एक प्रधानाध्यापक कक्षा का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है उ० प्रा० में भी छात्र संख्या में वृद्धि होने पर अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण कराया जायेगा।

विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित सौन्दर्यवर्धक सुरक्षित एवम् वृक्षारोपण के उद्देश्य से चाहर दीवारी का निर्माण कराया जायेगा। प्रत्येक् विद्यालय में स्वच्छ एवम् मृदुल पीने के पानी की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का रीबोरिंग हैण्ड पम्प लगाये जाने का प्रस्ताव अभियान के अन्तर्गत रखा गया है।

निर्माण कार्यदायी संस्था -

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्माण विद्यालय भवनों के निर्माण शौचालय चाहर दीवारी अन्य सभी निर्माण कार्य सामुदायिक सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा

शिक्षकों की व्यवस्था -

प्रत्येक नवीन प्रा० विद्यालय में कम से कम एक अध्यापक तथा एक शिक्षा मित्र नियुक्त कराने का प्राविधान किया गया है छात्र संख्या वृद्धि होनेपर अध्यापक

संख्या में वृद्धि किया जाना भी प्रस्तावित है। प्रत्येक नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान अध्यापक तथा चार सहायक अध्यापकों सहित कुल पांच अध्यापकों की व्यवस्था की जायेगी जिसको छात्र संख्या वृद्धि होने पर नियमानुसार एवम् मानक अनुसार बढ़ाया जा सकता है। चार अध्यापकों में से एक विज्ञान एक गणित तथा एक संयुक्त, अंग्रेजी तथा एक उर्दू अध्यापक तथा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु एक महिला शिक्षक व्यवस्था की जायेगी। आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता प्राथमिक विद्यालयों में सारणी [illegible] एवम् उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 6.6 में प्रदर्शित है।

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवम् आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता एवम् वर्षवार व्यय विवरण

सारणी 65

क्र0 सं0	वर्ष	परिषदीय कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:8 दर से शिक्षकों की आवश्यकता			वर्तमान कार्यरत स्वीकृत शिक्षक			शिक्षकों की अतिरिक्त आवश्यकता			अतिरिक्त प्र0 अ0 पर व्यय		अतिरिक्त सहायक अध्यापकों पर व्यय	
				प्र0 अ0	स0 अ0	योग	प्र0 अ0	स0 अ0	योग	प्र0 अ0	स0 अ0	योग	क्रमागत योग	व्यय वेतन प्र0 अ0	क्रमागत योग	व्यय वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
[illegible]	2001-02	205	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	162	938	[illegible]	43	18	43	43	6192	--	--
[illegible]	2002-03	205	183	[illegible]	1552	1940	205	838	1043	183	714	897	226	32544	714	85680
[illegible]	2003-04	388	136	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1552	1940	[illegible]	544	[illegible]	362	52128	1258	150960
[illegible]	2004-05	524	120	644	2576	3220	524	[illegible]	2520	120	[illegible]	[illegible]	482	[illegible]	1738	208560
[illegible]	2005-06	644	83	727	2908	3628	644	2576	3220	33	332	415	565	81360	2070	248400
[illegible]	2006-07	727	80	807	3228	4035	727	2908	3635	[illegible]	[illegible]	400	645	92880	2390	286800
[illegible]	2007-08	807	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	807	3228	4035	0	[illegible]	[illegible]	645	92880	2390	286800
[illegible]	2008-09	807	0	807	3228	4035	807	3228	4035	0	0	0	645	92880	2390	286800
[illegible]	2009-2010	807	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3228	[illegible]	0	0	[illegible]	645	[illegible]	2390	286800

नोट :- वर्तमान विद्यालयों की संख्या के आधार पर आवश्यकतानुसार प्रथम वर्ष में मात्र 43 अध्यापकों की कमी को तत्काल के लिये पूर्ण किया जाना है। शेष वर्षों में नवीन उ0 प्र0 विद्यालयों के खुलने के कारण आवश्यकता प्रदर्शित की गयी है जो पहुँच के विस्तार में ही अध्यापकों की नियुक्ति कर पूर्ण कर ली जायेगी।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

सारणी 3.266

क्र.सं.	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान स्वीकृत पद शिक्षक	वर्तमान स्वीकृत पद शि.मित्र	शिक्षक+शि. मित्र योग 4+5	40:1 का दर से आवश्यकता	कमी	नवीन प्र. वि. के शिक्षक+शि. मित्र	आवश्यक अन्य शिक्षक	आवश्यक अन्य शि.मित्र	आवश्यक शिक्षक संभावित योग	आवश्यक शि.मित्र संभावित योग	कुल शिक्षक 4+10	कुल शि. मित्र 5+11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1-	2001-02	298334	5178	629	5807	7458	1651	46	802	801	802	801	5980	1430
2-	2002-03	318421	5980	1430	[illegible]	7961	[illegible]	[illegible]	200	201	1002	1002	6180	1631
3-	2003-04	345242	6180	1631	7811	8631	[illegible]	[illegible]	335	335	1337	1337	6515	1966
4-	2004-05	362578	6515	1966	8481	9064	583	[illegible]	292	291	1629	1628	6807	2257
5-	2005-06	369829	6807	2257	9064	9246	182	0	91	91	1720	1719	6898	2348
6-	2006-07	377226	6898	2348	9246	9431	185	0	92	93	1812	1812	6990	2441
7-	2007-08	384770	[illegible]	2441	[illegible]	9619	[illegible]	0	94	94	1906	1906	7084	2535
8-	2008-09	392466	[illegible]	2535	9619	9812	[illegible]	0	96	97	2002	2003	7180	2632
9-	2009-10	400315	7180	2632	9812	10008	196	0	98	98	2100	2101	7278	2730

अध्याय—7

शिक्षा की [illegible] का विस्तार [illegible]

[illegible] योजना/[illegible] शिक्षा/[illegible] शिक्षा योजना

[illegible] मुरादाबाद [illegible] के कारण पीतल [illegible] के नाम से विख्यात है। जिसमें [illegible] आयु [illegible] के बच्चे इस [illegible] में कार्यरत हैं। ग्राम सर्वेक्षण के आधार पर 6–14 [illegible] के बच्चे अब भी [illegible] विद्यालय से बाहर हैं जिनमें [illegible] 43381 तथा [illegible] की 47171 [illegible]

[illegible] दृष्टिगत रखते हुए [illegible] शिक्षा अभियान में अनौपचारिक शिक्षा [illegible] योजना/बैकलॉग [illegible] शिक्षा [illegible] गया है।

अनौपचारिक शिक्षा –

[illegible] शिक्षा [illegible]

सरकार [illegible] व्यापक प्रयास [illegible] देश की [illegible] वृद्धि के कारण [illegible] शिक्षा [illegible] आवश्यकता [illegible] करने हेतु औपचारिक [illegible] पूरे देश के [illegible] शिक्षा का कार्यक्रम [illegible] इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6–11 आयु के बच्चों को जो किसी कारण से विद्यालय में नामांकित नहीं हो सके थे नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया स्कूल न जाने के विभिन्न कारण थे जैसे निकटवर्ती स्थान पर औपचारिक विद्यालय उपलब्ध न होना, कामकाज में लगे रहने के कारण विद्यालय न जाना किसी गृह कार्य के कारण विद्यालय छोड़ देना आदि। इन कारणों को दृष्टिगत रखते हुये

बालिकाओं को कामकाजी बच्चों को औपचारिक [illegible]/अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करायी गयी।

यह योजना शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े [illegible] बालिकाओं, महिला [illegible] के [illegible] शिक्षा [illegible] अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों [illegible] बालिकाओं के लिये संचालित करने हेतु 10 : 10 के अनुपात में [illegible] राज्य द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता से चलायी गयी। यह योजना वर्तमान समय में 09 राज्यों तथा [illegible] शासित प्रदेश में संचालित है जिसके अन्तर्गत [illegible] में चलाये जा रहे 2 [illegible] 09 [illegible] अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में [illegible] हजार बच्चे नामांकित हुए कुल केन्द्रों में [illegible] 16 हजार केन्द्र केवल बालिकाओं के लिए शिक्षा प्रदान करा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में यह कार्यक्रम सभी जनपदों में संचालित किया गया, प्रदेश में कुल 800 परियोजनायें संचालित रही हैं प्रत्येक परियोजना में 100 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र [illegible] संचालित किये गये। [illegible] द्वितीय [illegible] के पश्चात [illegible] संचालित [illegible] शिक्षा को मुख्य धारा से [illegible] संचालित [illegible] जिसमें बालिकाओं [illegible]

जनपद मुरादाबाद के 13 विकास खण्डों में [illegible] 08 में [illegible] परियोजनायें संचालित हैं। शेष 05 विकास खण्डों में यह कार्यक्रम संचालित

उपलब्धि एवं विश्लेषण :-

प्राथमिक विद्यालय के सार्वभौमिकरण की दृष्टि से इस कार्यक्रम से उपलब्धियां हो रही हैं परन्तु संकल्पनाओं आशाओं के साथ योजना संचालित की गयी थी लेकिन उतनी उचित उपलब्धियां नहीं प्राप्त हो सकी।

अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक परियोजना में 100 केन्द्र संचालित किये गये तथा प्रत्येक केन्द्र पर 25 बच्चे नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया इस प्रकार प्रत्येक परियोजना में 2 वर्षों के लिये 2500 छात्र/छात्राओं को नामांकित करने का लक्ष्य निर्धारित किया उपलब्ध आकड़ो के आधार पर इन 2500 छात्र/छात्राओं में से कक्षा–5 की परीक्षा में औसतन 1050 छात्र सम्मिलित हुए सम्मिलित छात्रों में से लगभग 800 छात्र उत्तीर्ण हुए जिनमें से लगभग 25 प्रतिशत छात्रों ने निर्गम प्रमाण पत्र लेकर कक्षा–6 में 20 प्रतिशत छात्रों ने प्रवेश लिया तथा शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े इस प्रकार इस कार्यक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्य को उपलब्धित नहीं हो सकी तथा स्कूल त्यागी बच्चों को भी आशा के अनुसार मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जा सका।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम --

जनपद मुरादाबाद वर्ष 97–98 से डी0 पी0 ई0 पी0 से आच्छादित जनपद में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 160 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है जिसमें 60 शिक्षा घर, 20 प्रहर पाठशाला 10 बालशाला, 20 मकतब तथा 50 ई0 जी0 एस0 केन्द्र संचालित किये जा रहे है। इन केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 4800 है।

डी0 पी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत व आवश्यकतानुसार दो विकास खण्डों तथा नगर में आवश्यकतानुसार वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये गये इन केन्द्रो के लिये अनुदेशकों का चयन प्रशिक्षण, मानदेय, पाठ्य पुस्तक, शिक्षण सामग्री की व्यवस्था डी0 पी0 ई0 पी0 के मद से की गयी। सभी विकास खण्डों में योजना केन्द्र संचालित नहीं हो पाये। जिन आधारों तथा आकांक्षाओं पर केन्द्रों का संचालन किया गया उतनी उपलब्धि नहीं हो पायी शाला त्यागी बच्चे वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो में नामांकित तो हुए परन्तु उतनी संख्या में मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाये। परियोजना के लक्ष्य के अनुसार वर्ष 98-99 में 50 केन्द्र तथा 99-2000 में 170 केन्द्रो का संचालन किया गया। जिसमें लगभग 4800 बच्चों का नामांकन हुआ उनमें से 1600 बच्चों का नामांकन प्राइमरी विद्यालय में हुआ।

ई0 जी0 एस0 केन्द्र (शिक्षा गारंटी योजना)

ई0 जी0 एस0 केन्द्रों का संचालन सर्व शिक्षा अभियान के अन्दर [illegible] स्टेट सोसाइटी उ0 प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद लखनऊ के द्वारा किया जायेगा। इस तरह के केन्द्रो पर 6 से 8 वर्ष के बच्चे पंजीकृत किए जायेंगे इन केन्द्रों को ऐसे स्थल पर संचालित किया जायेगा जो मजरे, टोले, बस्ती प्रा0 वि0 से 1 कि0मी0 की परिधि के बाहर होंगे तथा जहां स्कूल न जाने वाले 30 बच्चे उपलब्ध होंगे, इन केन्द्रो पर कक्षा-01 से 02 तक शिक्षण व्यवस्था की जायेगी। इन केन्द्रों पर एक [illegible] आचार्य दीदी की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है। जनपद में कुल 75 केन्द्र खोले जाना प्रस्तावित है जो सत्र 2001-02, 2002-03 में क्रमशः 25 एवं 50 खोले जायेंगे।

परिवार सर्वेक्षण स्कूल से बाहर बच्चों का विवरण

5 से 6 वर्ष			7 से 10 वर्ष			11 से 14 वर्ष			योग		
बालक	बालिकाएँ	योग	बालक	बालिकाएँ	योग	बालक	बालिकाएँ	योग	बालक	बालिकाएँ	योग
16363	18596	34959	21671	21758	43429	24071	27117	51188	62105	67471	129576

चिहिन्त बच्चों का कारण

	5 से 6 वर्ष		7 से 10 वर्ष		11 से 14 वर्ष		योग		
	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	बालक	बालिकाएं	योग
1. अपने घर के कामों में लगा रहना	3862	4127	13746	14097	12684	12404	30292	30628	60920
2.भाई बहन की देखभाल	3975	5596	5034	0	0	0	90009	5596	14605
3.मजदूरी मे लगे रहना	1309	193	1094	587	4032	826	6435	1606	8041
4.विद्यालय दूर होने के कारण	441	359	549	390	739	1482	1729	2231	3960
5.अन्य कारण	6776	8321	1248	6648	6614	12405	14640	27410	42050

स्कूल चलो अभियान की अद्यतन प्रगति (वर्ष 2003–2004)

क्रम सं0	जनपद	परिवार सर्वेक्षण के दौरान स्कूलजाने वाले चिन्हित बच्चों की संख्या									महा योग	स्कूल जाने वाले बच्चों के सापेक्ष 31.8.03 तक विद्यालय में नामांकित कराये गये बच्चों की संख्या									महा योग
		5+ से 6+			7+ से 10+			11+ से 14+				5+ से 6+			7+ से 10+			11+ से 14+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	मुरादाबाद	16368	18601	34969	24671	26758	51429	24071	27117	51188	137586	12950	11980	24930	18105	17610	35715	18500	17950	36450	97095

विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान, मुरादाबाद

स्कूल से बाहर बच्चों को स्कूल में लाने के लिए रणनीति/ कार्य योजना:—

शिक्षा गारन्टी:—

शिक्षा गारन्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003 में जनपद मुरादाबाद में 200 केन्द्रों का लक्ष्य है यह सुविधा उन बच्चें के लिए हैं जो विद्यालय सुविधा उपलब्ध न होने के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते है। उनको कक्षा 1 व दो की शिक्षा देकर बच्चों का नामांकन औपचारिक विद्यालय में कक्षा 3 में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जायेगा। इन 200 केन्द्रों के माध्यम से लगभग 8000 बच्चों का नामांकन मुख्य धारा में कराया जायेगा।

ई0जी0एस0 का वर्षवार लक्ष्य:—

वर्ष	केन्द्र	अनुमानित नामांकन संख्या
03—04	200	7068
04—05	200	7500
05—06	200	7000
06—07	200	6000
योग:—	800	27568

अनुदेशक का चयनः–

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा गोष्ठी के अनुसार चयनित करके चयन किया जायेगा।

प्रशिक्षणः–

ई0जी0एस0 केन्द्रों पर शिक्षण कार्य करने वाले आचार्य का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एक माह का प्रशिक्षण दिलाया जायेगा।

शिक्षण सामग्रीः–

प्रत्येक केन्द्रों पर मानक के अनुसार शिक्षण समिति की व्यवस्थायें है।

मानदेयः–

ई0जी0एस0 केन्द्र के आचार्या/ दीदी को प्रतिमाह 1000/– एक हजार मानदेय के रूप में दिया जायेगा।

ए0आई0ई0 प्राथमिक –

मुरादाबाद पीतल नगरी से जाना जाता है। पीतल उद्योग में आज भी बहुत से बच्चे काम करते है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण बालिका शिक्षा स्थिति शोचनीय है। कई सामाजिक परिस्थितियों के कारण विद्यालय के समय में बालक बालिकायें विद्यालय में प्रवेश नही ले पाते है। ऐसे बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक केन्द्रों की व्यवस्था। इसमें 6–14 वर्ष के बच्चे स्तर के आधार पर नामांकन करके 1 से 5 तक की कक्षा की पढ़ाई कर सकते है इस वर्ष का लक्ष्य 14 है।

एओआइ०इ० प्राथमिक केन्द्रों का लक्ष्य:—

वर्ष	केन्द्र	अनुमानित संख्या
03—04	14	560
04—05	39	1560
05—06	69	2760
06—07	69	2760

उच्च प्राथमिक:— उच्च प्राथमिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत देखा गया है कि आज भी सुदूर क्षेत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय की कमी दिखायी देती है। बच्चे 5 वीं परीक्षा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप कर लेते है परन्तु उच्च प्राथमिक विद्यालय व्यवस्था न होने के कारण आगे पढाई रूक जाती है। बालिकाओं को लोग सुरक्षा के हिसाब से दूर नही भेजना चाहते है। ऐसी परिस्थिति में उच्च प्राथमिक केन्द्रो की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रखी गयी है। वर्ष 2003—04 में इन केन्द्रो का लक्ष्य 14 लाख है। आगामी वर्षो में भी इन केन्द्रों के माध्यम से 6 से 8 तक शिक्षा दिलवायी जायेगी।

लक्ष्य उच्च प्राथमिक (A.I.E.)

वर्ष	केन्द्र	अनुमानित संख्या
03—04	100	4000
04—05	160	6400
05—06	160	6400
06—07	160	6400

उच्च प्राथमिक केन्द्रों में दो अनुदेशक शिक्षण-कार्य हेतु रखे जाने का प्राविधान है। एक अनुदेशक साहित्य वर्ग से तथा दूसरा अनुदेशक विज्ञान वर्ग से चयनित किया जायेगा।

ब्रिज कोर्स / गैर आवासीय :-

मलिन बस्तियों के बाल श्रमिक, घुमन्तु बच्चे चाय की दुकान एवं होटलों में काम करने वाले बच्चे लघु उद्योगों में लगे बच्चों के लिए ग्रीष्म कालीन शिविर अथवा ब्रिज कोर्स आयोजित किये जायेगे। इन ब्रिज कोर्सों में 40 से 50 तक की संख्या में शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। इन शिविरों के माध्यम उचित माहौल में रहकर बच्चे शिक्षा से जुडकर मुख्य धारा में प्रवेश कर सकेगें।

इस वर्ष प्रत्येक न्याय पंचायत स्तरपर ब्रिज कोर्स संचालित करने का लक्ष्य है।

वर्ष	ब्रिज कोर्स की संख्या	अनुमानित संख्या
03–04	94	3760
04–05	13	520
05–06	13	520
06–07	13	520

लगभग वर्ष 2007 तक बच्चे शिविर में पढ़ाई करके मुख्य धारा में प्रवेश कर सकते हैं।

आवासीय ब्रिज कोर्स:–

बालिकाओं के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आवासीय ब्रिज कोर्स की व्यवस्थायें हैं। इस वर्ष 13 आवासीय ब्रिज कोर्स का लक्ष्य है। इसके लिए एन0जी0ओ0 की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम को देखते हुये इन ब्रिज कोर्स का लक्ष्य बदला जा सकता है।

स्कूल से बाहर बच्चो के लिए रणनीति / कार्य योजना

1— सर्व प्रथम प्राथमिक विद्यालय में नामांकन

2— जागृति तथा स्कूल अभियान के अन्तर्गत नामांकन

3— मात्र शिक्षा संघ तथा ग्राम शिक्षा समितियों के साथ बैठने के तथा विद्यालय में नामांकन।

4— वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अन्तर्गत ई0जी0एस0 केन्द्रों की स्थापना (जहाँ पर विद्यालय पहुँच से बाहर है।)

5— बाल श्रमिक तथा कामकाजी बच्चों के लिए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक केन्द्रों की स्थापना (जो बच्चे विद्यालय समय में प्रवेश नहीं ले पाते)

6— विशेष रूप से बालिकाओं के लिए आवासीय तथा गैर आवासीय ब्रिज कैम्पों की व्यवस्थायें जो बच्चे शिक्षा त्यागी या बड़ी बच्चियाँ जो विद्यालय में प्रवेश लेने में हिचक रखते है।

इण्डो–यू. एस. डोल प्रोजेक्ट

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 5 जनपदों – अलीगढ़, इलाहाबाद, फिरोजाबाद, मुरादाबाद तथा कानपुर नगर में बाल श्रमिकों को ट्रांजिनशल एजूकेशन सेन्टर एवं अल्टरनेटिव सेन्टर के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु 'इण्डो–यू.एस डोल प्रोजेक्ट' स्वीकृत किया गया है। इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार, यूनाइटेड स्टेट तथा श्रम विभाग की भागीदारी है। यह प्रोजेक्ट सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित किया जायेगा। प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सर्वेक्षण कराकर बाल श्रमिकों को चिन्हित किया जायेगा और उनकी शिक्षा हेतु स्थानीय आवश्यकता के अनुसार एजूकेशन सेन्टर स्थापित किये जायेगें अथवा औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जायेगा।

इण्डो–यू. एस. डोल प्रोजेक्ट के संचालन क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं समन्वय हेतु जनपद स्तर पर एक सहायक शिक्षा अधिकारी, एक सहायक, एक आशुलिपिक तथा एक परिचारक के वेतन की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है जो कि भारत सरकार के अंशदान के रूप में मानी जायेगीं।

वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा कार्यक्रम –

परिवार की आर्थिक सहायता में वृद्धि के लिए बालक बालिकाओं की शिक्षा बीच में ही छुड़वाने के फलस्वरूप ड्राप आउट की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है विशेषकर काम काजी बच्चे (बाल श्रमिको) तथा ऐसे बच्चे जो बढ़ती उम्र के कारण झिझक महसूस करते है को मुख्य धारा को जोड़ने के लिये वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा केन्द्रों का आयोजन किया जायेगा। यह केन्द्र प्राथमिक 6–11 उम्र के तथा उच्च प्राथमिक 11–14 वर्ग के बच्चो के लिये दोनो स्तर के होंगे।

मुख्यतः झुग्गी, झोपड़ी, मलिन बस्तियां, बाल श्रमिको से आच्छादित स्थल जहाँ पर 6–11, 11–14 आयु वर्ग के ड्राप आउट बच्चे उपलब्ध होंगे तथा विद्यालय न जाने वाले 30 बच्चे उपलब्ध होंगे वहां नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। इन केन्द्रों पर जिस स्तर के बच्चे होंगे पढ़ाई पूर्ण कराकर किसी भी समय योग्यतानुसार औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जायेगा इन केन्द्रों पर बच्चे का प्रवेश किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिये मानक निदेशक बेसिक और अपर निदेशक राज्य परियोजना द्वारा निर्धारित किया जायेगा। प्राथमिक स्तर के वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र पर आचार्य जी/दीदी जी एवम् उच्च प्राथमिक केन्द्र आचार्य जी/दीदी जी की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद में 160 केन्द्र ज्ञान शाला प्रस्तावित हैं जो सत्र 2001–02 व 2002–03 में क्रमशः 60 व 100 खोले जायेंगे।

ई० जी० एस०, वैकल्पिक नवाचार शिक्षा (ए० आई० ई०) केन्द्रो की स्थापना हेतु प्राथमिकता –

1– अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र –

2– ऐसे क्षेत्र जहां बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत कम है।

ऐसे क्षेत्र जहाँ ड्रॉप आउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक है।

स्ट्रीट चिल्ड्रन, बाल श्रमिक, घुमन्तु, खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों की संख्या बाहुल्य क्षेत्र।

आचार्य जी/दीदी जी का चयन --

1 - नियुक्ति की प्रक्रिया तथा योग्यता विवरण –

आचार्य जी एवं दीदी जी की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से की जायेगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आचार्य एवं दीदी की नियुक्ति हेतु प्रचार एवं प्रसार कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों का विश्लेषण कर ग्राम शिक्षा समिति उपयुक्त व्यक्तियों की सूची अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त अंक पत्रों के आधार पर तैयार करेगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार भी होगा। ग्राम के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी। तथा ग्राम में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती ग्राम निवासी को नियुक्त किया जायेगा।

नगर क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के आचार्य/दीदी का चयन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र, सभासद सम्बन्धित वार्ड, नगर क्षेत्र का वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक/शिक्षक की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

प्राथमिक स्तर शिक्षा केन्द्र हेतु –

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल

2– न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी तथा अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गयी है।

3– अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो पर अनुदेशक के रूप में 3 वर्ष की सन्तोष जनक सेवा पर 5 अंक का बोनस दिया जायेगा।

4– महिलाओं को वरीयता दी जायेगी सर्वाधिक अंक प्रतिशत पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।

5 उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षा केन्द्रो पर आचार्य जी/दीदी जी के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम आयु 21 वर्ष तक अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है स्नातक अभ्यर्थी न मिलने पर इन्टरमीडिएट महिलाओं को रोका जायेगा।

आचार्य जी/दीदी जी का प्रशिक्षण –

आचार्य जी एवं दीदी जी का तीस दिवसीय प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अथवा ब्लाक रिसोर्स सेन्टर पर आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक चयनित आचार्य एवं दीदी जी का एक माह का प्रशिक्षण जिला शिक्षा संस्थान द्वारा डायट के प्रवक्ताओं, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/एस0 डी0 आई0/ब्लाक प्रोग्राम आफीसर/ब्लाक रिसोर्स पर्सन तथा योग्य अध्यापक, सन्दर्भ व्यक्तियों के माध्यम से कराया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा रू0 1500/- प्रति आचार्य/दीदी जी की दर से धन राशि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण को आवंटित करेगी। आगामी प्रशिक्षण अवधि में आचार्य/दीदी जी का मानदेय की कोई धनराशि देय नहीं होगी।

आचार्य/दीदी जी का मानदेय –

आचार्य/दीदी जी का मानदेय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा

प्रति आचार्य/दीदी जी 1000/– की धनराशि ग्राम शिक्षा समिति के संयुक्त खाते में प्रति माह हस्तांतरित कर दी जायेगी। जिसे अध्यक्ष एवं सचिव ग्राम शिक्षा समिति द्वारा माह के प्रथम सप्ताह में आचार्य/दीदी जी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा। मानदेय की धनराशि एक बार में 6 माह को अग्रिम के रूप में समिति खाते में हस्तान्तरित की जायेगी तथा ए0 बी0 एस0 ए0/एस0 डी0 आई0 की संस्तुति पर अगले 6 माह की धनराशि खातों में हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

नगर क्षेत्र में शिक्षा अधीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आचार्य/दीदी जी की सेवा संस्तुति संयुक्त रूप से की जायेगी। इस प्रकार की धनराशि बी0 एस0 ए0 द्वारा शिक्षा अधीक्षक को उपलब्ध करा दी जायेगी।

शिक्षा गारंटी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन का समय व स्थल –

सार्वजनिक स्थल, चौपाल, विवाद रहित भवन, आदि में यह केन्द्र संचालित किये जायेंगे। केन्द्र संचालन की अवधि 4 घंटे प्रतिदिन होगी। यह अवधि प्रातः 9 से सायं 4 बजे के मध्य होगी। इसके साथ समय का निर्धारण उपलब्ध छात्रों की परिस्थितियां दृष्टिगत रखते हुये किया जायेगा।

सभी बस्तियों व नगरीय क्षेत्रों में माइक्रोप्लानिंग द्वारा 2001–2002 में आंकलन किया जायेगा ताकि स्कूल से बाहर बच्चों, आयु वर्ग व कारणों को सही रूप से ज्ञात किया जा सके। यह सर्वेक्षण इसलिये किया जाना आवश्यक है ताकि 2002–2003 के बाद एस0 एस0 ए0, ई0 जी0 एस0/ए0 आई0 ई0 कार्यक्रमों को बच्चों के अभीष्ट वर्ग/चिन्हित समूह पर केन्द्रित किया जा सके। प्रस्ताव है कि

निकटतम विद्यालय के प्रधानाध्यापक/अध्यापकों का भी यह कर्तव्य होगा कि वह निरन्तर इन केन्द्रो का पर्यवेक्षण कर अपनी आख्या से ग्राम शिक्षा समिति/ब्लाक स्तरीय समिति को अवगत कराते रहेंगे।

पर्यवेक्षण की व्यवस्था --

पर्यवेक्षण कार्य ब्लाक स्तर पर ए० बी० एस० ए०/एस० डी० आई०/बी० आर० सी० सी०/ए० बी० आर० सी० सी०/एन० पी० आर० सी० सी० प्रभारियों द्वारा किया जायेगा। समय--समय पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी पर्यवेक्षण करेंगे। जिन जनपदो में सी० आर० सी० और बी० आर० सी० प्रभारी कार्यरत नही है वहां क्लस्टर रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है निकटतम विद्यालय के प्रधानाध्यापक/अध्यापको का भी यह कर्तव्य होगा कि वह निरन्तर इन केन्द्रो का पर्यवेक्षण कर अपनी आख्या से ग्राम शिक्षा समिति/ब्लाक स्तरीय समिति को अवगत कराते रहे।

पर्यवेक्षक के चैक बिन्दु --

क-- आचार्य/दीदी जी की कार्य स्थिति
ख-- आचार्य का रख रखाव
ग-- नियमित केन्द्र संचालन
घ-- छात्रो की योग्यता बढाने का अथक प्रयास
ङ-- अभिभावको में जागरूकता लाना।
छ-- छात्रो को अतिशीघ्र मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास में

ख- पर्यवेक्षक प्रणाली

1- खण्ड शिक्षा अधिकारी / एस0 डी0 आई0

2- सी0 आर0 सी0 को आर्डीनेटर / केन्द्रीय प्रधानाध्यापक

3- सी0 आर0 सी0 प्रभारी

जहाँ पर सी0 आर0 सी0 समन्वयक की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर कलस्टर रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति की जानी प्रस्तावित है।

4- निकटतम प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक

5- उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक

6- विकास खण्ड अधिकारी

7- स0 व0 शिक्षा अधिकारी

8- जनपदीय अधिकारी

9- मण्डलीय अधिकारी

ग- पर्यवेक्षण हेतु मानदेय / व्यय की व्यवस्था --

पर्यवेक्षकों को 2 . रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर रखा जाना सम्भव हो प्रत्येक पर्यवेक्षक अधिकारी का पर्यवेक्षण व्यय वर्ष में 2100 रुपये प्रस्तावित है।

शिक्षार्थियों का मूल्यांकन व मुख्य धारा में सम्मिलित होने की व्यवस्था --

आचार्य जी / दीदी जी द्वारा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों का सतत एवं नियमित मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिए आचार्य / दीदी जी द्वारा दैनिक डायरी तैयार करनी होगी, बच्चों को तिमाही-छिमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन हेतु मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा तथा यह प्रयास होगा

कि इन केन्द्रों पर पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा शीघ्र से शीघ्र औपचारिक विद्यालय की उपयुक्त कक्षा में जिसके लिये वह योग्य है किसी भी समय प्रवेश लिया जावे। आचार्य जी/दीदी जी का यह दायित्व होगा कि उनके केन्द्र में पढ़ने वाले बच्चे शीघ्र अतिशीघ्र एवं अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा की मुख्य धारा के उपयुक्त कक्षा में प्रवेश पाते रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में आचार्य जी/दीदी जी का मूल्यांकन ग्राम शिक्षा समिति एवं विकास खण्ड स्तरीय समिति तथा जिला स्तरीय द्वारा किया जायेगा।

आचार्य जी/दीदी जी द्वारा बच्चों के अध्ययन आदि में उनके व्यवहारिक स्तर में आये सुधार से अभिभावकों एवं ग्राम शिक्षा समिति को लगातार अवगत कराया जायेगा। केन्द्रों में अध्ययनरत बच्चों जो कक्षा-5 हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेंगे उनकी परीक्षा बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित परीक्षा प्रणाली के आधार पर निकट के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा करायी जायेगी।

निःशुल्क शिक्षण सामग्री :-

प्रत्येक शिक्षा केन्द्र हेतु आवश्यक सामग्री एवम् साज सज्जा हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी ग्राम शिक्षा समिति विभाग द्वारा निर्धारित सामग्री बाजार मूल्य पर नियमानुसार नियमानुसार क्रय कर के आचार्य जी/दीदी जी को उपलब्ध करायी जायेगी इन केन्द्रों पर नामांकित सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी इन

केन्द्रों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवम् मुद्रित पाठ्य पुस्तकें ही प्रयोग में लायी जायेगी इन केन्द्रों पर व्यय निम्नवत किया जायेगा।

अनुसंगिक व्यय

ई0 जी0 एस0	845 प्रति बच्चा प्रति वर्ष
वैकल्पिक नवाचार शिक्षा केन्द्र	1200 प्रति बच्चा प्रति वर्ष

प्रबन्धन पर व्यय –

ई0 जी0 एस0 वैकल्पिक नवाचार शिक्षा केन्द्रों की कुल अनुसंगिक व्यय में 5 प्रतिशत राज्य/जिला एवम् विकास खण्ड स्तर पर प्रशासनिक/प्रबन्धन पर होने वाला व्यय सम्मिलित है।

विकास खण्ड स्तर पर प्रबन्धन पर व्यय की अधिकतम सीमा निम्नवत होगी–

80–100 केन्द्रों पर	2.50 प्रति वर्ष
50–80 केन्द्रों पर	2.00 प्रति वर्ष
25–50 केन्द्रों पर	1.50 प्रति वर्ष
5 सकल केन्द्रों पर	100 प्रति बच्चा प्रति वर्ष

ब्रिज कोर्स ग्रीष्म कालीन/क्षेत्र पर आधारित कोर्स –

इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालयों से वंचित बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था कर उनको औपचारिक विद्यालयों के योग्यतानुसार प्रवेश दिलाना है।

[illegible] सरकार द्वारा 14 वर्ष के बच्चों को इस व्यवस्था से जोड़ने का प्रावधान किया है परन्तु भारत सरकार द्वारा अधिक आयु के बच्चों हेतु इस व्यवस्था का प्राविधान करने की बात कहीं नहीं है।

इस तरह के कार्य 9 14 वर्ष वर्ग के गुमन्तु, [illegible], मलिन बस्ती में रहने वाले, दुकानों, होटल पर कार्य करने वाले, कुली गिरी करने वाले, खतरनाक उद्योगों में कार्य करने वाले, शाला त्यागी, भट्ठों पर कार्य करने वाले [illegible] बाल श्रमिक को मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से प्रस्तावित किये गये हैं।

मुरादाबाद नगर क्षेत्र में बाल श्रमिकों की संख्या वर्ष 99—2000 में श्रम विभाग मुरादाबाद द्वारा सर्वे कराया गया जिससे प्राप्त आँकड़ो के आधार पर बाल श्रमिकों की संख्या 6099 है। इनके अतिरिक्त सम्भल नगर के [illegible] तहसील क्षेत्र में भी बाल श्रमिकों की अधिकता है इसके अतिरिक्त कुछ विकास खण्ड ऐसे हैं जिनके ड्राप आउट दर अधिक है। ऐसे क्षेत्रों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम समर कैम्प/ब्रिज कोर्स आयोजित किये गये इन विशेष शिविरों के माध्यम से ऐसे छात्र छात्राओं को जो औपचारिक विद्यालयों में नामांकित नहीं थे प्रेरित किया गया इनके शिक्षण की व्यवस्था की गयी तथा योग्यतानुसार उनका औपचारिक विद्यालयों में नामांकित किया गया इन कैम्पों से अच्छे परिणाम मिले को दृष्टिगत रखकर अग्रिम वर्षों में निर्देश प्राप्त होने पर प्राविधान किया जायेगा।

ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन/विशिष्ट क्षेत्रों के शिविरों में 9—14 आयु वर्ग के [illegible] 50 से लेकर 150 बच्चों को सम्मलित करने की व्यवस्था का प्राविधान होगा [illegible] शिविर 40 दिन अथवा आवश्यकतानुसार अवधि के लिए लगाये जायेंगे। प्रति शिविर अनुमानित 45000 रूपये व्यय करने का प्राविधान प्रस्तावित है। यह शिविर

पूर्णतया आवासीय होंगे जिनमें बच्चों के रहने, खाने पीने पठन शिक्षण आदि की व्यवस्था निशुल्क की जायेगी तथा स्वास्थ्य परीक्षण भी [illegible]

निर्धारित मानकों के [illegible] 01 केन्द्र [illegible] पैरा टीचर एक रसोइया तथा एक [illegible] की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है [illegible] चयन जिला स्तरीय समिति के माध्यम से [illegible] के अनुसार व्यवस्था की जायेगी ।

ब्रिज कोर्स, ग्रीष्मकालीन शिविर तथा विशिष्ट [illegible] पर आवासीय शिविरों [illegible] प्रत्येक वर्ष मई माह में [illegible] पढ़ने वाले बाल छात्रों, [illegible] तथा [illegible] व्यवस्था निशुल्क [illegible] होगी । इन शिविरों की अवधि [illegible] माह के [illegible] 3000 रु. [illegible] की दर से धनराशि व्यय की [illegible] 2001-02 में [illegible], 2002-03 में 6 तथा 2003-04 में 6 ब्रिज कोर्स प्रस्तावित किये गये हैं

जिला समिति का गठन [illegible]

जिला स्तर पर जिला [illegible] समिति का गठन किया [illegible] कालान्तर में सर्व शिक्षा अभियान के [illegible] समिति [illegible] जायेगी । जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा [illegible] प्रकार होगी -

जिलाधिकारी	[illegible]
विशेषज्ञ/बे.सि.अ./जि. [illegible]	[illegible] सचिव

प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	—	सदस्य
जिला स्तरीय श्रम विभाग का एक अधिकारी		सदस्य
जिला पंचायत राज अधिकारी	—	सदस्य
वित्त एवं लेखा अधिकारी (बेसिक शि० अ०)	—	सदस्य
स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि	—	सदस्य

स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों का नामांकन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव तैयार करने एवं कार्यक्रम को संचालन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व इस समिति का होगा।

विकास खण्ड स्तरीय समिति —

विकास खण्ड स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिये निम्न समिति का गठन किया जायेगा।

ब्लाक प्रमुख	—	अध्यक्ष
सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / एस० डी० आई०	—	सदस्य / सचिव
ग्राम प्रधान (ब्लाक)	—	सदस्य
विकास खण्ड के वरिष्ठ प्र० अ० में से एक	—	सदस्य
(स० बे० शि० अ० द्वारा नामित)		
सी० आर० सी० सी०	—	सदस्य
बी०आर० / एन० पी० आर० सी० सी०	—	सदस्य

ग्राम शिक्षा समिति

ग्राम शिक्षा समिति प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पूर्व से कार्य कर रही है इस योजना के क्रियान्वयन करने में अहम भूमिका निभायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहाकर समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व –

क- ब्लाक एवं नगरीय स्तर से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा करना एवं तदोपरांत लागू करना।

ख- लिंक कोर्स/ग्रीष्मकालीन शिविर/तथा स्वयं सेवी संगठनों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की संस्तुति सहित स्टेट सोसाइटी को प्रस्तुत करना।

ग- कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

घ- अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ अपेक्षित समन्वय स्थापित करना।

ङ- कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करना एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन करना।

च- स्टेट सोसाइटी द्वारा आवंटित कराई गयी धनराशि जनपदीय एवं विकास खण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथवा स्वैच्छिक संगठनों को कार्यक्रमों के संचालन हेतु अग्रिम रूप से उपलब्ध कराना।

ग्राम शिक्षा समिति के कर्तव्य एवं दायित्व –

1- कार्यक्रमों के लिये उचित वातावरण तैयार कराने में सहयोग प्रदान करना।

2- केन्द्र संचालन हेतु प्रस्ताव तैयार कर सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करना।

3- केन्द्रों के समय का निर्धारण।

4- केन्द्र संचालन हेतु स्थल का निर्धारण।

5- केन्द्रों की शिक्षण सामग्री विभागीय निर्देशानुसार क्रय कर केन्द्रों को उपलब्ध कराना।

6- अनुदेशकों को प्रशिक्षणोपरान्त केन्द्र स्थापना/नियुक्ति पत्र जारी करना।

7-- केन्द्र संचालन हेतु अनुदेशक उपस्थित एवं छात्र उपस्थिति नियमित कराने में सहयोग प्रदान करना।

8- अनुदेशकों के मानदेय का नियमित भुगतान कराना।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका -

योजना को सफल बनाने में विकास खण्ड स्तरीय समिति की निम्न भूमिका प्रस्तावित है--

1- ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को प्राप्त कर समीक्षा करना।

2- ग्रामीण क्षेत्र की माइक्रोप्लानिंग कर योजना को मूर्त रूप देना।

3- क्लस्टर/रिसोर्स परसन्स न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक की सहायता से केन्द्रों/शिविरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण (अनुश्रवण)

4-- जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध सन्दर्भ दाताओं की सहायता से अनुदेशकों का प्रशिक्षण कराना।

5- मासिक सूचनाएं संकलित करना।

6-- सूचनाओं का भौतिक सत्यापन कर जिला समिति को प्रस्तुत करना।

विकलांग/अल्पसंख्यक/बालिकाओं के लिये वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र

जिन ग्रामों में विकलांग एवं अल्पसंख्यक बच्चों की बाहुल्यता वाले विद्यालय से बाहर बच्चों की उपलब्धता कर चिन्हित कर अधिकतम 14 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों हेतु वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र की विशिष्टता के आधार पर केन्द्र खोले जायेंगे कोई भी विकलांग शिक्षा से वंचित न रहे जाये इसका प्रयास किया जायेगा विशेष श्रेणी के विकलांग को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे

बालिकाओं के लिये, बालिकाओं की कम साक्षरता वाले मौजे टोले, बस्तियों में बालिका केन्द्र खोले जायेंगे तथा महिला अनुदेशिका का चयन किया जायेगा इसमें सामुदायिक सहभागिता [illegible] तथा महिला [illegible] प्रान्तीय महिला कल्याण समिति, [illegible] आदि के सहयोग से चेतना जागृति एवं बालिका शिक्षा में रुचि बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। [illegible] मदरसों में भी ई.जी. एस. केन्द्र खोले जाने हेतु प्रयास किया जायेगा

ब्लाकवार खोले जाने वाले ई.जी.एस. केन्द्रों की सूची .

क्र.सं.	ब्लाक	ई.जी.एस.विद्या केन्द्र/ज्ञान केन्द्र	ब्रिज कोर्स	कैम्प आधारित शिविर	उ.प्र. ज्ञान [illegible]
1-	मुरादाबाद	10	-	-	10
2-	भगतपुर टाण्डा	4	2		10
3-	छजलैट	10	-	-	10

4-	ठाकुरद्वारा	6	[illegible]	-	10
5-	डिलारी	2	02	01	10
6-	बिलारी	1	02	01	09
7-	बनियाखेड़ा	01	01	-	13
8-	बहजोई	06	01		15
9-	सम्भल	06	02	01	10
10-	पंवासा	10	02	01	15
11-	कुन्दरकी	09			10
12-	असमोली				10
13-	मुण्डापाण्डेय				10
14-	नगर क्षेत्र सम्भल	05	01		05
15-	नगर क्षेत्र चन्दौसी		01		05
16-	नगर क्षेत्र मुरादाबाद	05	02	01	05
	योग	75	16	5	160

[illegible] ई.सी. [illegible] कुल 75 [illegible]
2001-2002/2002-2003 क्रमशः 25 एवं 50 [illegible]

ई.जी.एस.

ई.जी.एस. प्राथमिक स्तर के केंद्र/वैकल्पिक ज्ञान केंद्र वर्षवार 2001-2002 में 25 तथा 2002-03 में 50 केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है

इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर ज्ञानशाला वर्ष 2001-02 में 60 तथा 2002-03 में 100 खोले जाने का प्रस्ताव है

ब्रिज कोर्स भी आवश्यकता अनुसार वर्ष 2001-02 में 4 2002-03 में 6 एवं 2003-04 में 6 किये जाने का प्रस्ताव है

समर कैंप

समर कैंप प्रथम वर्ष में प्रस्तावित नहीं है 2002-03 2003-04 तथा 2004-05 में 5-5 समर कैंप प्रत्येक वर्ष में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है

मकतब/ मदरसे

डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत 20 मकतब स्तर के केंद्र संचालित हैं जिनको वर्ष 2002-03 तक डी.पी.ई.पी. के माध्यम से चलाये जाने हैं उसके पश्चात इनको निरन्तर संचालित करने हेतु 2003-04 से 2009-10 तक सर्वशिक्षा अभियान में प्रस्तावित किया गया है

सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष मदरसों [illegible] [illegible] करने का प्रस्ताव है

विकास खण्ड पहसोई -1

1- पीपली

2- कमालपुर [illegible]

3- दरखेड़ा सोनक

4- [illegible] मढ़ैया

5- सोरानपुर मढ़ैया

6- हसनपुर खुर्द [illegible]

विकास खण्ड - [illegible] -2

1- [illegible]

2- मिलक [illegible]

3- [illegible]

4- [illegible]

विकास खण्ड - [illegible] 3

1- [illegible]

2- [illegible]

3- [illegible]

4- [illegible]

5- मढ़ैया

6- [illegible]

7- मैनाठेर

8- रसूलपुर

9- अजवापुर

10- [illegible]

विकास खण्ड - सम्भल - 4

1- कथना

2- सद्दू सर

3- मल्ली सराय

4- [illegible]

5- [illegible]

6- जमालपुर

विकास खण्ड - [illegible] -5

1- [illegible]

2- [illegible]

3- [illegible]

4- [illegible]

5- [illegible]

6- [illegible]

विकास खण्ड कन्दरकी -6

1- अलावलपुर

2- न्यामतपुर बूथ

3- कनकपुर

4- सिमलाठेर

5- लाइठेर

6- मुरादपुर

7- हाथीपुर चन्दोई

8- जमापुर

9- [illegible]

विकास खण्ड - बिलारी -7

1- सिंगाव सिंगपुर

2- सैदनगर

विकास खण्ड -डिलारी -8

1- सरकड़ा

विकास खण्ड -बनियाखेड़ा -9

1- हसनपुर [illegible]

विकास खण्ड -मुरादाबाद -10

1- बारापुर

2- चक गिन्दौड़ा

3- सैदपुर खद्दर

मलिक अली बख्श

5- मुलक आला सहह

6- चक बीजना

7- मिलक बागवानों वाली

8- मिलक काजी वाली

9- मझरा राम मूर्तिवाला

10- मझरा ब्रानावाला

विकास खण्ड - पंवासा -11

1- नाई वाली मढैया

2- आदमपुर

3- मिलक मई पुर

4- सिमला मढैया

5- नई बस्ती अझरा

6- पतिया मढैया

7- हैबतपुर घेर

8- सारंगपुर घेर

9- भवानीपुर नई बस्ति

10- औरंगाबाद देहरी यादव बस्ती

~~जनपद — [illegible]~~

ई0 जी0 एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों के शिक्षा केन्द्रो के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयं सेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयं सेवी संगठनो की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनो से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियो एवं सन्दर्भ व्यक्तियो के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनो के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं निरीक्षण किया जायेगा उपयुक्त पाये गये स्वयं सेवी संगठनो के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0 जी0 एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0 प0 नि0/466/2001--2002 दिनांक 15 जून, 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0 जी0 एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। संदर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0 जी0 एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या – रा0 प0 नि0/539/2001–2002 दिनांक 7 जून, 2001 द्वारा उ0 प्र0 राज्य के लिए शिक्षा

परिषद के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की उपयोगिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई० जी० एस०/ए० आई० ई० योजना के तहत बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त है। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजूकेशन गारण्टी स्कीम वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में [illegible] अनुदेशक के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते हैं सहयोग ई० जी० एस०, एजूकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना की [illegible] के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों के अनुमोदन की [illegible] की अपेक्षानुसार रखी गयी है।

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण

माइक्रोप्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर आउट आफ स्कूल बच्चों को चिन्हित किया जाता है। अण्डर ऐज व ओवर ऐज बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण [illegible] संशोधित किया जायेगा [illegible] वांछित अतिरिक्त सूचना [illegible] हो सके।

प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रु0 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रोप्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के 17674 आउट आफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये है। आगामी वर्षों में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्राप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से अपेक्षित विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

इनोवेटिव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय इन्नोवेटिव मॉडल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव मॉडल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रु0 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

अध्याय–8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

पूर्व में किये गये शिक्षा के सार्वभौमीकरण [illegible] प्रयासों में [illegible] गया है बालक बालिकाओं का विद्यालयों में [illegible] तो हो गया [illegible] कारणों से ठहराव में वृद्धि न होने के कारण [illegible] की समस्या [illegible]। सर्व शिक्षा अभियान में ठहराव में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें मुख्य प्रयास निम्नवत है –

वर्तमान में [illegible]

सारणी 8 [illegible]

क्र0 सं0	आइटम/सुविधा	प्राथमिक [illegible]	उच्च प्राथमिक [illegible]
1–	विद्यालय पुनः निर्माण	93	33
2–	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	1126	[illegible]
3–	पेयजल सुविधा	200	65
4–	शौचालय	510	110
5–	चाहर दीवारी	0	5

विद्यालयी सुविधाये –

प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय भवन के [illegible] हेतु प्रति वर्ष 5000 [illegible]

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक

निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए परिषदीय एवं उच्च प्राथमिक सहायता प्राप्त एवं माध्यमिक विद्यालयों में अनु0जाति0 / अनु0जन जाति एवं सभी बालिकाओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का प्राविधान वर्ष 04--05 में किया गया है।

वर्ष	कक्षा 1 से 5 तक अनु0जाति0 / अनु0जन जाति एवं बालिका	कक्षा 6 से 8 तक अनु0जाति0 / अनु0जन जाति एवं बालिकाएं
03–04	253102	99029
04--05	275200	100,000
05–06	290,000	1100,000
06–07	300,000	12500

अध्यापक अनुदान

वर्ष 04-05 से प्रत्येक परिषदीय अध्यापकों को 500 प्रति अध्यापक एवं सहायता प्राप्त विद्यालय के मात्र 3 अध्यापक प्रति विद्यालय के दर से देय होगा।

अध्यापक अनुदान हेतु विवरण

वर्ष	प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की संख्या	प्राथमिक विद्यालय के शिक्षामित्र की सं०	उ० प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की संख्या	सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रति विद्यालय के तीन अध्यापक
04–05	3341	1566	907	42X 3 = 126
05–06	3341	1566	907	42X 3 = 126
06–07	3341	1566	907	42X 3 = 126

कुल 3341 + 1566 + 907 + 126 = 5940 अध्यापकों को 500 प्रति अध्यापक की दर से अध्यापक प्रशिक्षण सामग्री (TLM) के लिए दिया जायेगा।

5940 x 500 = 29,70,000

29,70,000 धनराशि का विवरण वर्ष 04-05 से अध्यापकों से दिया जाने का प्राविधान बनाने में किया गया है।

जनपदीय विद्यालयों के लिए विद्यालय विकास अनुदान

जनपद के विद्यालयों के लिए विद्यालय विकास अनुदान के रूप में 2000/ प्रति विद्यालय की दर से प्राथमिक, उ०प्रा० प्राथमिक एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों को वर्ष 04- 05 से दिया जायेगा।

वर्ष वार विद्यालयों की सूची

	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की सं0	प्राथमिक सहायता प्राप्त विद्यालय	उच्च प्राथमिक परिषदीय	सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक
03--04	1788	4	376	—
04--05	1788	4	470	42
05--06	1788	4	470	42

वर्ष 04—05 से प्रत्येक वर्ष 1788 + 470 + 42 + 4 = 2304 विद्यालयों को 2304 X 2000 = 46 लाख 8 हजार रूपया विद्यालय विकास अनुदान के रूप में दिया जायेगा।

[illegible] विकास अनुदान –

[illegible] वर्ष 2000 रु0 विद्यालय विकास अनुदान प्रति वर्ष प्रत्येक प्राथमिक व [illegible] प्राथमिक विद्यालय को दिया जायेगा। (अब सहायता प्राप्त विद्यालयों को 2004-05 से प्रस्तावित किया गया है।

[illegible] कक्षा कक्ष –

[illegible] के प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम तीन कक्षा कक्ष पूरा [illegible] [illegible] आतिरिक्त कक्षा कक्षों की तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम [illegible] प्रत्येक विद्यालय को पूरा करने के लिए [illegible] अतिरिक्त कक्षा कक्षों की [illegible] है। कक्ष बनवाने हेतु 2002–03, 2003–04, 2004, 2005 में 2005–06, [illegible] [illegible] क्रमशः [illegible], 311, 390 [illegible] कुल 1126 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का प्रस्ताव किया गया, [illegible] का आकलन सारणी 8.2 व 8.3 में प्रदर्शित किया गया है। [illegible] 0, 33, 0, 0, 0 [illegible] कुल 33 [illegible]

शौचालय

[illegible] के 710 प्रा0 व 110 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय नहीं है। [illegible]–03, 2003–04, 2004–05 व 05-06, 06-07 में क्रमशः 100, 200, 200, 100, [illegible] शौचालय का लक्ष्य रखा गया है। कुल 700 शौचालय का निर्माण [illegible] [illegible] (02–07) में प्रस्तावित है)

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की वर्षवार आवश्यकता

सारणी 8.2

जनपद - मुरादाबाद

क्र.	सत्र	नामांकन	40:1 की दर से आवश्यकता	वर्तमान कक्षा कक्ष	नवीन विद्यालयों में उपलब्ध कक्षा कक्ष	अर्जेन्टगत्त मीन में उपलब्ध कक्षा कक्ष	योग उपलब्ध 5+6+7	आवश्यकता	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1-	2001-02	298334	7458	3402	48	0	3450	4008	[illegible]
2-	2002-03	318421	7961	7458	150	200	7808	153	1970
3-	2003-04	345242	8631	7961	150	200	8311	320	2170
4-	2004-05	362578	9064	8631	0	72	8703	361	702
5-	2005-06	369829	9246	9064	0	0	9064	182	182
6-	2006-07	377226	9431	9246	0	0	9246	185	185
7-	2007-08	384770	9619	9431	0	0	9431	188	188
8-	2008-09	392466	9812	9819	0	0	9619	193	193
9-	2009-10	400315	10008	9812	0	0	9619	193	193
	योग		81230	[illegible]	[illegible]	472	[illegible]	5786	5786

[illegible]

क्र.	वर्ष	भवन युक्त परिषदीय विद्यालय	नवीन विद्यालयों की संख्या	पुनः निर्माण के विद्यालयों की संख्या	वर्तमान कक्षा कक्ष	नवीन विद्यालयों के कक्षा कक्ष	पुनः निर्माण के कक्षा कक्ष	कुल आवश्यकता [illegible]	[illegible] से कक्षा कक्षों की आवश्यकता	SSA के अंतर्गत अतिरिक्त [illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-	2001-02	146	20	0	517	80	0	597	664	
2-	2002-03	166	80	59	664	320	236	1220	1220	-
3-	2003-04	305	100	0	1220	400	0	1620	1620	-
4	2004-05	405	100	0	1620	400		2020	2020	-
5-	2005-06	505	-	-	2020			2020	2020	-
6-	2006-07	505			2020			2020	2020	-
7-	2007-08	505			2020			2020	2020	-
8-	2008-09	505	-	-	2020			2020	2020	-
9-	2009-10	505	-		2020		-	2020	2020	-

पेय जल व्यवस्था

जनपद में 200 प्रा0 वि0 तथा 64 उ0 प्रा0 वि0 में पेयजल सुविधा नही है। 2002-03 में कुल विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था हेतु लक्ष्य रखा गया है।

जीर्ण व भवन हीन विद्यालय भवन पुन निर्माण

जनपद में कुल 73 प्राथमिक व 33 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुर्न निर्माण की आवश्यकता है। इसके लिये सन् 2002-03 व 2003-04, 2004-05 में क्रमशः 63, 20 व 10 प्राथमिक विद्यालय तथा वर्ष 2002-03 में 33 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

शौचालय --

जनपद में 700 विद्यालयों में शौचालय की सुविधा नहीं है। इनमें सत्रवार 2002-03, 2003-04 व 2004-05 में क्रमशः 200, [illegible] व [illegible] शौचालय बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

मरम्मत एवं रख रखाव

जनपद के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 5000/- रू0 प्रति विद्यालय प्रति वर्ष विद्यालय अनुदान वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2001-02 के संकलित आकड़ो के आधार पर जनपद में 108 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की लघु मरम्मत करायी जायेगी। 50 प्रा0 वि0 व 15 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की वृहद मरम्मत करायी जायेगी लघु मरम्मत के लिये प्रति विद्यालय 20000/- रू0 तथा वृहद मरम्मत के लिये 70000/- रू0 प्रति विद्यालय की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा वृहद मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना कार्यालय को होगा। लघु मरम्मत वर्ष वार [illegible] 2002-03, 2003-04 में क्रमशः [illegible], 148 तथा वृहद मरम्मत 2002-03, 2003-04 में क्रमशः 0 एवं 55 विद्यालयों में कराये जायेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव

करके सीखने की शिक्षण विधि के आधार पर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा इसके अन्तर्गत खिलौने बनाना कला शिक्षण, रंगाई, सिलाई, कताई, बुनाई की शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर टोकरियां मिट्टी के खिलौने कागज के सामान बनाने की कला सिखाई जायेगी । कार्यानुभव योजना में कृषि, पशुपालन, पुस्तककला , धातुकला, आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान अनुभव आधारित कर विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा किया जायेगा। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में सिलाई का कार्य कार्यानुभव योजना में प्रस्तावित इसी के साथ प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की गई जो बालिकाओं के लिये रोजगारपरक होगा इसका वर्षवार विवरण निम्न है।

वर्ष	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
उच्च प्रा. विद्यालयों की संख्या	–	130	130	130	130				

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की वर्तमान स्थिति एवं आगामी वर्षों में शिक्षकों की आवश्यकता

क्र. सं.	वर्ष	परिषदीय कुल नामांकित बच्चे	वर्तमान स्वीकृत पद शिक्षक	वर्तमान स्वीकृत पद शिक्षामित्र	शिक्षक + शिक्षामित्र का योग 4+5	40 : 1 की दर से आवश्यकता	कमी	आवश्यक अन्य शिक्षक	आवश्यक अन्य शिक्षामित्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2003–04	345242	6180	1631	7811	8631	820	410	〃
2	2004–05	362578	6590	2040	8631	9064	433	216	627
3	2005–06	369829	6806	2258	9064	9246	182	91	91
4	2006–07	377226	6897	2349	9246	9431	185	92	93

जनपद मुरादाबाद में 42 सहायता प्राप्त विद्यालय

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	सहायता प्राप्त विद्यालय की संख्या
1	छजलैट	01
2	असमोली	02
3	मुरादाबाद	02
4	बहजोई	02
5	बनियाखेड़ा	02
6	सम्भल	02
7	पंवासा	01
8	बिलारी	01
9	मूढ़ापाण्डे	02
10	भगतपुर टाण्डा	02
11	डिलारी	01
12	ठाकुरद्वारा	04
13	नगर क्षेत्र मुरादाबाद	14
14	नगर क्षेत्र सम्भल	04
15	नगर क्षेत्र चन्दौसी	02
	योग	42

इन विद्यालयों में 42 प्रधानाध्यापक एवं 310 सहायक अध्यापक कार्यरत है। उपरोक्त विद्यालय में कुल छात्र सं0 3780 है। जिसमें बालिकायें 1815 एवं अनु0जाति/अनु0ज0जाति के विद्यार्थी 975 शिक्षा ग्रहण कर रहे है। शिक्षकों को टी0सी0एम0 बनाने हेतु 500/ प्रति शिक्षक अनुदान वर्ष 03–05 से दिये जाने का प्राविधान किया गया है। तथा सभी बालिकायें एवं अनु0जाति/ अनु0ज0जाति बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण करने का प्राविधान किया गया है।

चहार दीवारी

जनपद के समस्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक चहार दीवारी विहीन विद्यालयों में राज्य स्तर के निर्धारित मानक 40,000–00 रू0 प्रति विद्यालय के सा[थ] प्रस्तावित किया गया है। जनपद में 1494 प्रा0 वि0 व 150 उ0 प्रा0 वि0 में चहार दीवारी की आवश्यकता है। अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था समुदाय द्वारा की जायेगी। चहार दीवारी वर्ष 2003–04, 2004–05 व 2005–06 में प्रस्तावित नहीं की गयी।

बालिका शिक्षा

संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की शिक्षा के प्रावधान के लिए वचन बद्धता व्यक्त की गयी है।

सम्पूर्ण जनसमुदाय के शिक्षित होने से ही राष्ट्र की समग्र उन्नति एवं विकास सम्भव है।

संविधान में दिये गये मौलिक अधिकार भी नागरिकों को हर प्रकार के लिंगभेद पर आधारित उत्पीड़न से रक्षा करते हैं। पंचवर्षीय योजना ने भी संविधान में बालिकाओं की शिक्षा के लिये व्यक्त वचनबद्धता का समर्थन किया है। समय के साथ साथ बालिका शिक्षा में प्रचलित परिवेश एवं रणनीति में भी बदलाव आया है।

1986 में आयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा उसके पश्चात आरम्भ की गयी नीति पर आधारित व्यवस्था से महिला एवं बालिका शिक्षा का परिवेश बदला है।

राष्ट्रीय साक्षरता दर 52.2 प्रतिशत है जिसमे पुरुषो की साक्षरता दर [illegible] प्रतिशत और महिलाओ की साक्षरता दर 25.3 प्रतिशत है। इसके विपरीत [illegible] प्रदेश में साक्षरता दर 41.6 प्रतिशत है।

नामांकन के आधार पर आंकडो का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि [illegible] ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश का ठहराव में असमानता है बालक तथा बालिकाओं का नामांकन अनुपात में एक स्पष्ट दूरी दिखायी देती है।

उत्तर प्रदेश में कुल नामांकन अनुपात में 1996-97 से 1999-2000 [illegible] 14.9 अंको की वृद्धि हुई है। जबकि 1999-2000 में बालिकाओ [illegible] 93 प्रतिशत तक पहुंचा है।

बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश के अनुसार [illegible] नामांकन 100 प्रतिशत है 1999-2000 में बालको के लिये यह 105.3 प्रतिशत [illegible] बालिकाओ के लिये 98.7 प्रतिशत है।

बालिकाओ की शिक्षा के अवरोधक तत्व

बालिकाओ के स्कूल न जाने, नामांकन में कमी व शाला त्याग के [illegible] जटिल है। अन्ध विश्वास, महिला शिक्षको की कमी, आर्थिक [illegible], समाज में प्रचलित सांस्कृतिक धारणाये, जातिगत पूर्वाग्रह, स्कूलों का निकटस्थ स्थलों पर [illegible] इसके मुख्य कारण हो सकते है।

क्षेत्र विशेष व समुदाय विशेष के आधार पर भी बालिकाओं की शिक्षा में [illegible] की कमी है। यह कारण ही विशेष तौर से बालिकाओं के न्यूनतम नामांकन का मुख्य कारण है। जबकि यह दर्शाया जाता है कि बालिकाओं के लिये शैक्षिक सुविधायें अपर्याप्त हैं।

स्कूलों का वातावरण भी ऐसा है जो बच्चों विशेषकर बालिकाओं को शिक्षा के लिये प्रेरित व आकर्षित करने में अक्षम है। समाज व परिवेश के कार्य, [illegible] लगाना, शादी विवाह के अवसर [illegible] की तैयारी आदि पर भी बालिकाओं को सहयोग के लिये प्राथमिकता के आधार पर रोक लिया जाता है जिससे स्कूल में उनकी उपस्थिति कम हो जाती है।

बालिका शिक्षा को प्रेरित करने के लक्ष्य –

1– विद्यालयी वातावरण बालिकाओं के अनुरूप बनाने पर बल।

2– समाज के बालक एवं बालिकाओं को शैक्षिक अवसर समान रूप से [illegible] करने के लिये जेण्डर संवेदीकरण द्वारा प्रेरित करना।

3– बालिका शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने वाली प्रचार सामग्री [illegible] वितरित करना।

4– कक्षा कक्ष में बालिका विभेद की गतिविधियां रोकने के लिये अध्यापकों [illegible] जेण्डर संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण देना।

5– छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के कारण लड़कियों के स्कूल जाने [illegible] रोकने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिये छोटे बच्चों के लिये ई0 सी0 सी0 ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलना।

8— कार्य अनुभव का समाजोत्पादक कार्य पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था करना। हर ब्लाक में प्रत्येक वर्ष 05 विद्यालयों को सामाजिक कार्य हेतु चयनित किया जाना प्रस्तावित है।

बालिका शिक्षा हेतु कार्यक्रम

जनपद में डी0 पी0 ई0 पी0 संचालित किया जा रहा है इसमें बहुत से अभिनव प्रयास गये जिसके परिणाम सकारात्मक रहे है। इनमें से अधिकांश कार्यक्रमों को सर्व शिक्षा अभियान में जारी रखा जायेगा।

- महिलाओं की संगठनो व कार्यक्रम में भागीदारी

डी0 आर0 जी0 (बालिका शिक्षा) जिला संसाधन समूह का गठन -

जनपद स्तर पर आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम निर्धारण, अनुश्रवण, मूल्यांकन आदि के कार्यों के लिये जनपद स्तर पर बालिका शिक्षा के लिये एक जिला संसाधन समूह का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न व्यक्ति होंगे --

1- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी		अध्यक्ष
2- जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा)	--	सचिव/सदस्य
3- प्राचार्य डायट	--	सदस्य
4- वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता डायट	--	सदस्य
5- बी0 आर0 सी0/ए0 बी0 आर0 सी0/ एन0 पी0 आर0 सी0 से प्रत्येक एक समन्वयक	--	सदस्य
दो ग्राम प्रधान	--	सदस्य
दो स्वयं सेवी संस्थाओं के सदस्य/पदाधिकारी	--	सदस्य

8— दो वरिष्ठ परिषदीय अध्यापक — सदस्य

9— शिक्षा विभाग (प्रशिक्षण) के प्रवक्ता — सदस्य

1 — ग्राम शिक्षा समिति — (वी0ई0सी0)

ग्राम शिक्षा समिति (वी0 ई0 सी0) में तीन सदस्य अभिभावक होंगे जिन्हें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्देशित किया जायेगा इनमें से एक अभिभावक सदस्य महिला का होना सुनिश्चित किया जायेगा।

2— एम0 टी0 ए0 —(माता शिक्षक संघ)

महिलाओं की समता सहभागिता पर आधारित यह संगठन प्रत्येक विद्यालय में बनाया जायेगा यह संगठन प्रत्येक विद्यालय में बनाया जायेगा जो शिक्षक अभिभावक संघ की तरह निगरानी व्यवस्था विशेष रूप से बालिका शिक्षा की योजनायें बनाने व अनुपालन में सहयोग करेगा।

3 — डब्लू0 एम0 जी0 (महिला प्रेरक समूह)

विद्यालय विहीन गांवो में शैक्षिक वातावरण सृजन, प्रचार—प्रसार के लिये महिला प्रेरक समूह का गठन किया जायेगा।

1— मीना फिल्म प्रदर्शन अभियान —

डी0 पी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के वातावरण सृजन में इस अभियान [illegible] फिल्म के प्रदर्शन के लिये योजना बनायी गयी जो सफल रही है।

यूनिसेफ द्वारा निर्मित इस फिल्म का प्रदर्शन सर्व शिक्षा अभियान के दौरान भी किया जाता रहेगा।

5– माँ बेटी मेला –

बालिकाओं के शैक्षिक विकास में महिलाओं का योगदान आवश्यक है। इसके लिये माँ बेटी मेलो का आयोजन डी0 पी0 ई0 पी0 में प्रारम्भ किया गया है।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

समूहो का निर्माण एवं प्रशिक्षण –

माता शिक्षक संघ –

— यह माह प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की 10–12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षको के समूह का निर्माण कर उनके उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने–हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चो की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेगा।

महिला प्रेरक दल –

ऐसे गांव/मजरे जो विद्यालय से कुछ दूरी पर है वहां बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै0 शि0 केन्द्र/शिक्षा केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर समुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगे।

ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन --

- बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह ग्राम स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते है उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चों को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।
- बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिए बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किया जायेगा –

माह के 15 दिन या उससे अधिक उपस्थिति	--	हरा निशान
माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति	--	पीला निशान
माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति	-	लाल निशान

सत्र के मध्य एवं सत्रान्त में अभिभावक सम्मेलन

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाला उनका उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हें अवगत कराते हुए नियमित आने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रान्त समारोह में गांव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित करें जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे है। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों का नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव

करके सीखने की शिक्षण विधि के आधार पर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा इसके अन्तर्गत खिलौने बनाना कला शिक्षण, रंगाई, सिलाई, कताई, बुनाई की शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर टोकरियां मिट्टी के खिलौने कागज के समान बनाने की कला सिखाई जायेगी । कार्यानुभव योजना में कृषि, पशुपालन, पुस्तकला , धातुकला, आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान अनुभव आधारित कर विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा किया जायेगा प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में सिलाई का कार्य कार्यानुभव योजना में प्रस्तावित इसी के साथ प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की गई जो बालिकाओं के लिये रोजगारपरक होगा इसका वर्षवार विवरण निम्न है।

वर्ष	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
उच्च प्रा. विद्यालयों की संख्या	–	130	130	130	130	-	-	-	-

कोहार्ट स्टडी :

अधिकतम शाला त्याग दर वाले विद्यालयो में पिछलें पांच वर्षो का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होंने पिछले पांच साल में विद्यालय छोड़ा है । ऐसें बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

ग्रीष्म कालीन शिविर

ऐसे गांव/ग्रामसभा जहां न्यूनतम 40 बालिकायें शालात्यागी के रूप में चिन्हित की जायेगी उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर चलाकर उन्हें पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा इन शिविरों का वर्षवार विवरण निम्न है।

वर्ष	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
शिविरों की संख्या	—	130	130	130	130	130	-	-	-

कोहार्ट स्टडी

अधिकतम शाला त्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पांच वर्षों का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होंने पिछले पांच साल में विद्यालय छोड़ा है। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

– ग्रीष्म कालीन शिविर –

ऐसे गांव/ग्राम सभा जहां न्यूनतम 40 बालिकाये शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की जायेंगी उनमें दस दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हें पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

बेटी के स्कूल में – कला जत्था अभियान –

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। बालिकायें बीच में विद्यालय न छोड़ दें यह सुनिश्चित करने के लिये "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गांव–गांव में नाटकों की प्रस्तुतियां की जायेंगी। यह अभियान ऐसे ग्राम में चलाया जायेगा जहां महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

शिक्षको का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण –

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नजरिया बदलने तथा उन्हे संवेदनशील बनाने हेतु अलग से शिक्षको का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चो/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड देने के कारणो उनके निराकरण तथा उपायों/उपायो पर चर्चा/अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

कार्यक्रम –

1 शिशु शिक्षा केन्द्र – केन्द्रो की स्थापना

छोटे भाई बहनों की देखभाल में लगे रहने के कारण कुछ बालिकाएं विद्यालय हेतु पर्याप्त समय नही दे पाती जिससे विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित नही हो पाता। कुछ बालिकाए इन कार्यों में अधिक व्यस्त रहने के कारण विद्यालय छोड देती है।

इस अभियान के अन्तर्गत जनपद में संचालित प्ले वे माध्यम से सचालित आंगनवाडी केन्द्रो को अधिक प्रभावी तथा इन केन्द्रो में 3–6 वय वर्ग के बच्चो का नामांकन कराने हेतु विशेष प्रयास किया जायेगा। इस हेतु इन केन्द्रो के अतिरिक्त मानदेय एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जनपद में आई0 सी0 डी0 एस0 विभाग द्वारा नगर क्षेत्र सहित विकास खण्डो में 311 आंगनवाडी केन्द्रो का संचालन किया जा रहा है। जनपद के जिन विकास खण्डो में आगनवाडी केन्द्रो का संचालन नही किया जा रहा है और जो महिला साक्षरता की दृष्टि से पिछडे है। प्रति विकास खण्ड दो चरणो में 50–50 केन्द्र खोले जायेगे इस प्रकार प्रति विकास

खण्ड कुल 100 केन्द्र खोले जायेंगे। केन्द्रों हेतु ग्राम विद्यालय का चयन न्यूनतम महिला साक्षरता, उच्च शाला त्याग दर तथा शैक्षिक पिछड़ापन ही होगा। केन्द्रों हेतु कार्यकर्ताओं का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जायेगा।

सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम

सर्व शिक्षा अभियान के "प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटी" के सन्दर्भ में शिक्षा [illegible] शिक्षा विभाग, विकलांग कल्याण, पंचायत राज विभाग, महिला एवं बाल विकास, [illegible] एन.जी.ओ. के सहयोग एवं समुदायों के विभिन्न वर्गों के साथ विचार विमर्श [illegible] सहभागिता के द्वारा आंकड़ों का संकलन व वातावरण सृजन किया गया [illegible] भविष्य में योजना के संचालन व क्रियान्वयन में भी इनके सदुपयोग व सहयोग [illegible] सर्व शिक्षा अभियान में सफल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्राम शिक्षा समिति एवं नगर शिक्षा समितियों का गठन एवं प्रशिक्षण —

6–14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के सार्वजनीकरण में समुदाय की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण है। निरक्षर लोग नगर की अपेक्षा गांवों में अधिक हैं। तथा नगरों में मलिन बस्तियों में निरक्षरों की संख्या अधिक है। शिक्षा के विकेन्द्रीकरण को ध्यान रखते हुये एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये गांवों में ग्राम शिक्षा समितियों तथा नगरों में वार्ड शिक्षा समितियों को गठित किया गया है इनका सहयोग सर्व शिक्षा अभियान में भी लिया जायेगा। इनका प्रत्येक वर्ष [illegible] प्रशिक्षण का प्रस्ताव किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति **आवश्यक है। पंचायतीराज** व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों **पर समितियों का गठन** किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा **समितियों को सुदृढ़ीकृत** एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, **नामांकन, ठहराव परिक्रमा** सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से **संबंधित समस्त विकास** कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **पंचायतीराज समितियों** का सहयोग लिया जायेगा।

वी0 आर0 जी0 का गठन एवं प्रशिक्षण --

प्रत्येक ब्लाक स्तर पर सामुदायिक गतिशीलता एवं सहयोग के लिये वी0 आर0 जी0 को गठित किया जायेगा जिसमें 20 सदस्य होंगे इसमें यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रत्येक न्याय पंचायत से कम से कम दो व्यक्ति तथा आधी महिलाये हों। इनको ब्लाक पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

परिवार सर्वेक्षण एवं सूक्ष्म नियोजन --

वी0 आर0 जी0 के सहयोग से ग्राम शिक्षा समिति तथा समुदाय मे उन सदस्यो को जो पी0 टी0 ए0, एम0 टी0 ए0 या स्वयं सेवी के रूप मे विद्यालय से जुड़े हो को प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे कि पूरे ग्राम का परिवार सर्वे हो सके।

वातावरण सृजन --

विभिन्न अवसरो पर समुदाय का सहयोग लिया जायेगा जैसे [illegible] परिक्रमा, नामांकन अभियान, राष्ट्रीय पर्व, विद्यालय मे बागवानी, फुलवारी, खेल समारोह, मा[illegible] मेला तथा विद्यालय अनुश्रवण। इन सभी कार्यो के सहयोग के लिये प्रेरित करने [illegible] जनपद स्तर पर साहित्य, पोस्टर, पम्पलेट, दीवार लेखन आदि कार्य कराये जायेंगे।

बालिका शिक्षा के लिये सामुदायिक सहभागिता के कार्यक्रमो का सार

1-- ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्रो का संचालन --

2– एम0 सी0 डी0 ए0 का प्रस्ताव – 2001–02 – 10 एन पी आर सी

2002–03 – 25 एन पी आर सी

2003–04 – 50 एन पी आर सी

[illegible]

[illegible]

3– मीना कम्पेजान 2001–02 –10 न्याय पंचायत के सभी गांव

2002–03 – 25 " " "

2003–04 – 50 " " "

4– कला जत्था कार्यक्रम ड्राप आउट की अधिक संख्या वाले 05 ब्लाक

5– एस0 डी0 ए0/पी0 टी0 ए0 का गठन -- समस्त विद्यालय

प्राथमिक विद्यालय – 1712

उच्च प्राथमिक विद्यालय -- 205

6– महिला प्रेरक दल का गठन एवं प्रशिक्षण (थ्रू एन0 जी0)

7– प्रवेश प्रक्रिया तथा नामांकन – [illegible] प्राथमिक

8– कोहार्ट स्टडी --

9– पी0 आर0 ए0 -- 2001–02 –10 न्याय पंचायत के सभी गांव

2002–03 – 25 " " "

2003–04 50 " " "

10– जेण्डर ट्रेनिंग कार्यक्रम – सभी शिक्षक प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय समस्त ब्लाक/व समस्त संगठन व कोआर्डिनेटर्स

नवाचार शिक्षा (कम्प्यूटर शिक्षा) –

वाराणसी जिले में प्रयोगात्मक तौर पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव के अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षा का प्राविधान किया गया था जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में बालिकाओं के विद्यालय में ठहराव में आशातीत वृद्धि हुई। इसी प्रकार का प्रयोग इस जिले में किये जाने का प्रस्ताव है और प्रत्येक विकास खण्ड में केन्द्रीय विद्यालय में एक कम्प्यूटर की व्यवस्था इस अभियान के अन्तर्गत किये जाने का प्रस्ताव है तथा इसी प्रकार प्रत्येक बी0 आर0 सी0 पर एक कम्प्यूटर का प्राविधान किया गया है। इसके लिये प्रति कम्प्यूटर तथा उसकी ट्रेनिंग के लिये कुल रु0 1–70 लाख की यूनिट कास्ट प्रस्तावित है।

विद्यालयों की स्थिति उन्नति करने में सामुदायिक भूमिका –

सूक्ष्म नियोजन उपरान्त विद्यालय में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने में समुदाय के लोग सहयोग प्रदान करेंगे ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। जहां विद्यालय के लिये भूमि नहीं है अथवा कम भूमि है वहां पर ग्रामवासियों के सहयोग से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। बच्चों को खेलने के लिए मैदान उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस बात की जानकारी दी जायेगी कि बिना खेल के बच्चा सीख नहीं सकता अतः खेल का मैदान आवश्यक है।

विद्यालय में बागवानी हेतु समुदाय को गतिशील बनाया जायेगा

आकर्षक परिवेश हेतु बागवानी का विशेष महत्व है। इसके लिए वृक्षारोपण, पुष्पवाटिका हेतु जानकार लोगों की सहायता ली जायेगी उन्हीं से पौधे आदि की व्यवस्था कराकर विद्यालय में उनका रोपण कराया जायेगा। उद्यान विभाग के सहयोग से बागवानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर विद्यालय को आकर्षक बनाया जायेगा।

साज–सज्जा में सहयोग –

विद्यालय में फर्नीचर, टाट–पट्टी, श्याम पट्ट, चाक, शैक्षिक उपकरण आदि की व्यवस्था में ग्राम के जानकार एवं अनुभवी लोगों की मदद ली जायेगी तथा ग्राम शिक्षा समिति की मदद ली जायेगी। गरीब बच्चों के लिए समुदाय के लोगों से उनके गणवेश, स्लेट, पेंसिल, कापी आदि सामग्री की व्यवस्था के लिए सहयोग लिया जायेगा। प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी समुदाय से करायी जायेगी।

विद्यालय सुदृढीकरण में सक्रियता –

कक्ष निर्माण, भवन की मरम्मत, चार दिवारी निर्माण, मिट्टी भराव, प्रांगण की भूमि ऊंची नीची होने पर समतल कराने हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग लिया जायेगा।

विद्यालय परिवेश निर्माण में सहयोग :-

वातावरण एवं परिवेश आकर्षक बनाने में बच्चो के गणवेश का विशेष महत्व है। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों एवं जानकार लोगों की मदद से विद्यालय में गरीब बच्चों के लिए गणवेश की व्यवस्था करायी जायेगी। जिससे बच्चे अलग से आकर्षक एवं शिष्ट लगे और अन्य बच्चो से उनकी पृथक से विशिष्ट पहचान हो तथा स्कूल न जाने वाले बच्चे अपने को अपराध भावना से देखे और उनमें भी विद्यालय जाने के लिए तैयार हो सकें।

राष्ट्रीय पर्व एवं अन्य पर्वों पर चेतना जागृति –

राष्ट्रीय पर्वों में प्रभात फेरी, सांस्कृति कार्यक्रम व जन सहयोग लिया जायेगा। उपेक्षित वर्ग के अभिभावकों एवं बच्चो को इससे जोड़ा जायेगा। प्रतियोगिता आयोजित कर सम्मानित व्यक्तियों द्वारा बच्चों को पुरस्कृत कर उन्हे प्रोत्साहित किया जायेगा।

अध्यापक सहयोग –

समुदाय के शिक्षित लोगों को इस बात के लिये प्रेरित किया जायेगा कि वे विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए समय दें तथा अध्यापक के कार्य में सहयोग करें।

विद्यालय पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण में सहयोग –

ग्राम के सम्मानित व्यक्ति शिक्षित एवं जागरूक अभिभावको को इस बात के लिए गतिशील बनाया जायेगा कि वे अपना विद्यालय की भावना से विद्यालय को(

सतत पर्यवेक्षण करते रहे और मासिक रूप से उसका अनुश्रण भी करें तथा शैक्षिक गुणवत्ता में उत्तरोत्तर संवर्द्धन हेतु अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता –

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनो को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनो का महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लिए जनपद स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनायी जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनो से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगे इन प्रस्तावो को डेस्क टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनो के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

समेकित शिक्षा (विशेष वर्ग विकलांग हेतु शिक्षा)

शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य सभी को शिक्षित करना है। किन्तु वे बच्चे जो किसी भी शारीरिक अथवा मानसिक विकलांगता से ग्रस्त है शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते है सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समेकित शिक्षा के माध्यम से

सामान्य बच्चों के साथ उन्हीं की तरह शिक्षा प्रदान करना है। इस अभियान के निम्न एवं मध्यम श्रेणी के अक्षम बच्चों को उपयुक्त वातावरण प्रदान करने की व्यवस्था की जानी जिससे उनका सामान्य बच्चों की ही भांति सर्वांगीण विकास हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति समुदाय, अभिभावकों, शिक्षकों को जागरूक कर इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जायेगा। तथा उनको सामान्य बच्चों की भांति प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जायेगी।

विकलांगता एवं अक्षमता के प्रकार –

1– दृष्टि अक्षमता/विकलांगता
2– श्रवण एवं वाणी विकलांगता
3– अस्थि विकलांगता
4– मानसिक मन्दता
5– अधिगम अक्षमता

इन विकलांगताओं का कारण जैविकीय, परिवेशीय कुछ भी हो सकता है। मुरादाबाद जनपद में इन बच्चों की अनुमानित संख्या (विभागीय आंकड़ों के आधार पर) बालक 2966 तथा बालिका 1791 तथा कुल योग 4757 है जो कि विकलांगतावार निम्न सारणी से स्पष्ट है –

विकलांगता प्रकार	बालकों की संख्या	बालिकाओं की संख्या	योग
दृष्टि सम्बन्धी	2272	1343	3615
श्रवण एवं वाणी सम्बन्धी	194	145	339

दृष्टि सम्बन्धी	335	233	568
मानसिक अक्षमता	139	54	193
अधिगम अक्षमता	26	16	42
योग	2966	1791	4757

स्रोत -- बी0 आर0 सी0 सी0 द्वारा प्राप्त आंकड़े

अक्षमता के परिणाम --

1-- बच्चों में --

आत्म निर्भरता में कमी

चलने में परेशानी

समाज में उपेक्षित

2-- परिवार एवं समाज में --

अधिक ध्यान देने की आवश्यकता एवं आर्थिक बोझ अधिक उत्पादन एवं समाज में एकीकरण में कमी

3-- संवेदीकरण --

अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिये निम्न संवेदीकरण आवश्यक है।

इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जायेगा --

परिवार समुदाय एवं अध्यापकों का संवेदीकरण --

विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने के लिये यह बहुत जरूरी है। अक्षम बच्चों की वास्तविक स्थिति में परिचित कराना तथा उन्हे सीखने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जाना। इस प्रकार परिवार का मार्गदर्शन जरूरी है। अध्यापकों

का संवेदीकरण तथा प्रशिक्षण भी आवश्यक है। अक्षमत बच्चों को सहानुभूति नहीं बल्कि उनकी क्षमताओं को और विकसित करने की आवश्यकता है।

मेडिकल एसेसमेंट शिविर --

प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर कम से कम तथा अधिक से अधिक दो शिविर आयोजित किये जायेंगे जिससे प्रत्येक अक्षम बच्चों को विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत हो सके जिसके उपरान्त उन्हें उपकरण/उपस्कर प्रदान किये जायें।

उपकरण/उपस्कर शिविर --

मेडिकल एसेसमेन्ट के उपरान्त अक्षम बच्चों को उपयुक्त सहायक उपकरण प्रदान किये जायेंगे। इनकी आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के नाम –

1-- राष्ट्रीय दृष्टि एवं विकलांग संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून।

2-- राष्ट्रीय मानसिक विकलांग केन्द्र, 13, लूकर गंज, इलाहाबाद।

3-- यू0 पी0 विकलांग केन्द्र, 13, लूकर गंज इलाहाबाद।

4-- नेशनल एसोसियेशन आफ द ब्लाइन्ड्स एजु0 डिपार्टमेंट, काटेनग्रीन, एल0 पी0 वाला काम्पलेक्स, बम्बई।

5-- अमर ज्योति रिहैबिलिटेशन सेंटर, कड़कड़डूमा, विकास मार्ग, दिल्ली।

6-- एलिम्को, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

7-- अलीयावरजंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बांद्रा बम्बई।

इन संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर उपकरण/उपस्कर उपलब्ध कराये जायेंगे।

अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण --

अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में स समेकित शिक्षा पर बल दिया जायेगा। इसमें प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों, सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा। 05 दिवसीय प्रशिक्षण से अध्यापक/अध्यापिकायें प्रत्येक प्रकार की विकलांगता के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त करायी जायेगी। तथा इन अध्यापकों को प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनरों द्वारा दिया जायेगा।

मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण -

अध्यापकों को प्रशिक्षित करने हेतु सभी विकास क्षेत्रों के 4-4 मास्टर ट्रेनर्स का चयन करके उन्हें 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिलाया जायेगा ताकि वे अपने विकास क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे सकें। यह दस दिवसीय प्रशिक्षण एडवांस स्टडीज इन स्पेशल एजूकेशन रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,/ बरेली से कराये जाने का प्रयास किया जायेगा।

शिक्षकों के लिये सामग्री का विकास -

सक्षम छात्रों की शिक्षा हेतु शिक्षकों के लिये विशेष सामग्री का मुद्रण कराया जायेगा जिसमें जनसमुदाय के लिये "आप क्या कर सकते हैं" फोल्डर तथा शिक्षकों के लिये हस्तपुस्तिका का विकास किया जायेगा तथा पांच विकलांगताओं-दृष्टि, श्रवण, अधिगम, अस्थि एवं मानसिक विकलांगता पर फोल्डर्स तैयार किये जायेंगे।

स्वयं सेवी संस्थान की भागीदारी –

विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को तकनीकी सहायता देने के लिये स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता ली जायेगी उनके प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे जिसका टॉप अप्रेजल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इन संस्थाओं की पात्रता निम्नलिखित होगी–

1– संस्था/सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष पूर्व रजिस्टर्ड हो।

2– संस्था के पास विकलांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ की उपलब्धता हो।

3– विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव।

4– संस्था विकलांग जन अधिनियम 1995 की धारा 51 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

स्वास्थ्य परीक्षण सबसे आवश्यक कार्य स्वास्थ्य परीक्षण है इससे विकलांगता की जांच कराई जाये प्रा0 वि0/उच्च प्रा0 वि0 के प्रत्येक बालक/बालिका का स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा उनमें प्रत्येक श्रेणी (कम, मध्यम, गम्भीर) की विकलांगता की जांच कराई जायेगी तथा स्वास्थ्य कार्ड का मुद्रण नहीं कराया जायेगा बल्कि पंजिका में कालम बनाकर उसमें प्रविष्टियां की जायेगी।

जनपद मुरादाबाद में 13 विकास खण्डों में यह व्यवस्था की जायेगी जिसका अनुमानित बजट निम्नवत है

1–	सर्वेक्षण	–	2000 X 13 =	26000
2–	मेडिकल एसेसमेंट	–	5000 X 11 =	55000
3–	प्रशिक्षण –			
	मास्टर ट्रेनिंग (10 दिवसीय)		2575 X 24 =	61800

फाउण्डेशन कोर्स 174240 X 25

43,56000—00

प्रा० शि० अ० प्रशिक्षण 1720 X 5175 / 37 = 2407070—00

4— सामग्री मुद्रण — 13,200 X 11 =

5 — उपकरण एवं उपस्कर — 10,000 X 11

वितरण कैम्प

6— रिसोर्स सेन्टर — 30,000 X 6 = 180,000—00

7 — अभिभावक परामर्श केन्द्र— 500 X 3 X 13= 19500—00

8 — वोकेशनल ट्रेनिंग — 3000 X 13

9 — वातावरण सृजन कैम्प — [illegible] X 11

10 — इन्फारमेशन कैम्प — 4757

11 — असिसमेन्ट आफ ए० जी० ओ० 3,00,000 X 13

12 — अन्य

नोट —

1 — मेडिकल एसेसमेंट कैम्प — 2 विकास क्षेत्रों का 1000 X 2

2 — वातावरण सृजन कैम्प — 2 विकास क्षेत्रों का 5300 X 2 =

3 — सामग्री मुद्रण कैम्प — 2 विकास क्षेत्रों का — 13200

4 — प्रशिक्षण (अध्यापक) — 1 विकास क्षेत्रों का 154800

5 — मास्टर ट्रेनिंग — 1 विकास क्षेत्रों का 3575 X 2 =

6 — उपकरण वितरण कैम्प — 2 विकास क्षेत्रों का 5500 X 2 का आवंटित बजट को छोड़कर बजट तैयार किया गया है।

अध्याय–9

डायट का परिचय

भारतीय संविधान के भाग–4 सेक्शन 42 में सभी के लिये शिक्षा की व्यवस्था का प्राक्तन है। राज्य सरकार अपनी आर्थिक क्षमताओं व सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा की व्यवथा करती है नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि 14 वर्ष के बच्चों के लिये अनिवार्य तथा मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेगा। भारत में स्वतंत्रा प्राप्ति के पश्चात विभिन्न आयोगो की नियुक्तियां शिक्षा के स्तर में वृद्धि एवं गुणवत्ता के दृष्टिकोण से की गयी है।

कोठारी आयोग –

(1964–66) कोठारी कमीशन ने स्पष्ट किया कि सभी तथ्य जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से शिक्षकों के (प्राथमिक) प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर जोर दिया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति –

1986 में बनी इसका नवीनीकरण 1992 में किया गया। इसकी सिफारिशों के आधार पर अध्यापक पुर्नबोध के लिये 216 डायट की स्थापना की गई। डायट कांठ की स्थापना 1992 में हुई जो वर्तमान समय में जनपद मुरादाबाद व जे0 पी0 नगर दोनो ही जनपदों को शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान कर रही है।

डायट की संकल्पना:-

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारतीय संविधान के 45वें अनुच्छेद में वर्णित सबके लिए शिक्षा अनिवार्य एंव निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के अन्तगर्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की संकल्पना के अनुसार शिक्षा में सार्वजनीकरण के लिए विशेष योजनायें बनायी गयी है। अतः एन0सी0ई0आर0टी0 नई दिल्ली के सोजन्य से भारत के प्रत्येक प्रान्त में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों का गठन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुतियों के अनुसार शिक्षा के प्रचार एंव प्रसार के लिए जन--जन तक शिक्षा को पहुँचाने के अभिप्राय से राष्ट्र स्तर के प्रत्येक जनपद के ग्रामीण अंचल में नवोदय विद्यालय एवं जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना सुनिश्चित की गई। उत्तर प्रदेश में भी अक्टूबर 1987 के प्रथम चरण 20 जनपदों प्रथम पर संस्थानों को प्रारम्भ किया गया धीरे -धीरे इसी तारतम्य में द्वितीय चरण में 20 तथा तृतीय चरण में 25 जनपदों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित किये गये। इन संस्थानों में मानवीय संसाधन की आपूर्ति हेतु नव सृजित पद निम्नवत है:-

संस्थागत व्यवस्था की एक झलक:--

1-- प्राचार्य --- 1 पद (डिप्टी डायरेक्टर कैडर का)

2-- उप प्राचार्य 1 पद (डी0आई0ओ0एस0 कैडर का)

3-- वरिष्ठ प्रवक्ता -6 पद (राजपत्रित क्लास -2 कैडर के)

4-- प्रवक्ता 16 पद

5-- तकनीकी सहायक संख्यिकीकार, कार्यानुभव शिक्षक -- 3 पद

6-- कार्यालय अधीक्षक, लेखाकार, कनिष्ठ लिपिक, प्रयोगशाला सहायक

7-- आशुलिपिक 1पद, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 5 पद

उर्पक्तलिखित जनशक्ति के सहयोग से जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान संचालित किये गये हैं

भौतिक संसाधन के अन्तर्गत संस्थान भवन, छात्रावास, काष्ठोपकरण विज्ञान आदि से सम्बन्धित शैक्षिक उपकरण, फोटो कापियार, कम्प्यूटर की व्यवस्था स्थानानुसार अन्य वित्तीय व्यवस्था भी शासन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान के बहुआयामी शैक्षिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु 7 विभाग कार्यरत है। इन विभागों में पृथक पृथक जनशक्ति एंव प्रभारी का

कार्य भी आवंटित है अपना कार्य संचालन उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से कर रहे है। विभाग एवं शैक्षिक गुणवत्ता सम्बन्धी कार्यक्रम निम्नवत है–

1– सेवा पूर्व विभाग–

सेवा पूर्व विभाग के अन्तर्गत सुयोग्य प्राथमिक शिक्षक तैयार करने हेतु बी0टी0सी0 (द्वि वार्षिक) संस्थागत प्रशिक्षण की व्यवस्था तकनीकी की गयी है। एक प्रवक्ता तथा 8 प्रवक्ता प्रयोगशाला सहायक एवं तकनीकी सहायक कार्यानुभव शिक्षक के मार्ग दर्शन में उक्त प्रशिक्षण संचालित है।

2– कार्यानुभव विभाग:–

शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन में मात्र पुस्तकीय ज्ञान अधूरा रह जाता है। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुतियों के अनुसार समाजोपयोगी उत्पादनकार्य , हस्त शिल्प का महत्व को विशेष स्थान दिया गया है। एक प्रवक्ता एवं कार्यानुभव शिक्षक के निर्देशन में विभाग संचालित होगा।

3 जिला संसाधन इकाई:–

यह विभाग शिक्षा में सार्वभौमिकरण में कार्यरत अनौपचारिक/ वैकल्पिक शिक्षा के क्रियान्वयन में शैक्षिक प्रगति हेतु मार्ग दर्शन देना है। प्रशिक्षण व्यवस्था, कार्यशालाओं का आयोजन प्रमुख कार्य है।
उप प्रचार्य एवं चार प्रवक्ताओं के कुशल निर्देशन में कार्य संचालित होते है।

4 सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विभाग:–

शिक्षा जगत में हो रहे नये शोध, नवाचार दक्षताओं एवं कौशलों के प्रयोग से शिक्षकों को अवगत कराने हेतु, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार, स्तरोन्नयन के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण विभाग अति महत्वपूर्ण है। इस विभाग में एक वरिष्ठ प्रवक्ता, एक प्रवक्ता व लिपिक कार्यरत है।

5 पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग:–

देशकाल, और परिस्थिति के अनुसार समय समयपर पाठयक्रम से परिवर्तन एवं संशोधन होते रहते है। पाठयक्रम एवं शैक्षिक क्रियाकलापों के सतत मूल्यांकन द्वारा कार्यक्रमों में प्रवर्तन इस विभाग के कार्य है।

6 शैक्षिक तकनीकी विभाग:–

शैक्षिक तकनीकी प्रभावी अधिगम के लिए विधाओं / विधियों, प्रविधियों के विकास पर बल देती है। शैक्षिक तकनीके में शिक्षा और प्रशिक्षण मे वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग किया जाता है। उनके विश्लेषण निराकरण के लिए शोध एंव सुधार से इसका सम्बन्ध है।

7— नियोजनल एंव प्रबन्धन विभागः—

प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए उक्त विभाग का अन्तिम महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यालयों में ह्रास—अवरोध की समस्या को हल करने और धारण क्षमता में वृद्धि करने और योजना क्रियान्वित करने, सुनियोजित ढंग से सुव्यवस्था के अन्तर्गत समय समय पर दीक्षा सर्वेक्षण और मूल्यांकन करना है।

अन्त में जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत सातों विभागों की समीक्षा करते है तो यह भाव होता है कि संस्थान के प्रत्येक विभाग का प्रत्येक क्रिया कलाप गुणवत्ता सर्वधन में सबल सहायक है। स्थानीय परिवेश से प्राप्त एवं तैयार की गई सहायक सामग्री छात्रों को अधिक सक्षम बनाती है। न्यूनतम अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति बाल केन्द्रित शिक्षा विद्यालयों का अनुश्रवण तथा शैक्षिक सपोर्ट द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी शिक्षण कार्य में रूचि लेने लगे हैं। नवाचारों दक्षताओं से परिचित हो रहे है।

अध्याय – 7

शिक्षा गारन्टी योजना/ वैकल्पिक शिक्षा/ नवाचार शिक्षा योजना

जनपद मुरादाबाद में डी0पी0ई0पी0/ सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 200 ई0 जी0एस0 14 प्राथमिक, 100 उच्च प्राथमिक 13 आवासीय तथा 94 गैर आवासीय ब्रिज कोर्स का लक्ष्य है। हाउस होल्ड सर्वे के अनुसार लगभग 129576 बच्चे स्कूल से बाहर चिन्हित हुये है।इनके शिक्षा गारन्टी/ वैकल्पिक शिक्षा तथा / नवाचार शिक्षा व्यवस्थायें है। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से स्कूल के बाहर बच्चे इन दोनों में शिक्षा ग्रहण करेंगे अलग अलग मण्डलों में आयु तथा शैक्षिक स्तर के आधारपर इनका नामांकन लिया जा सकेगा। घरेलू काम में लगभग 60920 बच्चे हाउस होल्ड सर्वे में पाये गये इन बच्चों के लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्थायें है। तथा प्राथमिक केन्द्र है जिससे बच्चा स्कूल के समय से बाहर भी पढाई कर सकते है। घरेलू देखभाल में लगभग 14605 बच्चे चिन्हित हुये है। इन बच्चों के लिए 200 ई0जी0एस0 तथा 14 प्राथमिक केन्द्र है। 314 केन्द्रों के माध्यम से लगभग 12874 बच्चे केन्द्रों से नामांकित होकर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। 94 ब्रिज कोर्स प्रत्येक न्याय पंचायत में संचालित किये जायेगे। जिसमें लगभग इस वर्ष 12874 बच्चे ब्रिज कोर्स के माहौल मे रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। 13 आवासीय ब्रिज कोर्स खास कर उन बालिकाओं के लिए है जो घरेलू काम काज के कारण विद्यालय नही पहुँच पाती है। अतः लगभग 1000 बालिकायें ब्रिज कोर्स के माध्यम से पढाई कर सकेगी।

इस वर्ष का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से लगभग 24048 बच्चे लाभान्वित हो सकेगे।

अनेक वर्ष के लिए कार्ययोजना :

- सेवा पूर्व प्रशिक्षण योजनाओं को प्रभावी करना।

- शिक्षण प्रशिक्षण योजनाओं में नवीनता लाना।

3– शिक्षकों की विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं तथा ब्लाक समन्वयक/एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण। ग्राम शिक्षा समिति, न्याय पंचायत समन्वयक, ई0 सी0 सी0 ई0। डी0 आर0 जी0 के अन्तर्गत प्रशिक्षित करना।

4– अकादमिक संसाधन समूह का प्रबन्ध करना।

5– शोध कार्य की प्राथमिक शिक्षा के लिये प्रबन्धन करना तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना।

6– प्राथमिक शिक्षा में शैक्षिक परिवेश में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का निवारण एवं प्रतिक्रियात्मक शोध करना।

डायट मुरादाबाद –

वर्ष 1992 में स्थापित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मुरादाबाद 2 अप्रैल 1997 तक मुरादाबाद जनपद के अन्तर्गत कार्यशील रहा। 21 अप्रैल 1997 में मुरादाबाद जनपद का एक नया जिला ज्योतिबाफूले नगर गठित होने से डायट ज्योतिबाफूले नगर की सीमाओं में आ गया इस प्रकार मुरादाबाद जनपद के 13 विकास खण्ड एवं ज्योतिबाफूले नगर के 6 विकास खण्डो के प्राथमिक शिक्षा से जुडे हुए गुणवत्ता सुधार के विभिन्न बिन्दुओं का अध्ययन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जा रहा है।

डी0 पी0 ई0 पी0 आच्छादित ब्लाकों का शैक्षिक परिदृश्य –

जनपद की कुल साक्षरता 31.03 प्रतिशत है जिनमें कुछ ब्लाक जैसे मंगेश्वरी, कुन्दरकी, मूढापाण्डे और बनियाखेडा में एकाग्रचित प्रयासो की आवश्यकता

है। सभी ब्लाको को एक साथ लेने पर साक्षरता का दर मात्र 24.39 प्रतिशत जिसमे महिला साक्षरता की दर 9.71 प्रतिशत हैं जबकि शहरी क्षेत्रो में उनकी साक्षरता दर 39.76 प्रतिशत हैं। कुछ विकास खण्ड जैसी कुन्दरकी व पवांसा में महिला साक्षरता 5 प्रतिशत से भी नीचे है। केवल ठाकुरद्वारा ब्लाक ही 20 प्रतिशत के चिहन को पार कर पाया है वहीं महिला साक्षरता की दर 20.25 प्रतिशत है। इन परिस्थितियों में शैक्षिक सुधार के उद्देश्यो की पूर्ति करना कठिन हो जाता है। आकडो के अनुसार पूर्ण साक्षरता तभी सम्भव है जब सभी महिलाये साक्षर हो।

विकास खण्डो की साक्षरता दर –

विकास खण्ड का नाम	पुरुष साक्षरता	महिला साक्षरता	कुल साक्षरता दर
ठाकुरद्वारा	54.16	20.25	38.56
छजलैट	49.00	16.02	33.93
डिलारी	38.66	12.32	26.66
असमोली	34.64	8.74	22.94
सम्भल	33.56	8.63	22.37
मुरादाबाद	9.75	9.70	21.77
बिलारी	32.19	6.50	20.84
बहजोई	31.18	6.54	20.72
भगतपुर टाण्डा	31.38	7.42	20.52
बनियाखेडा	28.60	6.05	16.62
कुन्दरकी	27.27	4.09	17.15
गूण्डापाण्डे	25.42	5.04	16.57
पंवासा	24.34	4.6	15.56

प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या (विकास खण्डों में)

विकास खण्ड का नाम	प्रथम चरण में प्रशिक्षित प्रथम	द्वितीय चरण में प्रशिक्षित द्वितीय
सम्भल	305	409
पंवासा	259	285
असमोली	268	303
बनियाखेड़ा	271	360
बहजोई	189	176
बिलारी	248	272
कुन्दरकी	352	310
छजलैट	817	387
मुरादाबाद	433	583
भगतपुर टाण्डा	225	259
डिलारी	335	359
मुण्डापाण्डे	219	232
ठाकुरद्वारा	414	421
मुरादाबाद नगर	220	235
सम्भल नगर	118	133
चन्दौसी नगर	72	82

प्राइमरी विद्यालयों में भौतिक सुविधाय –

प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिये विद्यालयों में सुविधाये होनी चाहिये। मुरादाबाद जनपद में कुल 1712 प्राथमिक विद्यालय है जिनमें अधिकतर मूलभूत सुविधाओ के अभाव में चल रहे है अधिकतर प्राथमिक विद्यालयो में एक या दो कमरे है कुछ विद्यालयो में पीने का पानी, शौचालय, बिजली, खेल के मैदान तथा विद्यालय की इमारत आदि की मूलभूत सुविधाये भी नही है।

जनपद मुरादाबाद में शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कांठ मुरादाबाद में स्थित है जो जनपद जे0 पी0 नगर को भी संचालित करता है जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु वर्ष 1997 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डी0 पी0 ई0 पी0 संचालित किया गया जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से बी0 आर0 सी0/एन0 पी0 आर0 सी0/डी0 ई0 सी0 का गठन किया गया तथा इनके द्वारा ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक विद्यालय के अनुश्रवण तथा शैक्षिक सपोर्ट का दायित्व सौंपा गया। समय समय पर डायट स्तर पर मासिक बैठके तथा कार्यशाला आयोजित कर शिक्षा की गुणवत्ता संवर्धन में अध्यापकों के साथ आने वाली कठिनाइयों पर विचार विमर्श तथा उनके निवारण के उपायों पर विस्तृत की जाती रही है।

वर्ष 1997 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0 पी0 ई0 पी0) शिक्षक सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण प्रथम चरण के प्रशिक्षण हेतु टी0 ओ0 टी0 के चयन हेतु डी0 आर0 जी0 के प्रशिक्षण आयोजित किये गये तथा उसमें प्रथम चरण के प्रशिक्षको की पहचान कर टी0 ओ0 टी0 के प्रशिक्षण हेतु 25 प्रशिक्षिको को डायट ललितपुर भेजा गया तथा उसके उपरान्त डायट स्तर पर जनपद के समस्त

अध्यापक अध्यापिकाओं को चयनित प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उक्त प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य था शिक्षकों की सोच में परिवर्तन कर शिक्षक और समाज के बीच बढ़ती दूरी को कम करना। शिक्षकों की झिझक को दूर करना। शिक्षक समाज व बच्चों के बीच सहभागिता की वृद्धि के लिए समान सोच विकसित करना।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सका इस कारण उच्च प्राथमिक विद्यालयों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पाया।

1— जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 1712
2— जनपद मुरादाबाद में ई0 सी0 ई0 केन्द्रों की संख्या 74
3— ब्लाक संसाधन केन्द्रों की संख्या 13
4— न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की संख्या 94/95
5— ग्राम शिक्षा समिति की संख्या 960

जिला प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत चलने वाले प्रथम चक्र अभिप्रेरण प्रशिक्षण को डायट स्तर पर 131 फेरों में संचालित किया गया जिससे जनपद मुरादाबाद व जे0 पी0 नगर के कुल 6142 अध्यापक/अध्यापिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

ई0 सी0 सी0 ई0 (आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण)

वाहय सहायतित परियोजना की सहायता से संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी0 पी0 ई0 पी0) के द्वारा अर्ली चाइल्ड केयर एण्ड एजूकेशन (ई0 सी0 सी0 ई0) केन्द्रो को बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत संचालित आंगनवाडी केन्द्रो के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस योजना का मूल उद्देश्य है है कि अपने घर पर छोटे भाई-बहिनो की देखभाल करने के कारण स्कूल शिक्षण से वंचित रहने वाली बालिकाओं को स्कूल शिक्षा प्रदान की जाये। ऐसी बालिकाये समीपवर्ती स्कूलो में दाखिला ले तथा उनके छोटे भाई-बहिनो की देखरेख स्थापित किये जाने वाले ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा और उनकी केन्द्र सहायिका ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्र में सहायिका का कार्य करेगी।

ई0 सी0 सी0 ई0 कार्यकत्रियो को प्रशिक्षित करने हेतु डायट और बाल विकास परियोजना के कुछ सदस्यों को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इलाहाबाद मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षित किये गये।

जनपद मुरादाबाद के असमोली व बिलारी विकास खण्ड में ई0 सी0 सी0 ई0 की योजना प्रारम्भ की गयी डायट ने मास्टर टेनर्स की सहायता से आंगनवाडी कार्यकत्री ब्लाक संसाधन हेतु समन्वयक, न्याय पंचायत प्रभारी आदि के प्रथम चरण में कार्यकत्रियो, सम्बन्धित विकास खण्डो के सी0 डी0 पी0 ओ0 केन्द्रो के सुपरवाइजर अक्टूबर व नवम्बर माह 1998 से दो फेरो में सम्पन्न किया गया, जिनमे प्रतिभागियों की संख्या 45 थी।

प्रथम चरण में खोले गये ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्रो के सफल संचालन हेतु विषय आधारित एक वार्षिक एक्टीविटीस कैलेन्डर विकसित किया गया है जिसके प्रयोग करने हेतु आगंनवाडी कार्यकत्रियो को मास्टर ट्रेनर की सहायता से तीन दिवसीय प्रशिक्षण मार्च 2000 में सम्पन्न किया गया।

द्वितीय चरण में मुरादाबाद, कुन्दरकी और बिलारी विकास खण्डो में नये ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्र खोले गये हैं। डायट के द्वारा इन केन्द्रो का प्रशिक्षण दो फेरो में पूर्ण होगा प्रथम फेरे में 8 मार्च से 14 मार्च 2000 तक 33 प्रतिभागियों को सात दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इसमें मुरादाबाद विकास खण्ड की 5 बालशाला कार्यकत्रीओ ने प्रतिभाग किया द्वितीय फेरा अप्रैल 2000 मे प्रस्तावित है।

इस प्रशिक्षण में आंगनवाडी कार्यकत्रियो को बताया गया 3 से 6 वर्ष के बच्चो का शारीरिक, मानसिक तथा भाषायी कौशलों का विकास किस प्रकार किया जाता है जिससे आगे मिलने वाली शिक्षा को सरलता से ग्रहण कर सके इसके अन्तर्गत खेल, कहानी, गीत, वार्तालाप, कठपुतली, खेल, गुडिया का खेल, निरीक्षण, प्रयोग अभिनय, खेल क्रियायें आदि पर अधिक बल दिया गया।

डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ताओं के द्वारा अनुश्रवण किया गया उनके द्वारा ई0 सी0 सी0 ई0 की कार्यकत्रियो को निम्न सुझाव दिये गये--

1-- किसी बच्चे विशेष को अपना प्रिय न बनाये।

2 बच्चो की आपस में तुलना न करें।

3 बच्चों से बडे व्यक्तियो जैसे व्यवहार की आशा न करें।

4-- बच्चों को समझाने के लिए लम्बा चौडा भाषण न दें।

जनपद मुरादाबाद में स्कूल पूर्व शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए शिशु शिक्षा केन्द्रो का सञ्चालन किया गया बाल विकास विभाग उ0 प्र0 द्वारा संचालित केन्द्रो में से 75 केन्द्रो का चयन कर उन्हे शिशु केन्द्र के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रो के सञ्चालन हेतु ब्लाक स्तर पर आंगनवाडी कार्यकत्रियो व सह कार्यकत्रियो को 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया इनके साथ–साथ उक्त केन्द्रो के पर्यवेक्षण से सम्बन्धित बी0 आर0 सी0/एन0 पी0 आर0 सी0 को भी प्रशिक्षित किया गया।

शिशु शिक्षा केन्द्र से बच्चो की विद्यालय मे नामांकन स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ा तथा बालिकाओं के नामांकन की औसत दर में भी वृद्धि हुई।

ग्राम शिक्षा समिति की प्रशिक्षण व्यवस्था तथा दायित्व —

जनपद मुरादाबाद में वर्ष 1997–98 में 932 ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया तथा डायट स्तर से चयनित एव प्रशिक्षित बी0 आर0 जी0 के प्रशिक्षको द्वारा समस्त ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। इस समिति मे अनुसूचित जातियों तथा महिलाओ तथा स्वय सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया इस समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान तथा सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चो के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश है इस समिति का विशेष कार्य विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण विद्यालय की अन्य सुविधाओं जैसे भवन आदि का निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है।

ब्लाक सम्पर्क समूह प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों की सूची

दिनांक	ब्लाक	प्राइमरी विद्यालय अध्यापक		नेहरू युवा केन्द्र		राज्य सेवी		अनुदेशक		ग्राम प्रधान		योग
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	
26/12/97 से 29/12/97	सम्भल	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–	11
30/12/97 से 2/1/[illegible] तक	सम्भल	4	2	–	–	–	–	–	–	–	–	6
3/1/98 से 6/1/98 तक	सम्भल	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11
30/12/97 से 2/12/98	कुन्दरकी	6	1	2	–	–	–	–	–	–	–	9
3/1/98 से 6/1/98	कुन्दरकी	3		3	–	–	–	–	–	–	–	6
30/12/97 से 2/1/98	14	2	7	1	–	–	–	–	–	–	–	24
3/1/98 से 6/1/98	16	1	10	–	–	–	–	–	–	–	–	27
3/1/98 से 6/1/98	6	2	10	–	–	–	–	–	–	–	–	18
6/2/98 से 9/2/98	14	2	3	–	–	–	–	–	–	–	01	20
15/2/98 से 18/2/98	9	2	–	–	–	–	–	–	06	07	–	[illegible]

[illegible]/12/98 से [illegible]/12/98	[illegible]	[illegible]	[illegible]									22
[illegible]/12/98 से 2/12/98	मूढ़ापाण्डे	16	6			01					पत्रकार-- 1	24
[illegible]/12/98 से	भगतपुर टाण्डा	10	4									20
3/12/98 से [illegible]/12/98	[illegible]	4				17	3					24
[illegible]/12/98 से 6/12/98	बनियाखेड़ा	13	3			02	01					25
3/12/98 से 6/12/98	ठाकुरद्वारा	07	जी0 हा0			05	03					26
[illegible]/12/98 से 10/12/98	बिलारी	11	01			09						21
											कुल योग	428

इन समितियों को अधिक कियाशील बनाने शैक्षिक विकास हेतु इनके प्रशिक्षण में स्कूल का मानचित्र, तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी कराये गये।

शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट एवं सहयोग की व्यवस्था –

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मुरादाबाद के नेतृत्व में जनपद जे0 पी0 नगर तथा मुरादाबाद के समस्त परिषदीय विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को उनकी शिक्षण क्षमता व प्रतिभा विकसित करने व विषय वस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि करने व शिक्षण कौशल में बदलाव लाने के उद्देश्य से न्याय पंचायत स्तर पर एन0 पी0 आर0 सी0 ब्लाक स्तर पर सा0 बे0 शि0 अ0, बी0 आर0 सी0 तथा जनपद स्तर पर जिला बे0 शि0 अ0, जिला परियोजना अधिकारी तथा डायट प्राचार्य, वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता द्वारा समय समय पर विद्यालयों का अनुश्रवण/मूल्यांकन तथा शैक्षिक सपोर्ट का कार्य किया जाता है। डायट तथा ब्लाक स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किये जाने की व्यवस्था है। शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट के लिए मुख्य रूप से जिला स्तर पर डायट ब्लाक स्तर पर ब्लाक समन्वयकों तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत समन्वयकों की आवश्यकता है। शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए डायट संकाय के सदस्यों निरीक्षण वर्ग, डी0 आर0 जी0, एन0 पी0 आर0 सी0 को तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं का आयोजन डायट स्तर पर किया गया। जिसे सात फेरे में पूर्ण किया गया। इस प्रशिक्षण में

	मुरादाबाद	जे0 पी0 नगर
1-- सा0 बे0 शि0 अ0 की संख्या	13	6
2-- बी0 आर0 सी0 सी0 की संख्या	13	6
3-- एन0 पी0 आर0 सी0 सी0 की संख्या	95	48

शैक्षिक रपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के उपरान्त बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 के माध्यम से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की श्रेणीबद्ध सूची तैयार की गयी। जिसमें जनपद मुरादाबाद/जे0 पी0 नगर के परिषदीय प्रा0 वि0 की श्रेणीबद्ध सूची निम्नवत है।

जनपद–मुरादाबाद – प्राथमिक विद्यालयों की श्रेणीकरण की स्थिति

क्र0	विकास खण्ड का नाम	विद्यालयों की संख्या	क	ख	ग	घ		अन्य विवरण
1–	मुरादाबाद नगर क्षेत्र सहित	171	27	57	45	42	–	जिला बेसिक शिक्षा अधि0 मुरा0 व ब्लाक समन्वयक के अनुसार
2–	सम्भल नगर क्षेत्र सहित	134	13	68	38	15	–	
3–	मुढापाण्डे	102	14	30	43	20	–	
4	पनवासा	138	20	95	21	02	–	
5 –	बनियाखेड़ा चन्दौसी न0 क्षे0 सहित	131	29	68	33	01	–	
6–	डिलारी	127	10	43	41	29	–	
7–	असमोली	123	14	35	29	45	–	
8–	बिलारी	132	16	75	29	12	–	
9–	कुन्दरकी	130	17	65	48	–	–	
10	बहजोई	104	01	62	10	11	–	
11	ठाकुरद्वारा	117	33	48	27	08	–	
12	भगतपुर टाण्डा	104	07	49	34	04	–	
13	छजलैट	134	32	74	14	01	–	

उपरोक्त श्रेणीबद्ध व्यवस्था अधिकांशतः भौतिक व शैक्षिक संसाधनो पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त डी श्रेणी के विद्यालयों को सी श्रेणी, सी श्रेणी के विद्यालय को बी श्रेणी में, बी श्रेणी के विद्यालयों को ए श्रेणी में लाने का प्रयास डायट बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 सी0 तथा जनपद के विभिन्न स्तरीय अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था व क्रियान्वयन –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषदीय प्राथमिक वि0 के शिक्षकों को 5 चक्रों में प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। गत 3 वर्षों में 3 चक्रों में प्रशिक्षण का लक्ष्य पूर्ण किया गया है।

प्रथम चक्र –

(अभिप्रेरण प्रशिक्षण) शिक्षकोदय माड्यूल्स पर आधारित 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण वर्ष 1997–98 में दोनो जनपदों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण 131 फेरो में डायट स्तर तथा वैकल्पिक प्रशिक्षण केन्द्रो पर संचालित कर पूर्ण किया गया। इसमें जनपद मुरादाबाद/जे0 पी0 नगर के वि0 खण्डो के कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं का प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया जिसकी सूची निम्नवत है –

क्रमांक	वि0 ख0 का नाम	प्रशि0 अ0 की संख्या
1–	मुरादाबाद	403 + 200 (नगर क्षेत्र)
2–	छजलैट	387

3—	कुन्दरकी	352
4—	मूढ़ापाण्डे	219
5—	बिलारी	248
6—	डिलारी	335
7—	ठाकुरद्वारा	414
8—	असमोली	268
9—	सम्भल	305 — 118 (नगर क्षेत्र)
10—	पवांसा	259
11—	बहजोई	189
12—	बनियाखेड़ा	271 — 72 (नगर क्षेत्र)
13—	भगतपुर टांडा	225

मैटीरियल मेला रिपोर्ट

विषयगत सहायक सामग्री के प्रचार व प्रसार के लिए समस्त ब्लाक के सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रेरित कर प्रथम न्याय पंचायत स्तर पर मेला आयोजित किया गया। न्याय पंचायत स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त अध्यापक/अध्यापिकाओं को अपनी शिक्षण सहायक सामग्री के साथ ब्लाक स्तर पर आमंत्रित किया गया। ब्लाक स्तर पर बी0 आर0 सी0/ए0 बी0 ए0/एस0 डी0 आई0 द्वारा मूल्यांकन कर उसमें जिन प्रतिभागियों ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया उन्हें जनपद स्तर पर मैटीरियल मेले में आमंत्रित किया गया।

जनपद स्तर का मैटीरियल मेला दिनांक 28 अगस्त 1999 को आयोजित किया गया। मेले में दोनो ज़नपद जे0 पी0 नगर तथा मुरादाबाद के 209 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिसका विवरण निम्नवत है –

जनपद – मुरादाबाद

1–	मुरादाबाद	10
2–	कुन्दरकी	08
3–	सम्भल	09
4–	बनियाखेड़ा	11
5–	बिलारी	12
6–	डिलारी	15
7–	ठाकुरद्वारा	14
8–	भगतपुर टाण्डा	09
9–	मुण्डापाण्डे	12
10–	असमोली	15
11–	नहजोई	11
12–	पवांसा	03
	योग	129 तथा 80 = 209

द्वितीय चक्र –

सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण का द्वितीय चक्र जिसे (सबल) सत्र योजनायें तथा सबल गतिविधि बैंक माड्यूल पर आधारित था। जिसमें भाषा, गणित तथा

पर्यावरण का ज्ञान गतिविधियो के द्वारा कराया गया। यह आठ दिवसीय प्रशिक्षण गैर आवासीय था। इस प्रशिक्षण में विषय वस्तु आधारित कक्षा शिक्षण तथा दक्षता आधारित प्रशिक्षण पर बल दिया गया। सहायक सामग्री निर्माण व उसका कक्षा में प्रयोग एवं गतिविधियों के माध्यम से कराया शिक्षण को सरल व रोचक बनाया तथा अध्यापको की विषय के प्रति समझ विकसित करना, अध्यापको में सृजन शीलता, चिन्तन व तर्क शक्ति का विकास करना मुख्य उद्देश्य था।

यह प्रशिक्षण जनपद मुरादाबाद के 13 वैकल्पिक केन्द्रो पर तथा जनपद जे0 पी0 नगर के 6 वैकल्पिक केन्द्रो पर आयोजित किया गया। ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण की सम्पूर्ण व्यवस्था का दायित्व ब्लाक समन्वयक को सौंपा गया।

इस प्रशिक्षण में निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं ने प्रतिभाग किया —

क्र0 सं0	वि0 ख0 का नाम	प्रशि0 अ0 की संख्या
1-	मुरादाबाद	583
2-	कुन्दरकी	310
3-	बिलारी	272
4-	बनियाखेड़ा	356
5-	बहजोई	176
6-	पंवासा	265
7	सम्भल	392
8-	असमोली	302
9-	ठाकुरद्वारा	352
10-	डिलारी	326
11-	भगतपुर टांडा	254

12–	मूढापाण्डे	232
13–	छजलैट	381

तृतीय चक्र –

शिक्षक सेवारत प्रशिक्षण जिसे समान पाठ्यक्रम के नाम से जानते है। यह प्रशिक्षण माह मई 2001 में ब्लाक स्तर पर ब्लाक समन्वयकों द्वारा डायट की देखरेख में सचालित किया गया। इसमें जनपद मुरादाबाद के 13 वैकल्पिक केन्द्र व जनपद जे0 पी0 नगर के 6 वैकल्पिक केन्द्रो का चयन कर प्रशिक्षण सम्पन्न कराया गया। इसमें नव नियुक्त कार्यरत शिक्षा मित्रो का आठ दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण होना शेष है। जिसको वर्तमान माह अक्टूबर 2001 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रशिक्षण में वास्तविक कक्षा शिक्षण पर विशेष रूप से बल दिया गया। जिसके द्वारा शिक्षको को अपनी शैक्षिक कमियों को समझने में तथा उनहें कैसे दूर किया जाने की जानकारी तृतीय चक्र के प्रशिक्षण से दी गयी। टी0 एल0 एम0 निर्माण तथा पाठ्य वस्तु के अनुसार उसका कक्षा में प्रयोग कैसे किया जाने पर भी इस प्रशिक्षण में मुख्य रूप से बल दिया गया। तृतीय चक्र प्रशिक्षण में प्रशिक्षित अध्यापक / अध्यापिकाओं का विवरण निम्नवत है –

जनपद – मुरादाबाद –

क्र0 सं0	वि0 ख0 का नाम	प्रशि0 अ0 की संख्या
1–	मुरादाबाद	592
2–	कुन्दरकी	312

3	बिलारी	176
4	मनिगावेड़ा	322
5–	गहजोई	165
6–	पंवासा	231
7–	सम्भल	358
8–	असमोली	274
9–	ठाकुरद्वारा	380
10–	डिलारी	329
11–	भगतपुर टांडा	229
12–	मूढ़ापाण्डे	220
13–	छजलैट	332

प्रशिक्षण का कक्षा में प्रभाव –

प्रशिक्षकों, शिक्षकों से वार्ता करने–पर संज्ञान में आया कि शिक्षकों में जागरूकता नहीं है। सहायक सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हो रहा है। छात्रों की कक्षा शिक्षण में सहभागिता नहीं है। एकल तथा दो अध्यापकों वाले विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षण व्यवस्था कैसे की जाये। इस सम्बन्ध में अध्यापकों की समझ विकसित हुयी है।

द्वितीय चरण के प्रशिक्षण के उपरान्त डायट स्तर पर वरिष्ठ प्रवक्ताओं/प्रवक्ताओं तथा बी0 टी0 सी0 के छात्राध्यापक/छात्राध्यापिकाओं मध्यावधि मूल्यांकन, स्टडी, सर्वेक्षण कराया गया जिसके अनुसार छात्र/छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धियां निम्नवत रही –

कक्षा–1 भाषा में छात्रों की उपलब्धि प्रारम्भिक मूल्यांकन बालक मध्यमान प्रतिशत 54.1 तथा बालिका मध्यमान प्रतिशत 52.7 रहा। जबकी मध्य सत्रीय मूल्यांकन में बालक मध्यमान 72.42 रहा इसी प्रकार कक्षा–1 गणित में छात्रों की उपलब्धि प्रारम्भिक मूल्यांकन 40.79 तथा बालिकाओं का मध्यमान प्रतिशत 38.36 रहा जबकि मध्य सत्रीय मूल्यांकन में बालको औसत मध्यमान प्रतिशत 85.9 तथा बालिकाओं का 88.13 रहा इसी प्रकार 4 भाषा मे छात्रों की उपलब्धि तथा गणित में बालक बालिकाओं की उपलब्धि स्तर तालिका अग्रलिखित है।

कक्षा भाषा में छात्रों की उपलब्धि प्रारम्भिक मूल्यांकन बालक मध्यमान प्रतिशत 42.45 तथा बालिका मध्यमान प्रतिशत 42.88 जबकि मध्य सत्रीय मूल्यांकन में बालको का मध्यमान प्रतिशत 61.07 तथा बालिकाओं का 68.53 रहा इसी प्रकार गणित विषय मे छात्रों का प्रारम्भिक उपलब्धि स्तर 33.9 तथा बालिकाओं का 34.1 जबकि मध्यसत्रीय मूल्यांकन में मध्यमान प्रतिशत 51.48 और बालिकाओं का 53.16 रहा इन आकडो से स्पष्ट होता है कि द्वितीय चक्र प्रशिक्षण के बाद बालको के शैक्षिक स्तर में वृद्धि हुई है।

प्रारम्भिक मूल्यांकन तथा मध्यावधि स्टडी के अनुसार छात्रों की उपलब्धि–

कक्षा – 1 भाषा में छात्रों की उपलब्धि –

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत
प्रारंभिक मूल्यांकन	54.1	52.7
मध्य सत्रीय मूल्यांकन	74.4	72.42

स्रोत – प्रतिभागीय आंकडे

कक्षा – 1 गणित में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत
प्रारंभिक मूल्यांकन	40.79	38.36
मध्य सत्रीय मूल्यांकन	85.9	88.13

स्रोत – विभागीय आंकड़े

कक्षा–4 भाषा में छात्रों की उपलब्धि –

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत
प्रारंभिक मूल्यांकन	42.45	42.88
मध्य सत्रीय मूल्यांकन	61.07	63.53

स्रोत– विभागीय आंकड़े

कक्षा–4 गणित में छात्रों की उपलब्धि

परीक्षण	बालक मध्यमान प्रतिशत	बालिका मध्यमान प्रतिशत
प्रारंभिक मूल्यांकन	33.9	34.1
मध्य सत्रीय मूल्यांकन	51.48	53.16

स्रोत – विभागीय आंकड़े

उक्त तालिकाओं से स्पष्ट होता है कि कक्षा–1 तथा कक्षा–4 में भाषा और गणित दोनों में बच्चों का बौद्धिक स्तर बढ़ा है। जो बच्चे निम्नतम अधिगम प्राप्त नहीं कर सकते हैं उनके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षण संचालन व्यवस्था और अनुश्रवण –

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मुरादाबाद/जे0 पी0 नगर में ब्लाक संसाधन केन्द्रों तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों की स्थापना की गई ब्लाक संसाधन केन्द्र पर ब्लाक समन्वयक तथा सह ब्लाक समन्वयक और न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र पर न्याय पंचायत समन्वयक की नियुक्ति की गई तथा डायट स्तर पर ब्लाक समन्वयक के कार्य तथा दायित्वों की जानकारी देने के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया जो समर्थन माड्यूल्स पर आधारित था। अनुश्रवण तथा प्राथमिक शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया समन्वय के द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण तथा शैक्षिक सपोर्ट के रूप में आदर्श पाठों का प्रस्तुत करना भौतिक तथा शैक्षिक आधार पर विद्यालयों का श्रेणीकरण तथा बी0 आर0 सी0 व एन0 पी0 आर0 सी0 स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन कर अध्यापकों के साथ कक्षा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया जाता है।

ब्लाक समन्वयकों द्वारा ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षणों का आयोजन वार्षिक कार्य योजना, बजट का निर्माण, शिशु शिक्षा केन्द्र और वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण डायट के मार्ग दर्शन में शिक्षा के गुणवत्ता संवर्धन अध्यापकों का सहयोग तथा वातावरण सृजन में शिक्षकों का मार्गदर्शन इसी प्रकार एन0 पी0 आर0 सी0 द्वारा भी न्याय

पंचायत स्तर पर विद्यालयों का अनुश्रवण मासिक बैठकों का आयोजन कर रिपोर्ट बी0 आर0 सी0 व डायट को भेजना। समाज में कुछ बच्चे ऐसे भी है जो किन्ही कारणों से विद्यालय नही आ पाते, उनमें विशेषकर शारीरिक अक्षमता वाले बच्चो, बाल श्रमिक, खेती हर मजदूर, तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे मुख्य रूप से होते है ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडने के लिए उनका शत प्रतिशत नामांकन तथा ठहराव पर विशेष ध्यान न दिया गया तो सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य अधूरा रह जायेगा। अतः हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि ऐसे सभी बच्चो को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडना। इसके लिये हमारा प्रयास होगा कि उनके माता–पिता अभिभावक से सम्पर्क कर उनसे मासिक रूप से जुडकर उनकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा।

ऐसे बच्चो के सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनमे किसी भी प्रकार की हीन भावना न पनपने पाये इसके लिए उनमे आत्म विश्वास को जगाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। ऐसे बच्चो को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोडना एक कठिन कार्य है अतः ऐसे बच्चो के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था है। ऐसे बच्चे प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने मे असमर्थ रहते हैं। ये बच्चे औपचारिक विद्यालयों की कक्षा मे प्रवेश लेने की आयु को प्रायः पार कर जाते है इसलिए इनका प्रवेश कक्षा की बजाय नके शैक्षिक स्तर के अनुरूप कक्षा में करना उपयुक्त होगा।

सर्वप्रथम हमे ऐसे बच्चो को चिन्हित करने के लिए एक सर्वे करना होगा उसके बाद बच्चे की शारीरिक अक्षमता के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी साथ ही साथ जीवनोपयोगी कौशल का विकास इन बच्चों में करने का प्रयास करना होगा उनमे आत्मविश्वास व आत्म निर्भरता की भावना विकसित हो सके।

विद्यालय भ्रमण के समय शिक्षकों से विचार विमर्श के सहयोग से उनकी शिक्षण सम्बन्धी कठिनाइयों के सम्बन्ध में जानकारी करने पर निम्न तथ्य उभर कर आये–

1– प्राथमिक विद्यालयों में छात्र अनुपात की असमानता के कारण एक समय में एक अध्यापक को एक से अधिक कक्षायें पढानी पडती हैं जिसके कारण शिक्षण कार्य सुचारु रूप से करने में कठिनाई होती है।

2 अधिकांश अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है इस कारण वे अपने बच्चों को नियमित विद्यालय न भेजकर घरेलू कार्य में लगा देते है। जिससे बच्चों का शैक्षिक विकास नहीं हो पाता।

3– अधिकांश अध्यापकों को विभिन्न पाठो के लिए सहायक शिक्षण सामग्री बनाने तथा उसके प्रयोग की पर्याप्त जानकारी का अभाव है अतः अधिकांश अध्यापक पाठो के अनुसार सहायक शिक्षण सामग्री बनाने में कठिनाई का अनुभव करते है।

4– गणित, विज्ञान के कुछ कठिन विषय वस्तु के शिक्षण में भी अध्यापकों को कठिनाई का सामना करना पडता है जिसकी जानकारी प्रशिक्षणों के माध्यम से दी जानी आवश्यक है।

5– अभिभावक अपने बच्चो को परिषदीय विद्यालयों में पढाना चाहते हैं किन्तु वे चाहते है कि उन विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो। शिक्षक नियमित रूप से शिक्षण कार्य करें तथा विद्यालय में बच्चो को नैतिक शिक्षा प्रदान की जाये

जिससे उनमें अच्छे विकसित हो। साथ ही बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था भी हो।

उक्त बिन्दुओं के आधार पर यह निष्कर्ष सामने आता है कि समाज व समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है।

किसी भी व्यक्ति के अन्दर निहित प्रतिभाओं व क्षमताओं को विकसित करने का अवसर देना ही प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षकों में गुणवत्ता व सुधारात्मक दृष्टिकोण करने के लिए प्रशिक्षणों की अहम भूमिका होगी।

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना है। जनपद मुरादाबाद व जे0 पी0 नगर के 6–14 वय वर्ग के सभी बालक/बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। यह लक्ष्य समुदाय की भागीदारी एवं समाज के सहयोग से प्राप्त करना होगा। इसके अन्तर्गत 6–14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल गारन्टी स्कीम व वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के माध्यम से शिक्षा की ई0 जी0 एस0 मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में अध्यापक तथा अच्छी शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिए जनपद में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें मुख्य रूप से जनपद विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तर तक समस्त अध्यापकों व अधिकारियों की भागीदारी होगी। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु इस स्तर पर एक ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा इस कार्यालय में डाइट के सदस्यों जिला परियोजना कार्यालय कर्मियों, विकास खण्ड तथा न्याय

पंचायत स्तरीय अधिकारियों को सम्मलित किया जायेगा। इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यो तथा लक्ष्यों बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव, शिक्षकों, कक्षा कक्षो की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के संदर्भ में सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियां तय की जायेगी।

कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण –

वर्तमान युग मे सूचना प्रौद्योगिक के प्रभाव को देखते हुये यह अति आवश्यक हो गया है कि छात्रों को भी कम्प्यूटर सम्बन्धी जानकारी दिया जाना आवश्यक है इसके लिए सबसे पहले डायट के दो प्रवक्ताओं को एक मास का आधारभूत कम्प्यूटर सम्बन्धी प्रशिक्षण कराया जायेगा तथा उसके पश्चात उच्च प्राथमिक विद्यालयों के एक-एक अध्यापक को डायट स्तर पर कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रथम चरण मे यह योजना 13 विकास संसाधन केन्द्रों पर कम्प्यूटर उपलब्ध हो जाने पर निकटतम उच्च प्राथमिक विद्यालयों लागू की जायेगी तथा धीरे धीरे सभी प्राथमिक विद्यालयों के एक-एक अध्यापक को प्रशिक्षित किया जायेगा। यह कार्य एस० सी० ई० आर० टी० के सहयोग से किया जायेगा।

अन्य प्रशिक्षण –

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक अध्यापक, अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षण भी डायट स्तर पर भी आयोजित किये जायेगें।

शिक्षा मित्र को प्रशिक्षण –

वर्ष 2001–2002 में जनपद मुरादाबाद में 574 तथा जनपद जे० पी० नगर 98 शिक्षा मित्रो का चयन कर प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था जो दिनांक

30/9/2001 तथा 671 शिक्षा मित्रो तथा 93 आचार्यों का प्रशिक्षण पूर्ण कर उन्हे प्राथमिक विद्यालयो में नियुक्त किया जा चुका है। अवशेष शिक्षा मित्रो का प्रशिक्षण माह नवम्बर 2001 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। विद्यालयो में छात्रो के बढते नामांकन तथा प्राथमिक अध्यापको की कमी के कारण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी शिक्षा मित्रो का चयन तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जाती रहेगी। तथा जिन शिक्षा मित्रो को शिक्षण कार्य और बेहतर बनाने के लिए एक सत्र के उपरान्त 15 दिन का पुर्नबोधात्मक डायट स्तर पर कराया जायेगा।

जनपद मुरादाबाद के बिलारी विकास खण्ड ई0 सी0 सी0 ई0 की योजना प्रारम्भ की गयी उक्त ब्लाको की आंगनवाडी कार्यकत्रियो को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर दिया गया। वर्तमान समय में 75 ई0 सी0 ई0 केन्द्र संचालित है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद जे0 पी0 नगर तथा मुरादाबाद के प्रत्येक ब्लाक में से कम 50-50 ई0 सी0 सी0 ई0 केन्द्र संचालित करने की योजना है। यह लक्ष्य 2007 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

बी0 आर0 सी0 और एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयको का प्रशिक्षण —

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयको को प्रशिक्षण दिया जा चुका है समय-समय पर इनकी कार्यशाला भी आयोजित की जाती रही है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शैक्षिक साधन एवं सतत् व्यापक मूल्यांकन प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। जो माह दिसम्बर 2001 तक सात फेरो डायट स्तर पर प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण जनपद स्तरीय अधिकारियों जिसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक

जा रही है। सतत् व्यापक मूल्यांकन से छात्र का समग्र मूल्यांकन होगा तथा साथ–साथ शिक्षक इस बात का अनुभव भी कर सकेंगे कि छात्र के व्यक्तित्व विकास में तथा उनके सीखने एवं शिक्षण प्रणाली में क्या कमियां हैं उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। सुधारात्मक शिक्षण प्रणाली को शिक्षण में इस प्रणाली से शिक्षकों को पर्याप्त सुविधा मिलेगी डायट स्तर पर सतत् व्यापक मूल्यांकन का प्रशिक्षण जनपदीय अधिकारियों/ब्लाक समन्वयकों/न्याय पंचायत समन्वयकों को माह दिसम्बर 2001 तक प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

सर्व शिक्षा अभियान में भी इस व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के लिए और अधिक प्रशिक्षणों की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

क्रियात्मक शोध –

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को क्रियात्मक शोध के कार्य में दक्षता अर्जित करने के लिए एक चार दिवसीय कार्यशाला का आयोजन डायट स्तर पर किया जायेगा। यह कार्यशाला में एस० सी० ई० आर० टी० तथा सीमेट इलाहाबाद [illegible] बी० आर० सी०, एन० पी० आर० सी० को भी शोध कार्यों में दक्ष किया जायेगा। शिक्षक अपनी समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्य योजना बनायें तथा उसका समाधान ढूढने में सफल हो सकें। इस प्रकार यह क्रियात्मक शोध का कार्य संकुल स्तर और विद्यालय स्तर पर किया जाना है। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र निम्नलिखित हैं –

1– कक्षा की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के तरीके।

2– सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।

महिलाओं में आत्म विश्वास जागृत करने के तरीके।

4— शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार सम्भव है।

5— अक्षम बच्चों के शिक्षण के तरीके।

6— बाल श्रमिक तथा घुमन्तु बच्चों को शिक्षण के तरीके।

सर्व शिक्षा अभियान की कार्ययोजना पर विचार विमर्श —

सर्व शिक्षा अभियान की कार्य योजना के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कांठ में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 11/10/2001 को किया गया। इस कार्यशाला में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद/जे0 पी0 नगर, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप विद्यालय निरीक्षक, ब्लाक समन्वयकों तथा डायट संकाय के सदस्यों तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण प्रशिक्षण के प्रशिक्षकों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में मुख्य रूप से निम्नांकित बिन्दु उभर कर आये।

1 पाठ से सम्बन्धित सहायक सामग्री निर्माण करने का प्रशिक्षण दिया जाये।

2 विषयानुसार प्रशिक्षण की आवश्यकता है जैसे गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान।

3 गणित किट तथा विज्ञान किट के प्रयोग करने का प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

4 बाल मनोविज्ञान पर आधारित प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

5 भाषा सम्बन्धित शुद्धता पर कार्यशाला।

6 मूल्यांकन के विभिन्न पक्षो का प्रशिक्षण।

7— ई0 सी0 एस0 तथा भाषा विकास सम्बन्धित प्रशिक्षण।

8— समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण।

9– यह कक्षा शिक्षण को और कारगर बनाने के तरीके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षकों के लिये प्रथम चरण का प्रशिक्षण –

प्रथम वर्ष प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रथम वर्ष में विषय वस्तु पर आधारित 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण डायट स्तर आयोजित किया जायेगा प्रशिक्षण के उपरान्त मैटीरियल मेला तथा विकास खण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें आयोजित की जायेगी।

10 दिवसीय प्रशिक्षण आवासीय पाठ्य पुस्तकों पर आधारित 4 दिवसीय

विज्ञान कार्यशाला – आवासीय

मैटीरियल मेला एक दिवसीय – न्याय पंचायत स्तर पर – गैर आवासीय
मैटीरियल मेला एक दिवसीय – ब्लाक स्तर पर – गैर आवासीय
मैटीरियल मेला एक दिवसीय – डायट स्तर पर – गैर आवासीय

यह प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें प्रथम वर्ष के चार माह में आयोजित की जायेगी। इनके आयोजन में प्रति प्रतिभागी रूपये 70/– की दर से

प्राथमिक अध्यापकों की संख्या	दर	धनराशि
मुरादाबाद – 4009	70/–	57 लाख

नवशिक्षा में प्राथमिक अध्यापकों के साथ शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण भी

ा वर्ष में भाषा, गणित तथा पर्यावरण विषय वस्तु पर आधारित आठ
क्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम वर्ष के शिक्षण
ण तथा प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर आयोजित किया

मे आठ दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण तीन--तीन दिवसीय गैर आवासीय
0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 स्तर पर तथा कुछ एक--एक
कार्यशालाओं/सेमीनारों का आयोजन प्रस्तावित हैं इन प्रशिक्षणों तथा
ों के लिए जनपद मुरादाबाद के प्राथमिक शिक्षकों की प्रशिक्षण व्यवस्था
लाख रूपये प्रस्तावित हैं।

य वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिए आठ दिवसीय प्रशिक्षण प्रस्तावित हैं
। मुख्य रूप से विज्ञान तथा सामाजिक विषय और मूल्यांकन के लिए
। इसके अतिरिक्त लघु प्रशिक्षण तथा कार्यशालाये आयोजित की जायेगी।
णों एवं कार्यशालाओं के लिए जनपद मुरादाबाद के लिए 57 लाख रूपये
है।

चतुर्थ वर्ष में प्रशिक्षण व कार्यशालाओं की व्यवस्था

ा वर्ष में चार दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण का
देश्य शिक्षण अधिगम प्रकिया तथा टी0 एल0 एम0 निर्माण एवं उसका

उपयोग पर केन्द्रित होगा। इसी अनुक्रम में बी० आर० सी०, एन० पी० आर० सी० की कार्यशाला भी आयोजित की जायेगी।

प्राथमिक शिक्षकों का पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण एन० पी० आर० सी०, बी० आर० सी० स्तर पर दो-दो दिवसीय कार्यशालायें, जिनमें आदर्श पाठों की [illegible] तथा अन्य [illegible] का उपयोग के लिये बी० आर० सी०, एन० पी० आर० सी० को प्रोत्साहित किया जायेगा। इन सब आयोजनों के लिए अनुमानित व्यय

जनपद मुरादाबाद -- 57 लाख रुपये प्रस्तावित है।

पिछले वर्षों में चारों वर्ष के प्रशिक्षणों के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण [illegible] किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा [illegible] प्रशिक्षणों के अनुभवों के आधार पर प्रशिक्षण की रूपरेखा तैयार की जायेगी। [illegible] में प्राथमिक विद्यालयों के एक--एक शिक्षक को अंग्रेजी भाषा में आवासीय पांच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा तथा पांच दिवसीय प्रशिक्षण [illegible] संस्कृत भाषा के शिक्षकों के लिए प्रस्तावित है।

परियोजना के अन्तर्गत जो प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक प्रधानाध्यापक [illegible] ऐसे सभी प्रधानाध्यापकों को पांच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसका मुख्य उद्देश्य नेतृत्व, समग्र प्रबन्धक, स्कूल पर्यवेक्षण तथा विद्यालयी अभिलेखों के रख रखाव पर केन्द्रित होगा।

इस प्रशिक्षण के लिए जनपद मुरादाबाद के प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 57 लाख रुपये प्रस्तावित है।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण –

प्रथम वर्ष में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जू0 हा0 के शिक्षकों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। किन्तु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापक–अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। यह प्रशिक्षण प्रतिवर्ष आयोजित किये जायेंगे। इसमें कक्षा 6 से 8 तक के उच्च प्राथमिक के अध्यापक हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों के कक्षा 6 से 8 को पढ़ाने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को सम्मिलित किया जायेगा।

प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष में आठ दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसमें विज्ञान विषय में शिक्षण, विषय वस्तु से सम्बन्धित शिक्षण विधियां तथा सहायक सामग्री निर्माण का कार्य कराया जायेगा।

उक्त प्रशिक्षण पर अनुमानित व्यय –

जनपद मुरादाबाद – 20 लाख रूपये प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को आठ दिवसीय आवश्यक प्रशिक्षण दिया जायेगा यह प्रशिक्षण गणित विषय से सम्बन्धित होगा। इसमें शिक्षण हेतु विषय-वस्तु, शिक्षण विधियां, सामग्री निर्माण तथा उसका उपयोग किस प्रकार किया जाये। यह प्रशिक्षण पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। इसमें आदर्श पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना से सम्बन्धित सहायक सामग्री का निर्माण, इसके अतिरिक्त अनुश्रवण तथा शैक्षिक सपोर्ट के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला का

आयोजन किया जायेगा। इसमें समस्त बी0 आर0 सी0 तथा एन0 पी0 आर0 सी0, ए0 बी0 एस0 ए0 तथा प्रति उप विद्यालय निरीक्षक प्रतिभाग करेंगे।

उक्त कार्यशाला और प्रशिक्षण के लिए निम्नांकित अनुमानित व्यय प्रस्तावित है।

जनपद मुरादाबाद -- 20 लाख रुपये

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय से सम्बन्धित विषय वस्तु, शिक्षण विधियां तथा सहायक सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण सात दिवसीय होगा तथा पाठ्य पुस्तकों पर आधारित पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा अनुपूरक सामग्री का निर्माण कराया जायेगा। इस प्रशिक्षण के उपरान्त डायट के स्तर पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अनुश्रवण तथा शैक्षिक सपोर्ट के लिए किया जायेगा। इसमें जनपद के समस्त बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0, ए0 बी0 एस0 ए0 तथा एस0 डी0 आई0 प्रतिभाग करेंगे। उक्त व्यवस्था के लिए प्रस्तावित धनराशि -

जनपद मुरादाबाद - 20 लाख रुपये

चतुर्थ वर्ष में उच्च प्राथमिक के अध्यापक अध्यापिकाओं को 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण में हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के उपरान्त दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी। जिसमें पाठ्य पुस्तकों पर आधारित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण एवं उसका कक्षा में प्रयोग तथा आदर्श पाठों की प्रस्तुति की जायेगी। प्रशिक्षण को शैक्षिक सपोर्ट देने हेतु डायट स्तर पर बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0 सी0 को मासिक बैठकों में विचार विमर्श किया

जायेगा। इन बैठकों में डायट संकाय के सदस्यों को भी शमिल किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण, कार्यशाला, मासिक बैठक के लिए प्रस्तावित धनराशि व्यय

जनपद मुरादाबाद — 20 लाख रुपये

पांचवे वर्ष में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे तथा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों के मापन हेतु सतत् व्यापक मूल्यांकन के प्रशिक्षण डायट स्तर, ब्लाक स्तर तथा न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। इन प्रशिक्षणों में दूरस्थ शिक्षा माध्यम का भी अधिकतम प्रयोग किया जायेगा। प्रशिक्षण के विश्लेषण एवं निष्कर्षों को जानने के लिए दो दिवसीय कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। उक्त व्यवस्था के लिए —

जनपद मुरादाबाद — 20 लाख रुपये

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण —

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कांठ मुरादाबाद में डायट का प्रशासनिक भवन एक मंजिल है भवन पर दूसरी मंजिल नहीं बनी है डायट का बहुत कम है, अपर्याप्त है डायट में प्रशिक्षण कक्ष नहीं बने है प्रसारण के साधन का भी अभाव है डायट कांठ, में पुरुष छात्रावास की अत्याधिक आवश्यकता है प्रशिक्षण में प्रतिभागियों के आवास की व्यवस्था न होने के कारण अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड रहा है। परन्तु जे0 टी0 सी0 के भवन में ही अधिकांश कार्य कराया जाता है उस

भवन की छत भी जर्जर अवस्था में है भवन की छतों की मरम्मत की अत्यधिक आवश्यकता है।

डायट के लिए 300 मेज, 300 कुर्सी, 100 तख्त, 100 गद्दे, 100 कम्बल, 100 तकिया, 100 बेड की अति आवश्यकता अनुभव की जा रही है। संस्थान के पास कम्प्यूटर के लिये कक्ष उपलब्ध नहीं है डायट की ऊपरी मंजिल का निर्माण अति आवश्यक है।

भौतिक सुविधाओं के साथ–साथ डायट का स्टाफ भी पूरा होना चाहिए।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण

भवन का विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)
1– कार्यालय डायट भवन के एक अतिरिक्त तल (द्वितीय तल) का निर्माण	40.00
2– एक सभाकक्ष का निर्माण	[illegible]
3– एक परीक्षा कक्ष का निर्माण	2.00
4– एक अतिथि कक्ष का निर्माण	8.00
5– एक कार्यशाला कक्ष का निर्माण	8.00
योग	66.00 लाख

मरम्मत 2.00

पेयर .50

न हेतु पुस्तकें, रैक, कुर्सी–मेज 1.00

वाटर कूलर, डुपलिकेटिंग 1.00

मशीन की मरम्मत हेतु

4.50 लाख

पी)

[illegible]	2.00
[illegible] / सेमिनार	2.00
[illegible] पी० ओ० एल०	.50
[illegible] मुद्रण	4.00
सी	1.00

9.50 लाख

[illegible] शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता का सम्वर्द्धन

सृजित	कार्यरत	रिक्त
1	--	01
1	1	--
6	2	4
17	3	14

कार्यानुभव शिक्षक	01	01	–
तकनीकी सहायक	01	01	–
सांख्यिकीकार	01	01	01
कार्यालय अधीक्षक	01	–	01
प्रयोगशाला सहायक	02	01	–
आशुलिपिक	01	01	01
लेखाकार	01		–
कनिष्ठ लिपिक	09	09	–
पुस्तकालय अध्यक्ष	01		01
च0 श्रे0 क0	05	05	–
योग	48	25	23

डायट के वरिष्ठ प्रवक्ताओं/प्रवक्ताओं के कौशल विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण-

डायट के वरिष्ठ प्रवक्ताओं/प्रवक्ताओं के कौशल विकास हेतु विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

1– कम्प्यूटर प्रशिक्षण

2– पुस्तकालय का रख–रखाव एवं क्रियान्वयन

3– शैक्षिक तकनीकी उपकरणों तथा मनोविज्ञान, प्रयोगशाला के उपकरणों का प्रशिक्षण।

4– क्रियात्मक शोध।

5– संकाय दक्षता संवर्धन

6– एक्सपोजर विजिट

अध्याय–10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान को जनपद में विद्यमान वर्तमान व्यवस्था के सम्पूरक के रूप में चलाया जायेगा। इस परियोजना को जनवरी 2002 से प्रारम्भ कर दिसम्बर 2010 तक चलाया जायेगा। इस अवधि में 6–14 वय वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का शत प्रतिशत नामांकन, ठहराव व गुणवत्ता का शत प्रतिशत नामांकन, ठहराव व गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जायेगा। ये सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबन्धन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा।

परियोजना का प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होकर तथा व्यक्तिगत पहल के लिये प्रत्येक स्तर पर पर्याप्त अवसर होगें। ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर, ब्लाक स्तर तथा जनपद स्तर पर समुदाय का समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करने में सहयोग लिया जायेगा इसका विस्तृत विवरण निम्नवत है।

ग्राम शिक्षा समिति –

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जिसमे निम्नलिखित सदस्य हैं –

समिति का स्वरूप निम्नवत है –

1– ग्राम पंचायत का प्रधान — अध्यक्ष

2– ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हो तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।

3– बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व –

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी –

क– पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।

ख– ऐसे बेसिक स्कूलो के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना।

ग– पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।

घ– बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

ङ– ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे जायें।

च– पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे विहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।

छ– बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

डी० पी० ई० पी० के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ–साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परिषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यो में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन तंत्र शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ–साथ बस्ती/ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रो की स्थापना तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण कर अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व हो शिक्षा मित्रो, अनुदेशको, आचार्यों, आंगनबाड़ी केन्द्रो के स्टाफ के वेतन/मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा छात्रवृत्ति का वितरण, पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तको का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र –

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो का निर्माण डी० पी० ई० पी० के अन्तर्गत कराया जा चुका है इसे सुसज्जित किये जाने के साथ–साथ

प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व –

1– न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।

2– अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार विमर्श एवं उसका निराकरण करना।

3– ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।

4– ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।

5– न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति –

जिले की भांति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित हैं–

1–	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2–	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य–सचिव
3–	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	सदस्य
4–	विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक	सदस्य

अधिकार एवं दायित्व –

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो के कार्यो में समन्वय स्थापित करना जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमो का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/जे0 डी0 एस0 वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन – ब्लाक स्तर –

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत है जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रो के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हे आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पद

विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे —

1— सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।

2— विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3— ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।

4— ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।

5— ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6— सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।

7— खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8— विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0 जा0/जन0 जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।

9— विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।

10— विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक–छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।

11— ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।

12— अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई0 जी0 एस0 तथा ए0 आई0 ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेंगे तथा ई0 जी0 एस0 व ए0 आई0

ई0 केन्द्रो पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु डी0 पी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वाहन करेंगे। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के लिये यात्रा भत्ता तथा रख रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/— प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उनके ई0 जी0 एस0/ए0 आई0 ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0 आर0 सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र —

इस जनपद में डी0 पी0 ई0 पी0 संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डो ब्लाक संसाधन केन्द्रो के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित हैं। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके है और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यों के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के

संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेंगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0 आर0 सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0 आर0 सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0 आर0 सी0 एक लाख रुपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व

1-- अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।

2-- विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण-कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।

3-- विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।

4-- ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

5-- न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।

6-- ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में इसका नियोजन करना।

7-- विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के सम्बन्ध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूटराईज्ड विवरण तैयार करना।

8– ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय–समय पर एक एकीकरण व सेम्पल ई चेकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारित एवं राजनीतिको के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति डी0 पी0 ई0 पी0 के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी ,उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है

जिलाधिकारी	अध्यक्ष
मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य–सचिव
प्राचार्य डायट	सदस्य
जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	सदस्य
अधिशासी अभियन्ता (आर0 ई0 एस0)	सदस्य
जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एव महाविद्यालय से) जिलाधिकारी द्वारा नामित	सदस्य
दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला कम से (एक वर्ष के लिये)	
दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)	
स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)	

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व -

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर डी० पी० ई० पी० के द्वारा निर्धारित सीमाओ के अन्तर्गत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने रणनीति निर्धारण के सम्बन्ध में इसके निर्णय प्रभावी होंगे। प्रवेश धारण, गुणवत्ता संवर्धन, निर्माण के लिये तकनीकि पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिये जनपद स्तर ही सर्वोच्च समिति होगी। समिति में ई० जी० एस०/ए० आई० ई० से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति

उ० प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है -

1--	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2--	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव
3--	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4--	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5--	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व –

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर डी० पी० ई० पी० के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जवाबदेहिता सुनिश्चित करने रणनीति निर्धारण के सम्बन्ध में इसके निर्णय प्रभावी होंगे। प्रवेश धारण, गुणवत्ता संवर्धन, निर्माण के लिये तकनीकी पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार–प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। यह समिति जिले के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। समिति में डी० पी० एस० /पी० आई० ई० से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति –

उ० प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है –

1–	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2–	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य–सचिव
3–	अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5–	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य

जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे –

1–	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	पदेन जिला परियोजना अधिकारी
2–	उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई0 जी0 एस0/ए0 आई0 ई0)	1 प्रतिनियुक्ति पर
3–	समन्वयक	4 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर
4–	सलाहकार	2 रु0 10,000/– नियत वेतन प्रति पद
5–	ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी	1 रु0 10,000/– नियत वेतन प्रति पद
6–	कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यिकी सहा0	3 रु0 7,000/– नियत वेतन प्रति पद
7–	सहायक लेखाधिकारी	1 प्रति नियुक्ति पर
8–	लिपिक	1 नियत मानदेय के आधार पर
9–	परिचारक	1 नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नहीं है उपरोक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेंगे। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था -

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर नियुक्त अभियन्ता हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू० 1,000 प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष / न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू० 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू० 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर से संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेंगे। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था –

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध है। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रू0 1,000 प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रू0 500 तथा प्रति शौचालय हेतु रू0 200 की दर अनुमन्य से प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा तीन वर्ष बाद मानदेय की दर से संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व -

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे --

-- विद्यालयों हेतु सांख्यिकीय प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।

राज्य से फील्ड स्टाफ (बी0 आर0 सी0 समन्वयक, एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापक) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।

-- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।

-- भरे हुए प्रपत्रों की सम्पूर्ण चेकिंग सम्पादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित करना।

- समयबद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।

संकुलवार व विकास खण्ड वार जनपद की ई0 एम0 आई0 एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार करना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और

प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयक तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।

-- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।

-- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी सम्बन्धित को प्रस्तुत/प्रेषित करना।

ई0 एम0 आई0 एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण आदि में अपेक्षित जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण :-

-- विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, संकुल प्रभारी, बी0 आर0 सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हें ई0 एम0 आई0 एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आकंडो के दो प्रतिशत सेम्पल चैकिंग के लिये चयनित स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आकंडो की शुद्धता की जांच हो सके।

ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी तकनीकी स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

2- ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर).

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी0 आर0 सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेंगे।

3- ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक/सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

4 ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्तर पर)

एस0 पी0 ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0 पी0 ओ0 एवं बी0 आर0 सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0 एम0 आई0 एस0 प्रबंधन एवं दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकड़ो का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांच --

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ो को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0 एम0 आई0 एस0 रिपोर्ट तैयार

2 – ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी0 आर0 सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेंगे।

3– ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयक/सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

[illegible] ई0 एम0 आई0 एस0 का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्तर पर)

एस0 पी0 ओ0/सीमैट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0 पी0 ओ0 एवं बी0 आर0 सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0 एम0 आई0 एस0 प्रबंधन एवं दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांच --

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष [illegible] स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0 एम0 आई0 एस0 रिपोर्ट तैयार

की जायेगी। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हेतु प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट–आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकड़ो का उपयोग --

ई0 एम0 आई0 एस0 आंकड़ो के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसे जी0 ई0 आर0 एन0 ई0 आर0, ड्राप–आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र–अध्यापक अनुपात, कक्षा कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि परिलक्षित प्राप्त होंगे। इन इन्डीकेटर्स को उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार–बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन किया जा सके। डाइस के अन्तर्गत ई0 एम0 आई0 एस0 से प्राप्त आंकड़ो से स्कूल के बाहर के बच्चो की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल के अनामांकित तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत से प्राप्त आंकड़ो के आधार पर नहीं हो पाता है अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकड़ो तथा ई0 एस0 आई0 एस0 से प्राप्त आंकड़ो का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा। तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन अपेक्षित होगा ई0 एम0 आई0 एस0 एवं माईक्रोप्लानिंग के आंकड़ो का उपयोग निम्न कार्यो हेतु भी किया जायेगा --

1-- नवीन विद्यालयों हेतु अपेक्षित बस्तियों की पहचान।

2— शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु बस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।

3— छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।

4— एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।

5— छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।

6— बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।

7— निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।

8— अवस्थापना सम्बन्धी माँग का आंकलन व निर्धारण।

9— शिक्षकों का वितरण।

10— विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।

11— विकलांगता [illegible] आवश्यकताओं के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई० एम० आई० एस० से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित नियोजन [illegible] के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण [illegible] सक्षम और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहॉर्ट स्टडी

छात्र [illegible] के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप–आउट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी।

स्टडी वाह्य एजेन्सी द्वारा करायी जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रू0 2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम –

एम0 आई0 एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति [illegible] तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल0 ऐ0 सी0 आई0 के अन्तर्गत कम्प्यूटराईज्ड वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0 आई0 एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान –

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व में ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य होंगे --

1– विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2– राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।

3– ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।

4– जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/निष्कर्षों की जानकारी सर्व सम्बन्धित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5– जिले के समस्त स्कूलों का गुणात्मकमूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।

6– ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7– जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना।

8– जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9– न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।

10– शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम निर्धारित करना।

11– शैक्षिक आकड़ो (ई0 एम0 आई0 एस0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

12— शिक्षकों, समन्वयकों, डी0 सी0 सी0 डी0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना।

निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड) -

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमैट के अप्रैजल के पश्चात एवं उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकस्मिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0 आर0 सी0 एवं एन0 पी0 आर0 सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे--ग्राम शिक्षा समिति, स्वयं सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित हैं। अतः रू० 5500 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इस प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर

भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा ब्लाक संसाधन केन्द्र/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी संयुक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित है। परचेज एवं प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका मे निर्धारित किये गये है, जो परियोजना मे भी अपनाये जायेंगे तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ० ... के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों एवं वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली मे प्रथम वर्ष मे ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय–समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खाते पूर्व से ही संचालित है। जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलो को अवमुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

राज्य परियोजना कार्यालय

जिला परियोजना कार्यालय

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

बी० आर० सी० एवं एन० पी० आर० सी०

बी० आर० सी० एवं एन० पी० आर० सी०

ग्राम शिक्षा समिति

अध्यापक

स्वयं सेवी संस्था आदि

सम्प्रेक्षण व्यवस्था –

उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपेन्डेन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। यह कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का चयन व उनकी रिफरेंस आफ आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय–समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य स्तरीय अनुश्रवणात्मक प्रणाली की स्थापना –

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, बी० आर० सी० समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेंगी जिसमें योजना कार्यों को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा इसी प्रकार परामर्श समूह द्वारा संकाय सदस्यों व बी० आर० सी० समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूत कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश को आवश्यकता वाली

समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे। साथ ही समय–समय पर पर्यवेक्षक एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी [illegible] को सशक्त किया जाता रहेगा और कमियों का निराकरण करते हुए सुधार किया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी० एम० आई० एस० रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्य योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा वार्षिक डी० एस० आई० एस० आर० के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनाये जायेंगे

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान में रखते हुये आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठिया का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समावार पत्रों क माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के 11 रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों/वाद विवाद/ वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है।